छत्तीसगढ़ विधान सभा
की
अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **एकादश सत्र**

शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई, 2021

(श्रावण 08, शक सम्वत् 1943)

[अंक 05]

Web Copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई, 2021

(श्रावण 08, शक संवत् 1943)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत् हुई.

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय :- आज सदन कुछ सूना-सूना लग रहा है। श्री कुलदीप जुनेजा।

जिला रायपुर में संचालित छात्रावास हेतु अतिरिक्त भवन (कक्ष) हेतु स्वीकृत राशि

1. (*क्र. 6) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य[1] है, कि, विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 65 (क्र. 912) दिनांक 18-07-2019 के उत्तर में विभाग द्वारा रायपुर जिले में संचालित 49 हॉस्टलों में से 10 हॉस्टलों हेतु अतिरिक्त भवन (कक्ष) की आवश्यकता होना बताया गया है? यदि हां, तो किन-किन 10 हॉस्टलों में कहां-कहां पर अतिरिक्त भवन (कक्ष) हेतु राशि दिनांक 19-07-2019 से दिनांक 24-06-2021 के बीच स्वीकृत की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जी हां. छात्रावासों का नाम व स्थान तथा अतिरिक्त भवन (कक्ष) हेतु स्वीकृत राशि की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया था, माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब दे दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में शंकर नगर में आपके विभाग का पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास में भूतल में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए कुछ राशि प्रदान कर देंगे, मेरा मंत्री जी से निवेदन है।यह मेरे विधानसभा क्षेत्र का मामला है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने प्रश्न किया था कि वहां कौन-कौन से काम स्वीकृत हुए हैं और उसमें कौन-कौन से काम अधूरे हैं।

[1] † परिशिष्ट- "एक"

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय,मैंने पहले ही कहा कि मैं आपके उत्तर से संतुष्ट हूँ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उसमें बताया है और हम लोग अनुसूचित जाति, जनजाति के पोस्ट मैट्रिक छात्रावास हो या प्री मैट्रिक हो, जहां अतिरिक्त कमरे की आवश्यकता होती है, वहां पर स्वीकृत कराते हैं। माननीय विधायक जी का जो प्रस्ताव है मैं उसको देखकर स्वीकृत करवा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप स्वीकृत करवा दीजिएगा। वह वहां अतिरिक्त कक्ष ऊपर नहीं मांग रहे हैं, नीचे मांग रहे हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम वहां अतिरिक्त कक्ष की स्वीकृति करवा देंगे।

<u>बिलासपुर जिले अंतर्गत विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा भूमि आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन</u>

2. (*क्र. 28) श्री शैलेश पाण्डे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलासपुर जिले में 01 जनवरी, 2021 से 15 जून 2021 के बीच भूमि आबंटन के लिये कितने समाजों के आवेदन प्राप्त हुए है और उक्त आवेदनों पर दिनांक 30-06-2021 तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : बिलासपुर जिले में 01 जनवरी, 2021 से 15 जून, 2021 के बीच भूमि आबंटन के लिये 24 समाजों के 25 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं. उन सभी आवेदनों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने दे दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बिलासपुर के प्रवास में सभी समाजों को बुलाकर, उनको आश्वासन दिया गया था कि उनको जमीनें उपलब्ध करवा दी जायेंगी और महीनों गुजर जाने के बाद अभी तक जमीनें उपलब्ध नहीं हो पाईं हैं तो माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि हम सभी समाजों को जमीनें कब तक उपलब्ध करवा देंगे ? ताकि वह भवन निर्माण कर सकें।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय,बिलासपुर में 24 समाजों के 25 आवेदन आए हैं। इसमें 4 समाजों के आवेदन प्रक्रियाधीन है और बाकी आवेदन अपूर्ण है तो जो भी समाज आवेदन करता है माननीय सदस्य से निवेदन है कि वह उनको बताये कि सही ढंग से आवेदन कर दें तो निश्चित तौर पर वह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कब तक उपलब्ध करवायेंगे, फिर भी एक अंदाज बता देंगे।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आवेदन पूर्ण रूप से लगेगा।

अध्यक्ष महोदय:- माननीय पाण्डे जी, आप आवेदन लगाईये, जमीन बताईये तब तो होगा।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे 4 समाजों का पूर्ण आवेदन है तो उनको कब तक उपलब्ध करवा देंगे ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने वह चारों आवेदन का बताया कि प्रक्रिया में है। जमीन आवंटन एक दिन में संभव नहीं है, उसके नियम कानून हैं दावा आपत्ति है सब चीज देखकर, धीरे-धीरे उसका काम चलता है, इसको नियम के तहत किया जायेगा।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय मंत्री जी धन्यवाद्।

शिक्षा के अधिकार कानून के तहत स्कूलों में बच्चों को प्रवेश का लक्ष्य

3. (*क्र. 689) श्री धर्मजीत सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शैक्षणिक सत्र 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में शिक्षा के अधिकार कानून (RTE) के तहत कितने बच्चों को प्रवेश दिलाया जाने का लक्ष्य रखा गया उसके विरूद्ध कितने को प्रवेश दिया गया? (ख) क्या कंडिका "क" का कानून, अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा संचालित निजी स्कूलों के लिए लागू नहीं होता? यदि हां, तो क्यों? किस नियम/निर्देश के तहत? (ग) कंडिका "ख" के वर्ग द्वारा प्रदेश में कौन-कौन से स्कूल कहां-कहां संचालित है, क्या इन स्कूलों में अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए प्रवेश हेतु सीट आरक्षित है? नहीं, तो क्यों?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) शिक्षा का अधिकार कानून (RTE) के तहत वर्षवार आरक्षित सीट एवं प्रवेश की जानकारी नीचे सारणी में दर्शित अनुसार है :—

क्र.	वर्ष	आरक्षित सीट संख्या	प्रवेशित संख्या
1.	2019-20	81242	48167
2.	2020-21	81242	52680
3.	2021-22	83688	प्रक्रियाधीन

(ख) जी हां. निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा(1) की उपधारा(4) एवं (5) के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाओं पर यह प्रावधान लागू नहीं होता. (ग) शालावार जानकारी [2]† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. इन स्कूलों में अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिये जाने के लिए सीटों का आरक्षण निर्धारित नहीं है, क्योंकि विधि में ऐसा कोई प्रावधान नही है. अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि जो (RTE) के तहत जिन बच्चों का एडमिशन है इसमें इन्होंने जो आंकड़े दिये हैं वर्ष 2019-20 में 81242 आरक्षित सीट की संख्या थी उसमें आपने 48167 को प्रवेश दिया। वर्ष 2020-21 में 81242 के विरूद्ध में 52 हजार 680 को प्रवेश दिया । मतलब इसमें 54 और 64 प्रतिशत ही गरीब बच्चों की भर्ती हो पायी है। मैं सबसे पहले यह पूछना चाहता हूँ कि जब सरकार की यह नीति है, सरकार का यह नियम है कि गरीब बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। आपके विभाग में इतनी खराब प्रदर्शन क्यों हुआ है, क्या कारण है, यह मुझे बतायें ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, (RTE) के तहत जो बच्चों को प्रवेश देने का नियम है उसमें 25 प्रतिशत अलाभांवित बच्चे हैं उनको देने का रहता है और आप देखेंगे कि आपने इसमें वर्ष 2019-20 में 48167 देखा है और वर्ष 2020-21 में 52000 है यह तो मतलब उसमें बढ़ा है, लेकिन जितनी सीटें होती हैं। सीटों के अनुपात में जो संख्या नहीं भर पाते हैं उसके कई कारण है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निजी स्कूलों में जो (RTE) सीट में जो सीटों की संख्या रहती है, सीट रहती है वह हिन्दी माध्यम भी रहता है और अंग्रेजी माध्यम भी रहता है तो ज्यादातर पालक अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं । इसलिए हिंदी माध्यम स्कूल की जो सीट है, वह रिक्त रह जाती है। इसमें दूसरा कारण यह है कि बहुत से जो निजी स्कूल हैं, जहां पर RTE का नियम लागू रहता है। वहां पर पांचवीं तक ही क्लास रहती है और वे पांचवीं कक्षा के बाद दूसरे स्कूल में चले जाते हैं। जहां RTE के बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, आपस में बच्चों में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, इस कारण वे शाला त्याग देते हैं। पालकों के भी रोजगार के कारण होता है, कभी यहां रोजगार कर रहा है, कभी कहीं और रोजगार करने के लिए चला गया तो बच्चें वहां पर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इस प्रकार से इसमें जितनी संख्या भरनी चाहिए, वह उसमें भर नहीं पाता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मसला इसलिए होता है कि यह गरीब बच्चों की पढ़ाई का मामला है। आप बोल रहे हैं कि कई बच्चे प्राईवेट हिंदी मीडियम स्कूल छोड़िए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी आपका पूरा कोटा फुल नही होता है। वे लोग इतने किस्म का हल पैदा करते हैं कि कोई भी पालक अपने बच्चे को वहां भर्ती कराना भी चाहे तो वह स्कूल के लोगों की

[2] परिशिष्ट- "दो"

तानाशाही और असहयोगात्मक रवैये के कारण वे बच्चे भर्ती नहीं हो पाते। मेरा इसमें आपसे आग्रह सिर्फ यह था कि क्या आप सभी जिला कलेक्टरों से यह बोलेंगे कि अभी तो खैर स्कूलों की हालत खराब है और बच्चों का भी भविष्य स्कूल तक नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी से क्या इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कोई व्यवस्था में ऐसी सुधार की जाए ताकि जो गरीब बच्चे जिनके माता पिता उनको बड़े स्कूल में भी पढ़ाना चाहें, उनकी भर्ती सुनिश्चित हो सके और अगर वे लोग असहयोग करते हैं तो उसकी सुनवाई कौन करेगा, कहां जाएंगे, उनको कौन मदद करेगा ? इन सब बातों के बारे में आप जरा बता दीजिए ताकि एक रास्ता खुले और यह तरीका तो ठीक नहीं है ना। जब ऐसा ही है, जब नहीं है, कोई नहीं भर्ती कर रहा है तो कोटा कम कर दीजिए। क्यों स्कूल वालों को परेशान कर रहे हैं ? आप यह बताईये को इस भर्ती को प्रोत्साहन देने के लिए उनको वहां भर्ती कराने में सहयोग देने के लिए प्रशासन का क्या निर्णय रहेगा और उनको कौन मदद करेगा ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा धर्मजीत भाई बता रहे हैं। हमारी मंशा यह है कि जो गरीब बच्चे हैं, जहां पर RTE के तहत यह लागू है, वहां पर बच्चे पढ़ें। लेकिन जो संख्या कम हो रही है, मैंने पूर्व में भी बताया कि आपसी सामंजस्य के कारण नहीं हो पाते हैं लेकिन मैं सभी जिला कलेक्टरों को और जिला शिक्षा अधिकारियों को इस बात का निर्देश देंगे कि RTE के बच्चे कम न हो और जिस उद्देश्य से यह कानून लागू किया गया है, उसका पूरा-पूरा उसमें पालन हो ताकि हमारे गरीब बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, एक मिनट। एक आखिरी प्रश्न है। एक अल्पसंख्यक बच्चों का है। अल्पसंख्यक बच्चों को आप RTE में भर्ती नहीं दे रहे हैं, आपने संविधान का हवाला दिया। संविधान में नि:शुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है। आपने बताया है कि संविधान के अनुच्छेद 29 में यह लिखा है, यह किताब भी है। यह किताब है उसमें लिखा है। संविधान के अनुच्छेद 29(2) में लिखा है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इसमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। अगर जाति और धर्म के आधार पर आप उनका अधिकार छिन रहे हैं, वहां उस समाज में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए ही आप RTE की व्यवस्था तो करा दीजिए। वहां भी तो गरीब लोग रहते हैं, छोटे-छोटे लोग रहते हैं, जिनके परिवार के लोग बच्चों को पढ़ा नहीं सकते तो कम से कम उस अल्पसंख्यक समुदाय के ही स्कूल में चाहे वह जो भी अल्पसंख्यक समुदाय का हो, वहां RTE को लाने के लिए क्या आप विचार करेंगे, पहल करेगे या कोई अगर संशोधन करने की जरूरत हो तो उस दिशा में काम करेंगे क्या ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, चूंकि RTE का जो कानून है वह भारत सरकार ने बनाया है और वहीं यह तय हुआ है कि जो अल्पसंख्यक के स्कूल हैं, चाहे मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन का हो, यह जो पूछ रहे हैं, उसमें सम्मिलित हैं। उनकी छूट या तो माननीय सांसद से पास होता है या विधानसभा से या बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, उनसे उनकी छूट के लिए प्रावधान संविधान में किया गया है। वहां से छूट लेकर हमारे इन स्कूलों में यह RTE का नियम लागू नहीं होगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं-नहीं, मैं समझ गया । मैंने आपके जवाब को कल रात भर 2-3 बार पढ़ा है । मेरा मतलब है कि संविधान के नियम-29 के 2 में लिखा है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक का केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या उसे किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता । आखिर आप अल्पसंख्यक समाज के स्कूलों की मदद तो करते होंगे । अनुदान देते होंगे, राज्यांश देते होंगे, सहयोग देते होंगे, कोई और सामान देते होंगे तो चूंकि इस समाज के बहुत से गरीब लोग वहां पढ़ नहीं पा रहे हैं तो क्या आप उसमें विचार करेंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निजी स्कूल जो अनुदान प्राप्त है वहां पर तो लागू होता ही है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो अनुदान प्राप्त नहीं है । ऐसे स्कूल जहां पर यह आर.टी.ई. लागू नहीं होता है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा हूं कि अल्पसंख्यक समाज का वह स्कूल जो सरकारी अनुदान प्राप्त करता है उसमें यह प्रावधान विद्यमान है कि नहीं है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- यह है, न ।

श्री धर्मजीत सिंह :- ठीक है । धन्यवाद ।

समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी तथा उपार्जन केन्द्रों से प्रदत्त राशि

4. (*क्र. 485) श्री शिवरतन शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में सहकारी समितियों द्वारा संचालित किस-किस उपार्जन केन्द्रों में वर्तमान में समर्थन मूल्य में खरीदा गया कितना-कितना धान शेष है? तथा कितने उपार्जन केन्द्र ऐसे हैं, जिनका पूरा धान उठा लिया गया है, और उन उपार्जन केन्द्रों में सुखत (नुकसान) कितने-कितने प्रतिशत हुआ है? (ख) धान उपार्जन हेतु शासन द्वारा उपार्जन केन्द्र को किस-किस मद पर कितनी-कितनी राशि प्रदान की जाती है? क्या उपार्जन केन्द्र का वर्ष 2018-19, 2019-20, तथा 2020-21 का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, किया गया तो क्या कारण है? तथा कब तक भुगतान कर दिया जावेगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) सहकारी समितियों द्वारा संचालित धान उपार्जन केन्द्रों में वर्तमान में शेष धान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है,

तथा ऐसे उपार्जन केन्द्र जिसमें पूरा धान उठा लिया गया है उसमे शार्टेज की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है. (ख) धान उपार्जन केन्द्रों को धान उपार्जन हेतु निम्नानुसार राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान है :—

क्र.	मद	दर (रुपये प्रति क्विंटल)
1.	प्रासंगिक व्यय	9.00
2.	भण्डारण एवं सुरक्षा व्यय	3.00
3.	कमीशन धान मोटा	31.25
	कमीशन धान पतला	32.00
4.	प्रोत्साहन राशि शून्य प्रतिशत शार्टेज की स्थिति में	1. वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 हेतु राशि रु. 4.00 2. वर्ष 2020-21 हेतु राशि रु. 5.00

वर्ष 2018-19 में जिला बलौदा बाजार की 04 उपार्जन केन्द्र नरधा, मटिया, हसुवा एवं अमोदी का कमीशन भुगतान विपणन संघ के सर्वर एवं समिति साफ्टवेयर में कृषकों के कुल रकबा एवं धान में रकबे में भिन्नता होने के कारण भुगतान लंबित है. शेष जिलों का वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में समस्त समितियों को देय कमीशन की राशि का भुगतान किया जा चुका है. उपार्जन केन्द्रों/सहकारी समिति को वर्ष 2020-21 में समितियों को प्रासंगिक व्यय का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है.भण्डारण एवं सुरक्षा व्यय मद अंतर्गत राशि रुपये 1678.92 लाख का भुगतान किया गया है, राशि रु.1081.79 लाख का भुगतान लंबित है. धान कमीशन की राशि एवं प्रोत्साहन राशि का भुगतान अंतिम लेखा मिलान के पश्चात् किया जावेगा.

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि समर्थन मूल्य धान उपार्जन केंद्रों में कितना धान वर्ष 2020-21 का उठाव शेष है और शॉर्टेज कितना आया है । माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि 21 लाख 56 हजार 7 क्विंटल धान उपार्जन केंद्रों में उठाव हेतु शेष है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उपार्जन केंद्रों से धान उठाव के नियम क्या हैं और नियम के अनुसार यदि धान नहीं उठा तो उसके लिये दोषी कौन है और दोषी पर आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री शिवरतन जी इसमें काफी विद्वान हैं और सारी चीजों को समझते हैं कि कैसे उठाव नहीं हो पा रहा है और स्वयं उसका परिवहन भी करते हैं तो समितियों में जो धान रखा गया है उसका उठाव धीरे-धीरे हो रहा है और समितियों में आज की तारीख में 2 लाख 15 हजार क्विंटल धान ही उसमें शेष है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट प्रश्न किया है कि धान उठाव के नियम क्या है और कितने दिनों के अंदर उपार्जन केंद्रों से धान उठ जाना चाहिए ? और यदि समय पर धान नहीं उठा तो इसके लिये आप दोषी किसको मानते हैं और उसमें क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दोषी नहीं है। जो नियम बने हुए हैं कि 72 घंटे के अंदर उठना चाहिए लेकिन नियम कब बने जब धान खरीदी बहुत कम होती थी । आज जहां प्रदेश में 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो रही है तो उसमें जो व्यवस्थाएं होती हैं, परिवहन की व्यवस्था होती है । आप स्वयं परिवहनकर्ता हैं और इस बात को आप जानते हैं इसीलिये उसमें विलम्ब होता है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत प्वाइंटेड प्रश्न किया है कि धान उठाव के नियम क्या हैं और कितने दिनों के अंदर उपार्जन केंद्रों से धान उठ जाना चाहिए ? आप घुमा-फिराकर जवाब देने की बजाय सीधे उत्तर दीजिये कि इतने दिनों के अंदर धान उठना चाहिए और नहीं उठा तो इसके लिये दोषी कौन है और दोषी के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने वाले हैं ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो धान खरीदी होती है उसके बाद धान का उठाव कैसे होता है, मीलिंग होता है । मीलिंग होने के बाद एफ.सी.आई. में जमा होता है, नान में जमा होता है । भारत सरकार ने मीलिंग के लिये नान में जहां पर 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की बात कही थी लेकिन आपने बहुत विलंब से...(व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये घुमा-फिराकर बात कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- यह घुमाने-फिराने की बात है । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- मेरा पाइंटेड प्रश्न है कि उपार्जन केंद्रों से कितने दिनों के अंदर धान का उठाव हो जाना चाहिए उसके क्या नियम हैं ? (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- व्यवस्था नहीं दी इसीलिये गड़बड़ी हुई न । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- अगर नियमानुसार धान का उठाव नहीं हुआ तो इसके लिये दोषी कौन है और आप दोषी पर क्या कार्यवाही करेंगे ? आप यह दुनियाभर की बातें मत कीजिए । मेरा सीधा-सीधा प्रश्न है, आप इसका उत्तर दीजिए ।

श्री सौरभ सिंह :- यह जनता के पैसे की क्षति है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह जनता के पैसे की क्षति हो रही है । आप नियम बताइए न कि कितने दिन के अंदर धान उठना चाहिए और नहीं उठा तो उसके लिये दोषी कौन है और दोषी पर आप क्या कार्यवाही करेंगे ? मेरा बहुत ही पाइंटेड प्रश्न है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बता रहा हूं कि आखिर इसमें देरी कैसे हुई । 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई । भारत सरकार ने यह कहा कि हम 60 लाख मीट्रिक टन । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि भारत सरकार ने क्या कहा । मैं दूसरा पूछ रहा हूं । (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- जब चावल जमा होगा तब तो धान का उठाव होगा। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- प्रदेश सरकार के नियम हैं कि धान इतने दिन के अंदर उठ जाना चाहिए । आप घुमा-फिराकर बात करने की बजाय वह नियम बताईए न । (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे अच्छा और क्या प्रश्न होगा । अब इसमें भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार कहां से आ गया ? इसमें भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की बात नहीं है ।

श्री सौरभ सिंह :- 31 जनवरी से धान खरीदी खत्म हो गई है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- 31 जनवरी को धान खरीदी बंद हुई । 15 फरवरी को जो लिंकिंग का धान खरीदना था वह भी बंद हो गया । आज उसको 7 महीने हो गये और उसके बाद 21 लाख क्विंटल धान उपार्जन केंद्रों में पड़ा है और लगातार सूखत आ रही है, नुकसान हो रहा है यह राष्ट्रीय क्षति है । मेरा सीधा-सीधा प्रश्न है कि कितने दिनों में धान उठाव के नियम हैं ? यदि नियम के अनुसार धान नहीं उठा तो उसके लिये दोषी कौन है और दोषी पर आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं, आप सीधे यह जवाब दे दीजिये ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नियम बनाये गये हैं। नियम पहले के बने हुए हैं कि 72 घंटे के अंदर परिवहन होना चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- ठीक।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- लेकिन इसमें परिवहन किसको करना है ? मिलर को करना है। जो परिवहन होता है, जहां धान जायेगा, फिर मिलिंग होगा, मिलिंग के बाद जब जमा होगा, तब तो हम वहां से धान उठायेंगे। आप लोग जो बात कर रहे हैं। मिलिंग हो तभी तो धान..।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो प्रश्न किया, उसमें एक उत्तर मंत्री जी ने दिया कि 72 घंटे में परिवहन के नियम हैं। ये 7 महीने में 21 लाख क्विंटल धान का परिवहन नहीं हुआ। इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं ? आप दोषी पर क्या कार्रवाई करेंगे ? नंबर एक और जो 21 लाख क्विंटल धान जो उपार्जन केन्द्रों में खराब हो रहा है, इसके लिए कौन दोषी माना जायेगा ? क्या सहकारी समितियां इसका नुकसान उठायेंगी ? सरकार उठायेगी, यह आप क्लियर कर दो। परिवहन न

होने के लिए आप दोषी किसे मानते हैं ? और इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा और दोषी पर क्या कार्रवाई करेंगे, आप यह बता दीजिए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उसमें परिवहन हो जाये। जो धान है, उसका ऑक्सन किया जा रहा है। ऑक्सन होने के बाद उसका परिवहन हो रहा है। उसके डी.ओ. कट रहे हैं। लगातार प्रयास किया जा रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं, लगातार क्या प्रयास किया जा रहा है ? जब शासन के नियम हैं कि 72 घंटे के अंदर धान का उठाव होना चाहिए। अगर उठाव नहीं हो रहा है तो जो दोषी है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते ? अगर धान का सही समय में परिवहन नहीं हुआ तो आपको कार्रवाई करने में क्यों डर लगता है ? माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सुनियोजित ढंग से उपार्जन केन्द्रों को धान रोका गया है। परिवहनकर्ताओं को आदेश देने के बाद परिवहन पर रोक लगाई गई है और उसके चलते सारी सहकारी समितियां बैठ गईं। एक तरफ कल माननीय मंत्री अमरजीत भगत जी ने जवाब दिया कि उपार्जन केन्द्रों में हम सूखत एलाउ नहीं करेंगे और जब 7-7 महीने धान उर्पाजन केन्द्रों में पड़ा रहेगा तो सूखत भी आएगी और बरसात में धान सड़ेगा भी। रख-रखाव नहीं होने के कारण उसका नुकसान भी होगा और कुल मिलाकर उसका दुष्परिणाम कौन भोगेगा, सहकारी समितियां। आज इनकी लापरवाही के चलते पूरे प्रदेश की सहकारी समितियां बैठने के कगार पर आ गई हैं। मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि जो दोषी है, जो परिवहन नहीं कर पाया या किन्हीं कारणों से परिवहन नहीं हो पाया, उसके लिए उन दोषियों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे ? आप यह बता दीजिए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- बार-बार परिवहन की बात आती है। परिवहन कब होगा जब चावल बनकर एफ.सी.आई. में जमा होगा। जब आपने लेट में परमीशन लिया..।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपार्जन केन्द्रों में चावल नहीं होता। उपार्जन केन्द्रों से धान जाता है। आप बात को मत घूमाइए। उपार्जन केन्द्रों से संग्रहण केन्द्रों को धान जाता है। आपने संग्रहण केन्द्रों में धान बेचने से क्यों रोक दिया ? आपके संग्रहण केन्द्रों में धान बेचने से क्यों रोका है?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- जब चावल जमा होगा तब तो। आपने लेट में परमीशन लिया। जब धान का मिलिंग होगा तब तो परिवहन होगा।

श्री नारायण चंदेल :- यह बहुत गंभीर मामला है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय शिवरतन शर्मा जी ने बहुत ही सरल प्रश्न पूछा है।

श्री नारायण चंदेल :- यह राष्ट्र की क्षति है।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं-नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा। वे चावल में पहुंच गये। धान के उठाव का मामला है।

श्री शिवरतन शर्मा :- ये संग्रहण केन्द्र भेज रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- और उसके लिए वह कहां बेचेगा, क्या करेगा, यह जवाबदारी नहीं है।

श्री नारायण चंदेल :- वे जंप मार दिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं, उठा तो उसमें क्या कार्रवाई करेंगे। उसमें मंत्री जी का जवाब आना चाहिए।

श्री नारायण चंदेल :- सदन की कमेटी से जांच करवा दीजिए। यह बहुत बड़ा गंभीर मामला है। सदन की कमेटी से जांच करवा दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, पहले फसल पैदा की जाती है, किसान उसकी मिसाई करता है। (व्यवधान)

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष जी..। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आप तो बैठिए। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- उनको जवाब देने दीजिए। अपने प्रश्न का जवाब तो नहीं दे सकते। (व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आप दूसरे के जवाब में खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आप सुनिए तो। आप सुनिए तो। (व्यवधान) कल आपने ध्यानाकर्षण लगाया तो आपको पूरी तरह से यह बताया गया कि समितियों में अगर धान 72 घंटे में परिवहन नहीं होगा तो समिति को तमाम प्रकार का इनसेंटिव मिलता है और उससे वह अपना भरपाई करती है। कल ही तो दिये थे। (व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- वे क्यों खड़े हो रहे हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मैं समझ रहा हूं। बैठिए न। मैं देख रहा हूं न।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, असली समस्या यह है कि ये दोनों मंत्री खुद हैं। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए।

श्री अमरजीत भगत :- अब बताइए। उसी बात को बार-बार बोलने पर इन लोगों को कितना समझाया था, इसके बाद भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी का मसला इस सदन में कभी अमरजीत जी देते हैं, कभी ये देते हैं। आखिर ये जिम्मेदारी नैतिक रूप से किसकी है? आप यह तो बताओ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं पूछ लेता हूं। मुझे देखने दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं तो आपसे अपील करता हूं कि आप सरकार को निर्देशित करें कि धान की खरीदी से लेकर मिलिंग तक कोई एक ही मंत्री जवाब दे।

अध्यक्ष महोदय :- मैं देख लेता हूं न।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- अच्छा, आप यह तो बताइए कि आप इधर से बोल रहे हैं या उधर से बोल रहे हैं ?

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं इधर से बोल रहा हूं । आप उसकी चिंता मत करो ।

अध्यक्ष महोदय :- ए भइया धर्मजीत ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी एकाध 6 महीना और निकलने दो, फिर सब चिंता में दिखोगे । अभी ज्यादा हवा में मत उड़ो ।

श्री अमरजीत भगत :- इसमें क्या हवा वाली बात ? आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि किधर जाना है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपके मुख्यमंत्री जी ने तो मुझे बता दिया है कि इधर जा रहे हो ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए बैठ जाइए । भगत जी, आप थोड़ा विलम्ब से आए हैं । आप मुझे बता दीजिए कि इनका प्रश्न सीधा-सीधा है कि धान का उठाव कितने दिन में होना चाहिए । उन्होंने बता दिया कि 72 घंटे, अब उसके लिए जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करना है, तो कौन दोषी है क्या आप कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं । नहीं तो नया नियम बनाकर उन पर कार्रवाई करिये । इतना ही तो है।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, कल इस पर ध्यानाकर्षण आया था, उसमें विस्तार से उत्तर दिया गया है कि नियम के अनुसार 72 घंटे में उठाना है । अगर 72 घंटे में नहीं उठता तो समिति उठाव करा सकती है, उसी राशि में जितनी परिवहनकर्ता के लिए तय थी । जो परिवहन कराएगा उतनी राशि देय है । रहा सवाल नुकसान का, तो समिति को तमाम तरह के कमीशन, प्रोत्साहन राशि, रख रखाव का लगभग 52 रूपया मिलता है । उससे उसकी भरपाई करना रहता है । जो बचती है, शेष राशि समिति को मिलती है ।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें समितियों को राशि बचती है या ज्यादा लगती है । उसको बढ़ाने का, उस पर पुनर्विचार करने का अधिकार, आप दोनों में से किसको है?

श्री अमरजीत भगत :- है तो खाद्य विभाग का ही और इसके लिए ।

अध्यक्ष महोदय :- यह सिर्फ भाटापारा का सवाल नहीं है, पूरे प्रदेश का सवाल है अगर इसमें कुछ विलम्ब हो रहा है, कुछ त्रुटि हो रही है, किसी विशेष अधिकारी का कृपा पात्र न होने का कारण है, तो इस पर पुनर्विचार कर फिर से एक बार जांच करा लीजिए ।

श्री अमरजीत भगत :- इसमें जो समिति को समस्त खरीदी से लेकर रख रखाव से लेकर जो राशि दी जाती है उस राशि के बारे में बता रहा हूं । मोटे धान में 31 रूपया 25 पैसा कमीशन दिया जाता है, पतले धान में 32 रूपया और प्रासंगिक व्यय 9 रूपया प्रति क्विंटल और भंडारण, रख रखाव के लिए, इस तरह 52 रूपए प्रति क्विंटल दिया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय :- जो कमीशन वाला मामला है वही सब गड़बड़ है ।

श्री अमरजीत भगत :- जी, जी । जो भी नुकसान होता है, उसी में उसकी भरपाई होती है । शेष राशि समिति को दी जाती है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, मूल मसला आपको बता देता हूं । उपार्जन केन्द्र, धान उपार्जित करता है । शासन यह चाहता है कि संग्रहण केन्द्र में धान न भेजना पड़े, धान सीधे कस्टम मिलिंग में चला जाए । लेकिन इनकी सरकार के अनिर्णय के चलते यह स्थिति निर्मित हो रही है । आज कवर्धा जिले की 400 सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया है, केवल इसलिए कि उनके जिले में 3 लाख, 52 हजार, 744 क्विंटल धान नहीं उठा और उसकी सूखत का नुकसान उठाने में वे सक्षम नहीं हैं, इसलिए वे पीड़ित हैं । महासमुंद जिले में 3 लाख, 45 हजार क्विंटल नहीं उठा । स्वयं आपके जिले में 59 हजार 704 क्विंटल धान नहीं उठा।

अध्यक्ष महोदय :- वही तो मैं बोल रहा हूं कि यह पूरे प्रदेश की समस्या है । इस पर विचार कर लें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि समय पर नहीं उठा तो ये क्या कार्रवाई करेंगे ? या तो आप सहकारी समितियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए कि उन्होंने समय पर क्यों नहीं उठाया । अगर आपको लगता है कि सहकारी समितियां गलत हैं तो सहकारी समितियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए । अगर सहकारी समिति गलत नहीं है तो सहकारी समितियों को सूखत के बंधन से मुक्त कीजिए । सूखत का भार राज्य सरकार उठाए, एक प्रश्न मेरा यह है । दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय अमरजीत भगत जी प्रासंगिक व्यय की जानकारी दे रहे थे ।

अध्यक्ष महोदय :- वे कमीशन की जानकारी दे रहे थे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, प्रासंगिक व्यय और कमीशन मिलाकर इसमें एक चार्ट है । पतले धान पर कमीशन 32 रूपए है और मोटे धान पर 31 रूपए 25 पैसे है । ये प्रासंगिक व्यय की जानकारी दे रहे हैं, इसमें इन्होंने लिखा है 9 रूपए । मैं मंत्री जी से पहला प्रश्न...।

अध्यक्ष महोदय :- मेरी बात सुनिये । इसको प्रश्नों में मत उलझाइए । प्रश्न में हम सब लोग उलझेंगे इसमें जल्दी से जल्दी उठाव होना चाहिए । जल्दी से जल्दी यथास्थान पहुंचना चाहिए और उसके लिए नई व्यवस्था इनको करनी है । चाहे मुख्यमंत्री जी के निर्देश से करें, चाहे दोनों मिलकर करें, जल्दी करें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि यह विषय जो आज हम उठा रहे हैं, यह मार्च के महीने में हम बजट सत्र में भी उठा चुके हैं । बजट सत्र में भी जल्दी उठा लिया जाएगा, यह आश्वासन हमें सरकार की ओर से मिल चुका है, पर उठा नहीं । आज छत्तीसगढ़ की पूरी सहकारी समितियां बर्बाद हो रही हैं हमारी चिंता का विषय ये है इसलिए हम बार-बार इस विषय को ला रहे हैं

आप अगर नहीं उठा पा रहे हैं तो सरकारी समिति के नुकसान को उठाने की व्यवस्था सरकार कर दे ताकि सहकारी समितियां सुरक्षित रह जाएं एक विषय इस पर उत्तर आ जाए और दूसरा।

अध्यक्ष महोदय :- अब उत्तर नहीं आएगा मैं आपकी चिंता में अपने आपको शामिल करता हूं मेरी बात तो सुन लीजिये, मैं दोनों मंत्रियों को निर्देश देता हूं कि शीघ्र बैठक करके इसका निराकरण करें अब उसमें क्या ज्यदा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- उसको क्या निराकरण का समयसीमा निर्धारित कर दीजिये आप।

अध्यक्ष महोदय :- अब मुख्यमंत्री जी होते तो मैं बोल देता कि एक महीने के अंदर कर लो, दो महीने के अंदर कर लो।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं मंत्री को आप निर्देशित कर सकते हैं न।

अध्यक्ष महोदय :- मैं उनसे निवेदन करूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, आप आदेश कर सकते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे अनुमति लेकर के मैं बोलना चाहता हूं कि ये जितने चिंतित दिख रहे हैं विपक्ष के साथी और कोशिश कर रहे हैं कि हम किसानों के लिए बहुत चिंतित हैं अच्छी बात है लेकिन एकात पत्र भारत सरकार को भी लिखना चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- अरे, बातों को घुमाओ मत मंत्री जी। ये सिर्फ आपकी लापरवाही में सड़ रहा है धान। इसके लिए जिम्मेदार सरकार की नीति है। ये बातों को घुमाने की बात कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप समय सीमा निर्धारित कर दीजिये, अकबर साहब आपके जिले का सबसे ज्यादा है। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- भारत सरकार हमको सितंबर में अनुमति मिलना चाहिये अक्टूबर में मिल रहा है और इस बार तो चावल जमा करने के लिए जो अनुमति आया वह जनवरी में आया ये एक बार भारत सरकार को पत्र प्रधानमंत्री को नहीं लिख सकते केवल बोल जरूर सकते हैं दिखाते जरूर हैं कि किसान प्रेमी है न किसानों के लिए न एक आवाज उठता है न एक पत्र लिख सकते हैं।

धर्मजीत सिंह :- सर ये पूरी समस्या का जड़ मैं आपसे निवेदन करके बता रहा हूं ।ये जो धान खरीदी का मामला है ये दो विभाग में उलझता है खाद्य में जिनका कोई रोल नहीं है धान खरीदी में खाद्यय विभाग का फूड इंस्पेक्टर भी उसमें कहीं इन्वाल्व नहीं होता ये सारा होता है इनके सहकारी संस्थाओं में और सहकारी संस्था के पास कोई जवाब देने की बात आती है तो खाद्यय मंत्री देते हैं खाद्य मंत्री को अब जवाब देने की बात आती है तो ये देते हैं आप तो मुख्यमंत्री जी से ये बोलिये कि ये धान खरीदी के लिए कौन सा डिपार्टमेंट नोडल रहेगा और कौन रिसपांसबिलिटी से जवाब देगा ये तय करिये। वो जब मन होता है खाद्यय मंत्री खड़े हो जाते हैं जब मन होता है ये खड़े हो जाते हैं ये कुछ बोलते हैं वे कुछ बोलते हैं अंट-शंट बोल रहे हैं यहां पर और प्रदेश का पूरा करोड़ों रूपया का धान बर्बाद

हो रहा है। अरे उसकी सुरक्षा की बात करिये कैसे धान उठेगा उसमें बात करिये न ये दिल्ली, बंबई क्यों पहुंच जाते हैं? हर बात में दिल्ली कल भी रात को दिल्ली पहुंच गये थे अभी भी आप दिल्ली पहुंच गये हो।

श्री अमरजीत भगत :- अब धर्मजीत भईया, एकतरफा बोलेंगे नहीं बनेगा अगर रिपपासिंबल भारत सरकार के एजेंसी के रूप में हम खरीदी करते हैं तो उनका निर्देश उनका अनुमति मायने रखता है और 2021 में 4 माह बाद विलंब से अनुमति आया है। तो निश्चित रूप से निराकरण में, परिवहन में प्रभावित होगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- 15 क्विंटल धान खरीदने का निर्णय आपका है।

अध्यक्ष महोदय :- सनिये, मैं सुन रहा हूं कि कितने तीखे प्रशन कर रहे हैं कितने उलझे हुए प्रश्न कर रहे हैं मैं आपको बिना मांगे आधा घंटा की इसमें चर्चा स्वीकार करता हूं अपनी बात कर लीजियेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- धन्यवाद साहब।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन था आदरणीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है इसमें प्रासंगिक व्यय 9 रूपये, इसमें सोसायटियों का भला हो जाएगा। केंद्र सरकार के आदेश पर 28.11.20 को संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन ने एक आदेश निकाला है जिसमें प्रासंगिक व्यय 18 रूपये। तो जब केंद्र सरकार 18 रूपये का प्रासंगिक व्यय दे रही है तो समितियों को देने में क्या समस्या है। आपसे निवेदन है कि कृपापूर्वक इस पर आदेश जारी करके 18 रूपये दिया जाए।
आपसे निवेदन है 18 रूपये देना है 18 रूपये क्यों नहीं दे रहे हैं समितियों को। आप समितियों को 18 रूपये दीजिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- 10 रूपये चिल्हर खर्च है ना।

श्री सौरभ सिंह :- नहीं, नहीं आदेश है केंद्र सरकार का, 9 रूपये देना है।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग आधे घंटे तक विस्तृत चर्चा कर लीजिये। चलिये दीजिये। नारायरण चंदेल जी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है बता रहे थे क्योंकि ये भैसाझार का मामला है आप उठा रहे हो उधर भैसाझार बैठे हैं।

<u>अरपा भैंसाझार प्रोजेक्ट हेतु जमीन अधिग्रहण</u>

5. (*क्र. 680) श्री नारायण चंदेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अरपा भैंसाझार प्रोजेक्ट में कितनी जमीन का अधिग्रहण किया गया है? खसरा नंबर व रकबा सहित जानकारी देवें? अधिग्रहण कब-कब किया गया हैं? शासन द्वारा प्रोजेक्ट के सर्वे में किन जमीनों को

शामिल करने का उल्लेख किया गया हैं? (ख) क्या उक्त प्रोजेक्ट में प्रस्तावित जमीन के विरूद्ध दूसरी जमीन की अदला बदली करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो इस हेतु कौन दोषी है? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या अरपा भैंसाझार प्रोजेक्ट में निर्धारित जमीन से अधिक जमीन का मुआवजा भू-स्वामियों को दिया गया है? यदि हां, तो क्यों, इस हेतु कौन जिम्मेदार है? (घ) उपरोक्त प्रोजेक्ट में कितने भू-स्वामियों को कब-कब कितना मुआवजा दिया गया है?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) अरपा-भैंसाझार प्रोजेक्ट में कुल 2074.16 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है. खसरा नंबर व रकबा तथा अधिग्रहण कब-कब किया गया है इसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. (ख) अरपा-भैंसाझार बैराज परियोजना के चकरभाठा वितरक नहर हेतु अधिग्रहण किए गए भूमि से संबंधित 2 शिकायतें क्रमशः कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग कोटा एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोटा को प्राप्त हुई है, इसके अतिरिक्त दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के आधार पर जांच हेतु जिला स्तर पर कलेक्टर बिलासपुर के द्वारा 6 सदस्यीय टीम गठित की गई है. जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.(ग) अरपा-भैंसाझार प्रोजेक्ट में निर्धारित जमीन से अधिक जमीन का मुआवजा भू-स्वामियों को दिया गया है, इस संबंध में जिला स्तर पर कलेक्टर बिलासपुर के द्वारा 6 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. (घ) अरपा-भैंसाझार प्रोजेक्ट में 5877 भू-स्वामियों को कुल राशि रुपये 2,81,84,67,105/- (राशि रुपये दो सौ इक्यासी करोड़ चौरासी लाख सड़सठ हजार एक सौ पांच मात्र) का मुआवजा दिया गया है. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है.

श्री नारायण चंदेल :- हां, महत्वपूर्ण तो है। चारों तरफ वही है मेरा ध्यानाकर्ष है। अरपा भैसाझार प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण से संबंधित ये मामला है ये महत्वपूर्ण योजना है एक प्रकार की माननीय मंत्री जी पूरे परिशिष्ट में मुझे जानकारी दी है इसमें बताया गया है कि कुल 281 करोड़, 84 लाख, 67 हजार, 105 ये मुआवजा वितरित किया गया है । मेरा आरोप है कि इसमें बहुत सी चीजों को छिपाया भी गया है । जो जानकारी आई है, उसमें भू स्वामियों का नाम ही बदल दिया गया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अरपा भैंसाझार परियोजना की चकरभाठा वितरण नहर के सकरी नगर हेतु मुआवजा दिया गया, खसरा नम्बर 19/4 की भूमि का धारा 11 की अधिसूचना में कितने हेक्टयेअर की मांग जल संसाधन संभाग, कोटा द्वारा की गई थी ? धारा 19 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा अधिसूचित नक्शे के माप अनुसार खसरा नम्बर 19/4 को कितने हेक्टेयर भूमि अर्जन की गई है एवं किस अधिकारी द्वारा की गई है, नाम सहित बताएं ? खसरा नम्बर 19/4 की भूमि का कब-कब, कितने रकबे का, कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय :- लिखित प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि इसमें विस्तृत जानकारी दी गई है । जब इसमें दो व्यक्तियों की शिकायत आई, जिसमें श्री पवन कुमार अग्रवाल की शिकायत 9.6.21 और दूसरा प्रदीप मिश्रा की शिकायत 25.6.21 को आई । उसके बाद एक सीमांकन कमेटी का गठन किया गया, साथ में जांच दल गठित की गई । जांच दल ए.डी.एम. की अध्यक्षता में गठित की गयी है । अभी बारिश के समय सीमांकन नहीं हो सकता इसलिए बारिश के बाद इसका सीमांकन किया जाएगा और जो जांच दल गठित किया गया है, उसमें माननीय सदस्य ने खसरा की बात कही है, उसके आधार पर वहां प्रथम दृष्टता पटवारी मुकेश साहू को निलंबित भी कर दिया गया है और इसके साथ जब जांच अभी पूरी होगी, उसके बाद आपको पता चल जायेगा क्योंकि सिर्फ दो, चार खसरों की बात नहीं है । हम इसकी विस्तृत जांच करा रहे हैं और जांच करने के बाद आपको इसमें पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि एक पटवारी को निलंबित किया गया है । मामला बहुत बड़ा है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किन-किन रकबों को निर्धारित जमीन से अधिक जमीन का मुआवजा भू स्वामियों को दिया गया है और क्यों दिया गया है ? किन-किन रकबों में एवार्ड पत्रक में परिवर्तन करने की जानकारी मिली है, जबकि धारा 19 में उनको शामिल नहीं किया गया है । माननीय मंत्री जी, इसकी जानकारी बता दें ।

अध्यक्ष महोदय :- मुकेश साहू, पटवारी जो सस्पेंड हुआ है, वह तो राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है । उसके बाद भी आपको तकलीफ है ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खसरा नम्बर 42/32, 42/35, 42/23 ।

अध्यक्ष महोदय :- ये सब खसरा नम्बर 42 के ही हिसाब-किताब हैं ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- जी । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि जो जिस-जिस खसरा में शिकायत प्राप्त हुई है, उसकी जांच की जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय :- इनका सामान्य रूप से यह कहना है कि जांच में जो भी अधिकारी हो, उसको निलंबित किया जाये ।

श्री नारायण चंदेल :- यह इनके क्षेत्र का विषय है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि जांच चल रही है और बारिश के कारण वह जांच प्रभावित है । उसमें ह एक पटवारी की बलि चढ़ी है । मामला व्यापक है और मुझे जो जानकारी है कि इसमें भू स्वामियों का नाम भी बदल दिया गया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि समिति में कौन-कौन अधिकारी हैं व उनकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी, कोई निश्चित समय सीमा बताने का कष्ट करें ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सीमांकन के लिए जो समिति बनाई गई है, उसमें फेकन टोंन्ड्रे तहसीलदार है, एस.एस. द्विवेदी, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, कोटा, आर.के.

राजपूत, उपअभियंता, अखिलेश साहू, राजस्व निरीक्षक और बृजेश राजपूत, पटवारी, सकरी है । इसके साथ-साथ ए.डी.एम. की अध्यक्षता में जो जांच दल गठित किया गया है, उसमें बी.एस. उईके अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर, आर.पी.शुक्ला कार्यपालन अभियन्ता जल संसाधन विभाग, देवेन्द्र पटेल अनुविभागीय अधिकारी बिलासपुर, मनोज केसरिया प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख शाखा जिला कार्यालय बिलासपुर, अजीत कुमार पुजारी डिप्टी कलेक्टर बिलासपुर, तोखीन कोन्डे प्रभारी तहीसलदार सकरी हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि खसरा नंबर खसरा नं 19 में से 1/6 और 1/4 का प्रकाशन धारा 11 के अन्तर्गत नहीं किया गया है। आज की स्थिति में अपरा-भैंसाझार परियोजना प्रदेश की सबसे बड़ी योजना है। जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था, तब डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तब वह प्रारंभ हुआ था। 67 हजार एकड़ में सिंचाई होना है। अध्यक्ष महोदय, मैं राजनीतिक जीवन में काम करता हूं, यदि एक अच्छी उपलब्धि कहूं तो अरपा-भैंसाझार को कह सकता हूं, जो वर्षों तक उपयोग में आयेगा। लेकिन जिस प्रकार से इसके ठेकेदार, अधिकारी, भू-माफिया और उसको सरंक्षण देने वाले इस परियोजना को वॉट लगा रहे हैं, यह चिंता का विषय है। जिस प्रकार से इसमें फेरबदल करना, आदमी के नाम में फेरबदल करना, खसरा नंबर में फेरबदल करना, डिजाईन में फेरबदल करने में सब लगे हुए हैं। इसमें एक बड़ी जांच की आवश्यकता है। मैं मंत्री जी से यह पूछ लेता हूं, एक तो मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो गलतियां हुई है, उसको आपने स्वीकार किया है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने सिर्फ स्वीकार नहीं किया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- उसमें एक प्रश्न यह है कि धारा 11 के अन्तर्गत 1/6, 1/4, जो खसरा नं. 19 का है, का प्रकाशन नहीं हुआ है। क्या बिना प्रकाशन किए उसका अवार्ड पारित किया जा सकता है ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब गड़बड़ी की शिकायत मिली और उसमें प्रथम दृष्टयां कुछ गलतियां पाई गई तो उसके आधार पर पटवारी को निलंबित किया गया है। मैंने पहले भी बताया कि आप जो भी खसरा नंबर की बात कर रहे हैं, उसमें 2-4 की खसरे की जांच की बात नहीं, हम उसकी पूरी जांच करायेंगे, इसमें पूरा जांच करने से स्प्ष्ट हो जायेगा कि कहां-कहां गलती हुई है। किसको मुआवजा मिला था और किसको नहीं मिला, वह सारी चीजें सामने आयेंगी। इसमें 2 कमेटी गठित की गई है। एक कमेटी सीमांकन के लिए और एक अलग से जांच दल गठित किया गया है। इसमें त्वरित कार्रवाई की गई है। इसमें पिछले महीने शिकायत मिली है और इसके बाद दोनों कमेटी गठित कर दी गई है।

श्री धरमलाल कौशिक :- जांच कमेटी कब गठित की गई है ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मैं देखकर बता देता हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप मुझे देखकर बता देंगे। अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब तक जमीन का धारा 11 के अन्तर्गत प्रकाशन नहीं होगा, उसका अवार्ड नहीं पारित किया जा सकता है। इसमें एस.डी.एम. ने अवार्ड पारित किया है और जिस एस.डी.एम. ने अवार्ड पारित किया है, वहीं जांच कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो जांच समिति के अध्यक्ष वहीं हैं जो गलती करने वाले हैं।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- कौन बोल रहा है कि वह जांच कमेटी के अध्यक्ष हैं। मैंने बताया कि ए.डी.एम. हैं, एस.डी.एम. नहीं हैं। मैंने कहा कि ए.डी.एम. उइके की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई है। आप जिस एस.डी.एम. की बात कर रहे हैं, वे इसमें नहीं हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी आपने स्वीकार किया है कि कम जमीन गई है और ज्यादा भुगतान हुआ है। इसलिए मैंने आपको धन्यवाद दिया है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- नहीं, नहीं। कम जमीन और ज्यादा भुगतान की बात नहीं है। मैंने यह कहा कि गड़बड़ी की शिकायतें मिलीं, उसके आधार पर पटवारी को निलंबित किया गया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं आपका पढ़कर बता देता हूं। उत्तर 'ग' अरपा-भैंसाझार प्रोजेक्ट में निर्धारित जमीन से अधिक जमीन का मुआवजा भू-स्वामियों को दिया गया है। यह आपका उत्तर है। क्या आप अपने इस उत्तर को संशोधित करना चाहेंगे क्या ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- नहीं-नहीं, हमने जो उत्तर दिया है, वह मान्य है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो महत्वपूर्ण गड़बड़ी है, वह महत्वपूर्ण गड़बड़ी धारा 11 के अन्तर्गत प्रकाशन नहीं होना है और उसके बाद भी अवार्ड पारित हो जाना है।

अध्यक्ष महोदय :- उसकी पूरी जांच करें।

श्री धरमलाल कौशिक :- दूसरा, कम जमीन का ज्यादा मुआवजा दिया गया है। मैं अभी का एक मामला बता रहा हूं, मुंगेली का एक मामला आया, वहां नगर पालिका के सी.एम.ओ. के ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज हो गया, वहां बी.जे.पी. के जो अध्यक्ष हैं, उसके ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज हो गया। इंजीनियर के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हो गया। वह 25-50 लाख, एकाध करोड़ का मामला होगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- 17 लाख का मामला है।

श्री धरमलाल कौशिक :- 17 लाख का मामला है । यह तो 50 करोड़ और पूरी जांच करायेंगे तो अरबो का मामला है । आप जो जांच की बात कर रहे हैं, वह प्रमाणित है । इसमें आप उस स्तर से ऊपर या जो बड़े अधिकारी के स्तर से उसकी जांच करायेंगे और उसके खिलाफ में एफ.आई.आर. करायेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- आप जिससे कहेंगे, उससे जांच करायेंगे । यह बहुत सीरियस मामला है ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- ए.डी.एम. जो है, एस.डी.एम. से ऊपर होता है, उसमें तीन-तीन डिप्टी कलेक्टर और भी शामिल किये गये हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह सब उसमें शामिल है । एस.डी.एम. को वहां से हटाया नहीं गया है । माननीय मंत्री जी, जो एस.डी.एम. ने डिग्री पारित किया है, अवार्ड पारित किया है, आपने उसको हटाया भी नहीं है, वह वहीं है । वहां रहने के बाद में उस पर कैसे निष्पक्ष जांच होगी ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- पिछले महीना शिकायत मिली है, शिकायत के आधार पर जांच दल गठित किया गया है, सीमांकन के लिए एक कमेटी गठित की गई है....।

श्री धरमलाल कौशिक :- इसमें जरूरत ही नहीं है ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- क्यों, जरूरत क्यों नहीं है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि आपने खुद कहा है कि धारा 11 में उसका प्रकाशन नहीं हुआ है, अधिसूचित नहीं हुआ है । अधिसूचित नहीं हुआ है, उसको आपने पेमेंट कर दिया है । इसमें सीमांकन आपने लिखा है, पढ़ो आप ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- नेता जी आप यह बता दीजिए, सिर्फ आपका जो क्वेश्चन है, वह धारा 11 में प्रकाशित नहीं हुआ है, मुआवजा की जो बात कर रहे हैं, उतना है या कुछ लोगों का मुआवजा छूट गया है उनको दिलाना भी है । जो शिकायतकर्ता है, उनकी भरपाई कैसे होगी । जो शिकायतकर्ता है, उनकी शिकायत है कि मुआवजा हमको मिलना था और हमको नहीं मिला । जिस आदमी को मुआवजा मिलना चाहिये, मानलो नहीं मिल पाया, त्रुटि हुई है, पहले उसकी जांच तो हम करायेंगे । बिना जांच के किसी को कैसे साबित कर देंगे ?

श्री धरमलाल कौशिक :- मेरा यह कहना नहीं है । आप धारा 11 पढ़ लीजिए। जो जमीन अधिसूचित ही नहीं हुआ है, उसका मुआवजा ए बी सी डी किसी को दे दो । बिना अधिसूचित किये उसका अवार्ड जो पारित किया गया है, वह नियम के अनुकूल है क्या

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मैंने बताया ना कि पटवारी ने गलत प्रतिवेदन दिया है..।

श्री धरमलाल कौशिक :- अवार्ड पारित किसने किया, एस.डी.एम. ने । अवार्ड पारित जिसने किया, जब तक वह बैठे रहेगा, निष्पक्ष जांच कैसे होगा । इसलिए एस.डी.एम. को तत्काल वहां से हटाईये ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- एस.डी.एम. के ऊपर ए.डी.एम. होता है ...।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं एस.डी.एम. की बात नहीं कर रहा हूँ । जहां पर जो अधिकारी बैठा हुआ है, उसकी जांच वहां पर निष्पक्ष कराने के लिए उसको हटाना और दूसरी बात मेरा यह कहना है कि यहां प्रदेश स्तर के अधिकारी से इसकी जांच करायेंगे, निष्पक्ष जांच होगा, नहीं तो बड़े-बड़े लोग इसमें

शामिल है, उसमें ठेकेदार शामिल है, भू-माफिया शामिल है, उसको संरक्षण देने वाला शामिल है, उसका निराकरण करना संभव नहीं है ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- ठेका आपकी सरकार ने दिया था, काम आपके सरकार के समय शुरू हुआ, समय पर यह योजना पूरी हो गई होती तो यह नौबत नहीं आती । पहले तो आप उस चीज को सोचिये ना । इसमें इतना लम्बा समय क्यों लगा ।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह तो गंभीर मामला आया है ना ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मामला अभी पकड़ में आया ।

श्री धरमलाल कौशिक :- बैराज का मामला आया होता, हमारी सरकार की योजना है, उसको हम बताये रहते ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अगर गड़बड़ियां हुई है, गड़बड़ियां शुरू हुई है तब तो आज पकड़ में आई है ।

श्री धरमलाल कौशिक :-चलो, मैं आपको बता देता हूँ । जिनका प्रकाशित किया गया है, अधिसूचित किया गया है, उस जमीन को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद में लाईन को चेंज कर दिया । यही तो उसमें गलती है ।

अध्यक्ष महोदइय :- शुरू से जांच होगी ना ।

श्री धरमलाल कौशिक :- शुरू का नहीं है । जो संकरी की बता रहे हैं ना, वहां की बात है । शुरू का नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय:- आपके क्षेत्र का मामला है, उसके लिए आप विशेष रूप से आपसे चर्चा करके जैसा चाहते हैं, वैसा जांच संस्थापित कर देंगे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- यदि निष्पक्ष जांच करानी है तो एस.डी.एम.को तत्काल वहां से हटानी है । हटाने के बाद में प्रदेश स्तर के अधिकारी की टीम बनाकर जांच कराईये । बस इतनी मांग है ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ए.डी.एम. की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई हुई है । उसमें तीन-तीन डिप्टी कलेक्टर और एस.डी.एम. है । उसमें वह एस.डी.एम. नहीं है । आपने पहले कहा, जिसके खिलाफ जांच है, उसी को कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है, वह नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- बैठकर आप समझा दीजिएगा ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ । आपको धन्यवाद दिया है कि आपने उसको स्वीकारा । मेरा कहना यह है कि एस.डी.एम.को वहां से जब तक नहीं हटायेंगे, उसकी जांच प्रभावित होगी । इसलिए एस.डी.एम.को तत्काल वहां से हटाना चाहिये ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री जयसिंह अग्रवाल :- आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जांच प्रभावित नहीं होगी । एस.डी.एम. मालिक नहीं है, उसके ऊपर ए.डी.एम. है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, आपकी पूरी सरकार है । आप निश्चिंत रहिये ।

अध्यक्ष महोदय:- आप निश्चिंत रहिये, राजस्व मंत्री जी बड़े-बड़े अधिकारी को टांगने में समर्थ हैं । जिसको कहो, आप टांग देंगे ।

श्री सौरभ सिंह :- राजस्व मंत्री जी सक्षम है, यह हम जानते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक 6 ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें नहीं होगा । प्रश्न क्रमांक 6 में आप कर लिजिएगा । दूसरा प्रश्न कैसे आयेगा, संकरी के अलावा । संकरी के अलावा दूसरा प्रश्न कैसे आयेगा ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्षनपुर व्यपवर्तन अरपा-भैंसाझार योजना है, इसमें एक किसान का दो जगह स्वीकृत हो गया है और इसी अरपा-भैंसाझार परियोजना में लगभग 150 किसान हैं, उनकी जमीन 10 साल से अधिग्रहित की गई है और अब वह जमीन की आवश्यकता नहीं है। वह उस जमीन को फिर से चाह रहे हैं कि उनको मिल जाये। उनको मुआवजा भी नहीं मिला है और उनकी जमीन कट चुकी है। वह चार गांव हैं, तखतपुर विधानसभा के भाडम, लमेर, गौबन, खरगहना के लगभग 150 कृषक हैं जिनकी जमीन अधिग्रहित की गई थी लेकिन दूसरा जो लक्षनपुर व्यपवर्तन है, उसमें वह जुड़ गया है। राईट केनाल उस जमीन में नही जायेगी।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- उस पर आप अलग से उनसे आवेदन दिलवा दीजियेगा। उसको मैं दिखवा लूंगा।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी चलिये जल्दी समाप्त करें।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं तो शुरूआत नहीं किया हूं। आपकी कृपा मेरे ऊपर नहीं रहती है, अध्यक्ष महोदय जी आप जल्दी-जल्दी करवा देंते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- जल्दी करिये न।

<u>मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र में संचालित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रावास</u>

6. (*क्र. 700) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कितने छात्रावास कहां-कहां संचालित है? उक्त छात्रावास मे बालक/बालिकाओं की कितनी-कितनी संख्या है?

(ख) प्रश्नांश "क" अनुसार उक्त छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक एवं वार्डन के कितने पद स्वीकृत व कितने पद रिक्त है? कृपया छात्रावासवार जानकारी देने का कष्ट करें? (ग) उक्त छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं को देय सुविधाओं पर कितनी राशि व्यय होती है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जाति के 10 एवं अनुसूचित जनजाति के 02 छात्रावास संचालित है. संचालित छात्रावासों की स्थानवार एवं बालक/बालिकाओं की स्वीकृत सीट्स संख्या सहित जानकारी † संलग्न[3] परिशिष्ट पर दर्शित है.कोविड-19 संक्रमण के कारण शिक्षण सत्र 2020-21 एवं चालू सत्र में छात्रावासों का संचालन नहीं हो रहा है.(ख) उक्त छात्रावासों में 12 छात्रावास अधीक्षक/वार्डन के पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 04 पद रिक्त है. छात्रावासवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 04 एवं 05 पर दर्शित है. (ग) जानकारी निम्नानुसार है :—

- प्री. मैट्रिक छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों के लिए प्रति छात्र प्रतिमाह रु. 1000/- के मान से सम्पूर्ण शिक्षा सत्र के लिए 10 माह 15 दिन के आधार पर राशि रु. 10,500/- शिष्यवृत्ति स्वीकृत की जाती है.
- पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को प्रति छात्र प्रति माह रु. 700/- के मान से सम्पूर्ण शिक्षण सत्र के लिए 10 माह के आधार पर रुपये 7,000/- भोजन सहाय हेतु स्वीकृत की जाती है.
- स्वास्थ्य तन-स्वस्थ मन योजना अंतर्गत अनुबंधित चिकित्सकों को प्रति छात्रावास प्रति विजिट 750/- का प्रावधान है.
- कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग योजना अंतर्गत प्रशिक्षक को माध्यमिक एवं हाईस्कूल शिक्षण के लिये रुपये 1,500/- एवं हायर सेकेण्ड्री कक्षा शिक्षण हेतु रु. 2,000/- मासिक पारिश्रमिक दिया जाता है.

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे एरिया अनुसूचित जाति का एरिया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रावास हैं। आपके विभाग के द्वारा इतनी अव्यवस्था की गई है कि वहां करोड़ों रुपये का कॉलेज के बगल में छात्रावास बनाया गया है। विभाग का ऐसा नजरिया था कि विभाग के द्वारा इतना अव्यवस्था बनाकर रखी गई कि वह भवन जर्जर हो गया है। आज वहां पर एक भी छात्रावास नहीं हैं। वहां पर एक भी छात्र नहीं रहते हैं। मैंने प्रश्न किया है कि उक्त छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं को देय सुविधाओं में

[3] परिशिष्ट- तीन

कितनी राशि व्यय होती है तो माननीय मंत्री जी आपने जो उत्तर दिया है, पोस्ट्र मेट्रिक बालक छात्रावास में आपने कितनी राशि खर्च की है ? उसके कारण करोड़ों रुपये की सरकार संपत्ति खत्म हो गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं का भविष्य अंधेरे में हो गया।

अध्यक्ष महोदय :- यह छात्रावास भवन कब का बना हुआ है ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वह भवन कब बना है।

अध्यक्ष महोदय :- इस तरह से सवाल तो पूरे प्रदेश में होंगे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल मस्तुरी का ही बोला हूं। मेरा एक ही प्रश्न है। यह छात्रावास भवन कब बना है ? विभाग के अधिकारियों को कितने सुझाव देते हैं, कितनी शिकायतें करते हैं। लेकिन विभाग के अधिकारियों का नजरिया उस अनुसूचित जाति के छात्रावास की व्यवस्था बनाने में नहीं लगा रहता है। इसका परिणाम यह है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति के जहां-जहां छात्रावास हैं, वह बहुत जर्जर स्थिति में हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप इस भवन का क्या उपयोग करेंगे ? इसको कैसे सुधारेंगे ? अध्यक्ष महोदय जी, आप अनुसूचित जाति के पक्षधर हैं।

अध्यक्ष महोदय :- इसीलिए बोल रहा हूं कि जिन लोगों ने ऐसा गलत काम किया है उसको सीधा निलंबित करने की मांग करिये।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री का थोड़ा सा जवाब आने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- उनको निलंबित करने की मांग करिये न।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो भवन अनुपयोगी हो गया है, अब उसका क्या उपयोग करेंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कृष्णमूर्ति बांधी जी ने प्रश्न किया था कि मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने छात्रावास कहां-कहां संचालित हैं ? उसको मैंने बता दिया। उसके बाद प्रश्न किया है कि उक्त छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक एवं वार्डन के कितने पद स्वीकृत व कितने पद रिक्त हैं, उसकी भी मैंने जानकारी दे दी है। आपके प्रश्न में जर्जर छात्रावासों की स्थिति के संबंध में कहां बात आई है। वह भवन कब बना है, इसमें आपने कहां लिखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इसमें उद्भूत नहीं होता है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बता दें कि पोस्ट मेट्रिक छात्रावास कहां पर लग रहा है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आपने संख्या पूछी है, मैंने संख्या बता दिया है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं की सुविधाओं की बात कर रहा हूं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- यह कब बना, आप भी मंत्री थे, अपने विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन से छात्रावास हैं, उसमें गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं हो रहा था तो आप वहां पर क्या रहे थे ? आपने संख्या की जानकारी पूछी थी, वह मैंने बता दिया।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आप प्रश्न पढ़ लीजिए कि मैंने छात्रावास में रहने वाले छात्र/छात्राओं की देय सुविधाओं एवं व्यय के संबंध में पूछा है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं पक्ष और विपक्ष दोनों विधायकों से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे वह प्रश्न दें या ध्यानाकर्षण दें, उसको पढ़कर दें, टाईप किये पर दस्तखत करके यहां न भिजवायें। इससे विधानसभा सचिवालय को भी परेशानी होती है, प्रश्नकर्ता को भी परेशानी होती है। आप लोग अपने-अपने प्रश्नों और ध्यानाकर्षण की एक-एक लाईन का समझने के बाद यहां डालें। ठीक है।

डॉ कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय मंत्री जी, आप ये बता दीजिए एक तो जिन लोगों के कारण ये अव्यवस्था हुई, जर्जर हो गया । आज वहां पर कोई छात्र नहीं रहते। क्या वह दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के ऊपर आप कार्यवाही करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- आप उनको ले जाओ न यार घुमाओ अपने क्षेत्र में, क्यों नहीं ले जाते।

डॉ. कृषणमूर्ति बांधी :- वे जाते नहीं। कई बार मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे बात-चीत कर चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय :- बुलाओ उनको।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मस्तूरी विधासभा क्षेत्र में जो बालक छात्रावास है, 100 सीटों का। उसमें 100 बच्चे हैं । अनुसूचित जाति के बालकों के लिये 300 सीटों का छात्रावास है। उसमें 261 बच्चें सेंट्रल से स्वीकृत रह रहे थे और कन्या छात्रावास में 200 सीट का है उसमें 175 का एनरोलमेंट था। चूंकि अभी कोरोना काल में बन्द है। इसलिये अभी कोई उसमें नहीं रह रहा है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय जी, जो भवन है वह खत्म हो चुका है, जर्जर हो गया है वहां पर हास्टल नहीं लग रहा है, संचालित नहीं हो रहा है। आप जवाब दे रहे हैं लेकिन भवन की स्थिति जर्जर हो गयी है।

श्री अमरजीत भगत :- देखिये एक चीज है, बांधी जी अगर मंत्री जी से उत्तर चाहिए तो दिमाग से आपको प्रश्न करना पड़ेगा। संख्या जानते हैं लेकिन आपकी स्थिति जर्जर हो गयी है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- संख्या बता रहे हैं जबकि छात्रावास में छात्र नहीं रहते। मेरा एक ही प्रश्न है कि उस अव्यवस्था के कारण, वहां के देखरेख के कारण छात्रावास समाप्त हो गया, भवन जर्जर हो गया है।अब उस पर कार्यवाही करना और दूसरा वह भवन जो है जो कई एकड़ में बना हुआ है करोड़ों रूपये से लेकर बना हुआ है अब उसका उपयोग क्या करेंगे ये बताइये।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चलिये उसको देख लीजिएगा।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसको देख लूंगा उसकी जांच करा लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. रमन सिंह जी।

<u>प्रदेश में स्वामी आत्मानंद जी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का संचालन</u>

7. (*क्र. 394) डॉ. रमन सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए प्रदेश में किन-किन स्थानों पर स्वामी आत्मानंद जी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना के तहत अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रारंभ किया जा रहा है? (ख) क्या इस योजना अंतर्गत प्रारंभ किये गये समस्त विद्यालयों का ष्टख्स्श्व के तहत पंजीयन किया जा चुका है. (ग) यदि नहीं, तो किन-किन विद्यालयों का पंजीयन नहीं हो पाया है? क्या अपंजीकृत विद्यालयों में भी विद्यार्थियों को भर्ती किया गया है? (घ) शिक्षकों एवं अन्य अमला की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति की क्या स्थिति है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" में दर्शित है. (ख) जी नहीं. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" में दर्शित है. जी हां, इन विद्यालयों में सी.जी. पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन हेतु विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है. (घ) शिक्षकों एवं अन्य अमला की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के विद्यायल के संचालन से संबंधित है। एक अच्छा प्रयास जिसमें इंग्लिस मीडियम स्कूल हर विकासखंड में खोला जाए। ये प्रयास और सोच अच्छी है। मगर इस 170 स्कूल खोल दिये गये और 170 स्कूल खोलने के बाद जो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने शैक्षणिक और कितने अशैक्षणिक पदों का सृजन किया गया है यानि कि सेटअप क्या है इसका आप 170 स्थान में खोले हैं और उसके सेटअप के बारे में जानकारी है आपको। और नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति की अर्हता क्या है चयन का? बा दो विषय में पहले जानकारी दें दें।

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉ. रमन सिंह जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और अंग्रेजी माध्यम के जो हमने स्कूल खोले हैं और 171 पूरे प्रदेश में, सभी विधानसभा क्षेत्र में खोलने का प्रयास किया गया है और इसकी लगातार इसकी मानिटरिंग भी हम लोग कर रहे हैं और इसकी पॉपुलेरिटी। इतना तक की अभी इसमें प्रवेश के लिये पूरा मारा मारी है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, ये तो उसका सेटअप पूछ रहे हैं। आप सेटअप बता दीजिए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुल पद है। सभी में 5598 ये शैक्षणिक है और हम लोग इसमें प्रतिनियुक्ति पर व्यवस्था हमने उसमें भेजने का प्रयास किया है । जो भी हमारे विभाग में उस युक्ता के जो लोग हैं उसको हम भेजेंगे और उसमें नहीं मिलते लेकिन अगर मिलते हैं तो संविदा में वहां पर नियुक्ति की जाएगी। सभी कलेक्टरों को भी निर्देश दिया गया है कि आप अपने समिति में जो उस योग्यता के लोग रहते हैं उनकी समिति से नियुक्ति के लिये करें ताकि पढ़ाई अच्छी हो सकती है और जिस उद्देश्य से ये किया गया है और इसकी काफी लोकप्रियता भी बढ़ी है कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में क्योंकि वहां गरीब बच्चे भी आ सकते हैं। ये हम लोग ने पूरा प्रयास किया है।

डॉ. रमन सिंह :- मेरा प्रश्न वह है ही नहीं जो आप बताना चाहते हैं। मैंने तो बहुत छोटा प्रश्न किया है अभी तो शुरूआत में ही प्रश्न किया उसी में आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपने जो 171 स्कूल खोल दिये बधाई दिया मैंने अच्छी बात है। उसमें सेटअप क्या है, और उसके साथ साथ नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति की अर्हता क्या है ? ये दो विषय को समझा दीजिए बहुत छोटा प्रश्न है उसके बाद मैं आगे प्रश्न करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- इनका प्रश्न सीधा-सीधा है कि सेटअप क्या किया है आपने।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- नहीं, मैंने कहा कि दोनों प्रकार से भर्तियां हो रही हैं। एक तो प्रतिनियुक्ति में हो रही है और संविदा में भी हो रही है।

अध्यक्ष महोदय :- वह तो मुझे मालूम है डॉ. साहब कि उसमें नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति का, एक मिनट। जो अंग्रेजी जानता हो, जो अंग्रेजी समझता हो उसी को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाना है ऐसा निर्देश दिया गया है, जहां तक मुझे जानकारी है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- नहीं, और जो संविदा नियुक्ति भी होगा। उसमें ये था कि जो थ्रु आउट अंग्रेजी माध्यम से जो पढ़ा हो पहली से लेकर आपका ग्रेजुएट तक उनको क्योंकि अगर अंग्रेजी माध्यम से स्कूल खोला जा रहा है तो उनका परिवेश भी इसी ढंग से होना चाहिए कि अंग्रेजी माध्यम से उसकी पूरी पढ़ाइ हो। ऐसे लोगों को उसमें चयनित करेंगे ताकि जो वहां पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वह अग्रेजी बोल सकें और देख भी सकें।

अध्यक्ष महोदय :- आप दोनों डॉक्टर हैं दोनों सेटअप पर अटके हुए हैं वह सेटअप पूछ रहे हैं और आप सेटअप नहीं बता रहे हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारा स्कूल था, चाहे हमारा हाई स्कूल था या हायर सेकेण्डरी स्कूल था, वही हमारा सेटअप है, उसमें जो भी नियुक्तियां, जो भी सेटअप है, हम लोग कोई अलग से तो सेटअप नहीं बनाये हैं उसी को हम लोगों ने अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया है।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय,170 नये स्कूल खोलने की घोषणा हो गई, वह स्कूल खुल गये और कोई सेटअप नहीं है। प्रत्येक स्कूल में कितने पद होंगे ? मैंने वहां शैक्षणिक और अशैक्षणिक कितने पद स्वीकृत हुए हैं यह बहुत साधारण सवाल है आप उसको 70 से गुण कर दें, वहां 40 है, 50 है उसको धीरे से बता दें और नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति की अर्हता क्या है ? किस आधार पर नियुक्ति करेंगे ? यदि आप रेग्युलर भर्ती कर रहे हैं या प्रतिनियुक्ति पर ले रहे हैं, उसके मापदण्ड क्या हैं ? यह तो बना होगा, बिना उसके बने, छत्तीसगढ़ में 170 स्कूल इतना बड़ा स्कूल कैसे स्थापित हो जाएगा ? जब शिक्षा मंत्री को सेटअप नहीं मालूम। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हर बात का जवाब क्यों देंगे ? आप उनको डांटिए, समझाईये।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं-नहीं।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम ऐसे छोटे-छोटे विषय की जानकारी जो मूल प्रश्न है यदि इस विधान सभा में उसका भी जवाब नहीं मिलेगा तो आगे का प्रश्न जो मैं बनाकर रखा हूँ, मैं उस पर कैसे पहुंच पाऊंगा। आप सेटअप के बारे में कम से कम जानकारी रखें। दूसरा साल हो गया है और शिक्षा मंत्री को सेटअप के बारे में मालूम नहीं है, अर्हता क्या है इसके बारे में मालूम नहीं है, रेग्युलर नियुक्ति, संविदा से कितनी हो रही है इसका रेश्यो बता दीजिए, प्रतिशत बता दीजिए ? हम इतना प्रतिशत रेग्युलर भर्ती कर रहे हैं या पूरे के पूरे पुराने सेटअप में छत्तीसगढ़ से लोगों को लेकर, आकर उस स्कूल में डाल देंगे, आप नई भर्ती नहीं करेंगे, नया सेटअप नहीं करेंगे। हम 170 को 40 से गुणा करें तो 6 हजार, 5 हजार पद होते हैं तो क्या 5 हजार पद शिक्षा विभाग के मूल विभाग से लाकर, समाहित करेंगे तो बाकी स्कूलों का क्या होगा ? जहां से आप 5 हजार छात्रों को निकालेंगे। वह इंग्लिश जानने वाले, यह इंग्लिश मीडियम है आपका सी.बी.एस.सी. से एफिलेशन नहीं है, आपका सी.जी बोर्ड है। मेरे प्रश्न का मूल विषय यह था कि आप सी.बी.एस.सी. से करें। आप इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर में लाना चाहते हो, एक ग्लोबल जो सोच हैं उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हमारे छात्र ऐसे निकलें कि उनकी पहचान बने।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय यह है कि असमानता क्यों है? आप ट्रायबल क्षेत्र से आते हैं जहां स्कूल नहीं है, जहां इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है इसमें प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि बस्तर से सरगुजा तक के स्कूलों में जहां इंग्लिश मीडियम के एक भी स्कूल नहीं हैं। वहां एक-एक ब्लॉक में 4-4 स्कूल खोल दें तो कोई आपत्ति नहीं है मगर आप पाटन में 6 स्कूल खोलते हैं शहरी क्षेत्र, भिलाई, दुर्ग, पाटन के क्षेत्र में स्कूल खोलते हैं और बाकी मैदानी इलाके में एक भी स्कूल नहीं देते हैं। इस प्रदेश में कितने से ऐसे ब्लॉक हैं जहां एक भी स्कूल नहीं खोले गए हैं। उसकी संख्या बताईये ? और अधिकतम आप कितने स्कूल खोल सकते हैं आप स्कूल खोलिए, आप सरकार में है जितना स्कूल खोल सकते हैं मगर प्राथमिकता तो यह तय कर दीजिए कि ट्रायबल में जहां इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है

जहां पर लोगों का मतांतरण हो रहा है वहां पर आप क्या ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलेंगे ? और जहां एक भी स्कूल नहीं खोल हैं वहां भी स्कूल खोलेंगे। आप सेटअप मत बताईये, चलिए छोड़ दीजिए, आप अर्हता मत बताईये।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों का पूरा प्रयास यह है कि हर विधान सभा क्षेत्र के हर ब्लॉक में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जाए। हम लोगों ने जो 171 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला है उसमें सभी ब्लॉकों में ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है जहां पर इंग्लिश मीडियम के स्कूल का संचालन नहीं हुआ है।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नाम भी बता देता हूँ। आप यह नोट कर लीजिए। खैरागढ़ विकासखण्ड के ब्लॉक में एक भी स्कूल नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे ब्लॉक की सूची है एक याद है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे विकासखण्ड छूटे हुए हैं एक जगह आप 6 और 8 स्कूल खोल रहे हो और एक जगह एक भी स्कूल नहीं खोल रहे हो, यह असमानता क्यों है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि हर ब्लॉक में स्कूल खुले। जहां अगर स्कूल नहीं खुला है तो वहां भी हम लोग स्कूल खोलेंगे। जहां तक सवाल सेटअप का है तो हम लोगों ने सेटअप में तय किया है कि हर स्कूल का, उसमें कम से कम 43 पदों का सेटअप हो, उसमें प्राचार्य प्रतिनियुक्ति पर भेज रहे हैं और उसमें जो लेक्चरर जो होंगे, वह थ्रू आउट जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई किये होंगे, उनको उसमें लिया जाएगा। जो हम लोग संविदा में नियुक्ति करेंगे उसमें भी जो थ्रू आउट अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई किये होंगे, आपके के.जी. वन से लेकर बी.एस.सी. तक। उसको हम लोग लेंगे ताकि जो पूरा वातावरण रहेगा वह अंग्रेजी माध्यम का रहेगा और यह पहली बार आपके और हमारे पूरे प्रदेश में स्कूल खोला जा रहा है। यहां के सभी लोगों के लिए चाहे शेड्यूल एरिया के हों, चाहे शेड्यूल एरिया नहीं हो, हम सब जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

समय :

12:00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2019-20 के वित्त लेखे खंड-1 एवं खण्ड-2 तथा विनियोग लेखे छत्तीसगढ़ शासन

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2019-20 के वित्त लेखे खंड-1 एवं खण्ड-2 तथा विनियोग लेखे छत्तीसगढ़ शासन पटल पर रखता हूं।

(2) दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 01)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 01) पटल पर रखता हूं।

(3) दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त सामान्य, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 02)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त सामान्य, समाजिक व आर्थिक क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 02) पटल पर रखता हूं।

(4) दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 03)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के

नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 03) पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। ध्यानाकर्षण शुरू करें। आज की कार्यसूची में 27 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश ...।

<u>पृच्छा</u>

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने रेत को लेकर स्थगन दिया है। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में ...।

अध्यक्ष महोदय :- रेत का स्थगन तो कई बार आ चुका है1

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार दिया हूं। पूरे प्रदेश में रेत को लेकर हाहाकार है और जिस प्रकार से रेत माफियाओं के द्वारा सरकार के संरक्षण में अधिकारी लाचार हैं, कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- बरसात में रेत निकलता है क्या ?

श्री धरमलाल कौशिक :- एन.जी.टी. के सारे नियम का उल्लंघन हो रहा है। आज भी आप नदियों में जाएंगे तो सैकड़ों की संख्या में एक-एक जगह घाट में गाड़ियां लगी हुई है, आपके बलरामपुर के रेत को निकाल करके 80 हजार रूपये ट्रक के हिसाब से उत्तरप्रदेश में भेजा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- इस बरसात में।

श्री धरमलाल कौशिक :- अभी बरसात में।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपके रायपुर में पोकलैंड लगा हुआ है। 27 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लगभग 50 हजार ऊपर से गाड़ियां पर रेत को एकत्रित किया गया है, टीला बनाकर रखा गया है। इसके साथ रसनी, पारागांव, दरबारोड, करमंदी है, यह बहुत सारे गांव ऐसे हैं, जहां लगभग 10 करोड़ रूपए रेत का अवैध भंडारण किया गया है। जगदलपुर में ग्राम कलचा, गारावन, सेमरा, मारकेल इत्यादि। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर अवैध रेत का भंडारण किया गया है। इसी प्रकार से पूरे महासमुंद जिले में देखेंगे कि नदी के किनारे टीला का टीला बनाकर रखा हुआ है और वहां के पूर्व विधायक अग्नि चंदाकर ने भी तंग आ करके उन्होंने भी पत्र लिखा है लेकिन उस पत्र के ऊपर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, आरंग थाना, महिला श्रीमती शोभा कोल्हे है, उनका खसरा नंबर जमीन, 181, 84, 185, 196, 197 इतने जमीनों में रेत माफियाओं के द्वारा पूरा टीला बनाकर रख दिया है न वह खेती कर पा रहे हैं, उन्होंने थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाया है, कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी प्रकार से कांकेर जिला में चारामा, माहुद, बोधली, लखनपुरी है। ऐसे क्षेत्रों में रेत का काम हो रहा है। हमारे बिलासपुर जिले के अरपा नदी

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

में रेत बचा नहीं है, पोकलैंड लगाकर अभी खुदाई हो रही है। पूरे प्रदेश में लगभग यही स्थिति है। अधिकारियों की हिम्मत नहीं है कि वहां जाकर कार्रवाई कर सकें। लखनपुरी, कांकेर में जिस प्रकार से जिला सहायक खनिज अधिकारी के ऊपर जो मारपीट की घटना हुई है। जब सूरजपुर में अधिकारी पकड़ने गये तो जिला खनिज अधिकारी के साथ मारपीट हुई है और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। रेत की कीमत जहां, पांच हजार, दस हजार है, आज 15 हजार, 20 हजार रूपये खरीदने में मजबूर हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने स्थगन दिया है, पूरे प्रदेश में रेत माफिया सक्रिय हैं, अधिकारी उनके सामने लाचार हैं, सरकार के संरक्षण में अभी बरसात में जो 15 जून से 15 अक्टूबर में रेत का खनन नहीं होना चाहिए लेकिन खुलेआम हो रहा है इसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही है । जनता और बाकी लोगों में इसके प्रति रोष है । हमारे पास विस्तार से पूरे दस्तावेज हैं । यदि आप समय देंगे तो हम इसमें विस्तार से चर्चा करायेंगे । इस सरकार के नाक के नीचे और जिस प्रकार से अधिकारी दबे-कुचले टाईप के दिख रहे हैं यह बहुत लज्जा की बात है लेकिन रेत माफियाओं के ऊपर जो कार्यवाही नहीं हो रही है इसको लेकर हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इसे स्वीकार करें और ग्राह्य करायें, हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक प्रदेश में चर्चा होती थी तो चर्चा का विषय भू-माफिया, शराब माफिया होता था । नई सरकार के गठित होने के पश्चात् एक माफिया और बढ़ गया वह माफिया रेत माफिया है । आज पूरे प्रदेश में यह स्थिति बन गई है कि जो लोग किसी जमाने में केवल शराब के व्यवसाय में लगा करता था अब वे लोग रेत के व्यवसाय में भी लग चुके हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- इन बातों को कई बार कहा जा चुका है । उसी-उसी बात को मत कहिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से गांवों का उल्लेख आपके सामने किया गया है कि किस ढंग से अवैध भंडारण किया गया है । गांव का किसान, कोई व्यक्ति अपने ट्रेक्टर से घर उपयोग के लिये रेत लेकर आता है तो खनिज विभाग के अधिकारी कार्यवाही करते हैं और हजारों रूपये का फाईन करते हैं और गाड़ी पंद्रह दिन और महीने भर थाने में खड़ी रहती है लेकिन सरकार के संरक्षण में यह माफिया लाखों गाड़ियों का भंडारण कर चुके हैं । लगातार गांव वाले शिकायत कर रहे हैं कि अवैध भंडारण है आप कार्यवाही कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, आज समय बहुत ही निर्धारित और महत्वपूर्ण है । आप लोग जरूरत से ज्यादा समय नष्ट न करें । चलिये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । सामान्य जनता को जो चीज 5 हजार में मिलनी चाहिए वह 50 हजार में खरीदनी पड़ रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि हमारे स्थगन प्रस्ताव को आप ग्राह्य करें और इस पर चर्चा करायें ।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे 1 घंटे में 3 ध्यानाकर्षण लेने हैं, इसको आप समझिए।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले बहुत दिनों से इस प्रदेश में सरकार के द्वारा जो स्मार्ट कॉर्ड या हेल्थ कॉर्ड जारी होता है उसका कई निजी चिकित्सकों ने बहुत अधिक दुरूपयोग किया है । लाखों रूपये यानी सर्दी है तो उसमें भी 50 हजार रूपये निकाल लिये हैं । कई किस्म के आरोप लगे हुए हैं, आपने कई की जांच भी कराई है और उसी तरीके से कोविड में भी इसी प्रकार का काम हुआ है तो कृपा करके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- क्या रेत के बारे में है ?

श्री नारायण चंदेल :- हां, रेत के बारे में है ।

अध्यक्ष महोदय :- अब छोडिए न । हो गया । 1.00 बजे खत्म करना है । 3 ध्यानाकर्षण हैं ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते ।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया न । आप सब तो एक ही हैं ।

समय :
12:08 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में 27 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक - 22 (6) के तहत् शामिल किया गया है । विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम तीन ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे । उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा । लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा ।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।)

अध्यक्ष महोदय :- पहले क्रमांक (1) से (3) तक की सूचनाएं ली जावेगी ।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा जी । आप अपना ध्यानाकर्षण पढ़िए और उसके बाद केवल एक प्रश्न करेंगे ।

(1) जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा द्वारा फर्नीचर खरीदी में अनियमितता की जाना ।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा (बेमेतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर माननीय मंत्री जी का सदन के माध्यम से ध्यान आकर्षित करने का अवसर आपने मुझे दिया है और साथ ही साथ इस सदन में मेरा यह पहला अवसर है कि मैं किसी मुद्दे पर ध्यानाकर्षण करने जा रहा हूं । यदि मुझसे कुछ त्रुटि हो जाये तो मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है- जिला बेमेतरा के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में हाई स्कूल व हायर सेकेन्ड्री शालाओं में प्रयोगशाली सामग्री क्रय हेतु राशि आबंटित की गई । आबंटन के साथ में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय की आवश्यकता को नकारते हुये शालाओं को अपनी ओर से तीन सामानों का "कोटेशन" भी भेजा गया जिसमें सीमित साम्रगियों का उल्लेख था । इस कारण से विद्यालय अपनी गांव के अनुरूप विज्ञान सामग्री क्रय नहीं कर पाये । साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय के नाम से प्रयोगशाला सामग्री की खरीदी की गई है । जिस कारण विद्यालय के आवक/जावक पंजी में कोटेशन प्राप्त होने तथा मंगाये जाने की पंजी इंद्राज नहीं है ।

समय :
12:09 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा के द्वारा फर्नीचर क्रय हेतु प्राप्त आबंटन राशि 1,61,95,870/ (एक करोड़ एकसठ लाख पंचान्बे हजार आठ सौ सत्तर रूपए मात्र) की फर्नीचर खरीदी की गई है जबकि इस खरीदी में सी.एस.आई.डी.सी. के मानकों का पालन नहीं हुआ है । ना ही जिले में फर्नीचर क्रय की गुणवत्ता परीक्षण हेतु समिति बनाई गई । लोकल स्तर के सामानों का क्रय कर फर्नीचर खरीदी में भारी अनियमितता की गई है । जिससे पालकों एवं आम नागरिकों में शासन व प्रशासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बेमेतरा द्वारा वर्ष 2019-20 में जिला स्तर पर हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शालाओं हेतु प्रयोगशाला सामग्री एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली द्वारा दर अनुबंध के आधार पर अनुबंधित फर्म से निर्धारित स्पेशीफिकेशन एवं दर पर क्रय की गई। वर्ष 2020-21 में हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी शालाओं में प्रयोगशाला सामग्री क्रय हेतु राशि आबंटित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा आवंटन के साथ विद्यालयों को कोटेशन नहीं भेजा गया। विद्यालयों के द्वारा नियमानुसार निविदा

आमंत्रित कर अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही प्रयोगशाला सामग्री खरीदे गये। जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा के द्वारा फर्नीचर क्रय हेतु प्राप्त आवंटन राशि रू. 1,61,95,870/- की फर्नीचर खरीदी में सी.एस.आई.डी.सी. के मानकों को पालन किया गया। सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा निर्धारित एजेंसी से गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर जिले में गठित समिति द्वारा फर्नीचर क्रय की गुणवत्ता परीक्षण एवं भौतिक सत्यापन पश्चात् भुगतान की कार्यवाही गई गई। अत: पालकों एवं आम नागरिकों में शासन व प्रशासन के प्रति कोई आक्रोश व्याप्त नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य ध्यान दें। आपको एक ही प्रश्न करना है।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- सर, यह बहुत विस्तृत प्रश्न है और बहुत सारी गलत जानकारी इस सदन के माध्यम से मंत्री जी को गुमराह करके अधिकारियों के द्वारा दी जा रही है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपका संरक्षण प्राप्त हो। विस्तृत प्रश्न है। जनता से जुड़ा हुआ मामला है और रोज समाचार पत्रों में जिला शिक्षा..।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है, इसलिए आपको एक प्रश्न पूछना है।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- सर, क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण मामला है और जिला शिक्षा अधिकारी के जो क्रियाकलाप हैं, लगातार रोज समाचार पत्रों में आ रहे हैं, जिससे सरकार की बदनामी भी हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो बड़े दुर्भाग्य से मुझे बताना पड़ रहा है। मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। इसी विषय पर आज मेरा अतारांकित प्रश्न था। अतारांकित प्रश्न में यह पूछा गया था कि क्या इसकी अनियमितता की शिकायत की गई है क्या ? दुर्भाग्य से बताना पड़ रहा है कि मेरे द्वारा यह शिकायत की गई थी और अधिकारी इस प्रश्न के जवाब में यह जवाब देते हैं कि कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, जबकि यह शिकायत पत्र मेरे पास है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसे पटल पर रख सकता हूं। अधिकारियों के द्वारा गुमराह करके यहां गलत जानकारी दी जा रही है। यह पवित्र सदन है।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न पूछिए।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे जो प्रश्न है, वह इस प्रकार है। विज्ञान सामग्री जो क्रय की जानी थी, वह किसके माध्यम से क्रय की जानी थी ? क्या डी.ई.ओ. के माध्यम से क्रय की जानी थी या शालाओं के माध्यम से की जानी थी ? दूसरा, यह कि 3 ही फर्म पूरे जिले में लगभग 163 स्कूल हैं, जिसमें खरीदी की गई है और पूरे 163 स्कूलों में तीनों फर्म के माध्यम से क्यों कोटेशन लेकर खरीदी की गई और क्या उसमें फर्म नहीं आया या किस आधार पर वह खरीदी की गई है या किस आधार पर तीनों फर्म का ही कोटेशन स्वीकृत किया गया ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रयोगशाली सामग्री है, ये स्कूल की उपलब्धता और उसकी आवश्यकता के अनुसार ही उसमें खरीदी करते हैं और जो फर्म रहता है, कोटेशन के आधार पर वहां से खरीदते हैं, क्योंकि लोकल खरीदी होता है। तो उसकी कोटेशन के आधार पर खरीदी होती है, फिर उसकी जांच भी होती है।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय मंत्री जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें खरीदी के नियमों का, क्रय भण्डारण नियमों की अनदेखी करके खरीदी की गई। मैं आज भी आपको बता देता हूं कि बेमेतरा जिला शिक्षा कार्यालय में जो चन्नू डी.डी. आहरण वितरण केन्द्र है, जिसका डी.डी.ओ. कोड 2320011 है, जिसके अंतर्गत चन्नू, मई, मऊ, खामही, मौहरेंगा, नरी, तुमा यहां के स्कूलों में आज दिनांक तक सामग्री नहीं पहुंची और भुगतान भी हो चुका है। आप जांच करा लीजिए। मैं आपको कोट समेत बता रहा हूं। मैं स्कूलों का नाम दे रहा हूं। वहां आज तक विज्ञान की सामग्री नहीं पहुंची है और वहां संबंधित फर्म को भुगतान हो चुका है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदाबाजार) :- मंत्री महोदय जी, हमेशा ठेकेदार वहां यह बोलते हैं कि बंगला से आये हैं। अधिकारी लोग ऐसा बोलते हैं। तो वह भी क्लियर कर दें कि अधिकारी झूठ बोलते हैं या आपके बंगले से ठेकेदार आते हैं ? यही बता देते। अधिकारी लोग बोलते हैं।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय मंत्री जी, मेरी मांग है। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। जब से वहां वह डी.ई.ओ. पदस्थ है, तब से लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय, इसमें उत्तर दे रहे हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक की जो परेशानी है उसको समझ सकता हूं । एक तो विद्यालय में जो फर्नीचर खरीदी हुई है, उसमें..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो जांच समिति बननी चाहिए । सभी विधायक इससे प्रभावित हैं । इसमें विधान सभा की जांच समिति बननी चाहिए ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- छत्तीसगढ़ के सभी विधायक प्रभावित हैं, वे बोल नहीं रहे हैं । इसके लिए जांच समिति बनाई जाए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जांच समिति बननी चाहिए । सभी विधायकों के क्षेत्र में हो रहा है ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- जिला शिक्षा अधिकारी बोल रहे हैं कि बंगले से आये हैं । मंत्री जी जवाब दे दें कि वास्तव में बंगले से आते हैं या अधिकारी झूठ बोल रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- बैठिये, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- यह गंभीर मामला है, बंगले से आता है बोल रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- या तो जो अधिकारी ऐसा बोल रहे हैं उनको सस्पेंड करो ।

श्री नारायण चंदेल :- कौन सा बंगला ? (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- उपाध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में यही स्थिति है । यह बहुत गंभीर मामला है । (व्यवधान) सदन की कमेटी से आप जांच करवा दीजिए ।

श्री नारायण चंदेल :- तत्काल घोषणा कर दीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- बंगले से आदमी भेजा जाता है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी उत्तर तो दे रहे हैं, आप लोग बैठिये ना ।

श्रीमती रंजना डिपेन्द्र साहू :- जांच होनी चाहिए ।

श्री नारायण चंदेल :- और सदन की समिति हर बंगले में जाएगी ।

श्री धरमलाल कौशिक :- उपाध्यक्ष महोदय, यह तो और गंभीर आरोप है कि अधिकारी कहते हैं कि ठेकेदार मंत्री के बंगले में जा रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अधिकारी कोई नहीं बोल रहा है, आपके सदस्य बोल रहे हैं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नेताजी, आपको कैसे पता ठेकेदार इनके घर जा रहे हैं ?

श्री नारायण चंदेल :- इसके पहले बंगले का नाम कभी नहीं आया है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अरे, अधिकारी उनको बता रहे हैं तो हम क्या करें ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कोई प्रमाण है क्या ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- प्रूफ कर सकते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- झाड़ू भी बंगले से ठेकेदार भेजते हैं । यह बहुत शर्म की बात है । छोटा मोटा ठेका लोकल के आदमी को दे दो । या तो फिर अधिकारी झूठ बोल रहे हैं । झाड़ू तक को सप्लाई करवा रहे हो यह बड़े शर्म की बात है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- उपाध्यक्ष महोदय, बे-सिर पैर का आरोप है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, सभी विधायकों के क्षेत्र की स्कूलों में फर्नीचर जाता है । माननीय सत्ता पक्ष के विधायक कह रहे हैं कि बिना फर्नीचर गए, उसको पेमेंट हो गया । तो सभी विधायकों का हित इससे प्रभावित होता है, उनके क्षेत्रों में इस प्रकार की गड़बड़ी चल रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप सुन लीजिए । यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह सत्ता पक्ष के माननीय विधायक कह रहे हैं कि फर्नीचर पहुंचा नहीं और पेमेंट हो गया ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, उत्तर दे रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उत्तर क्या ? इसमें सदन की जांच समिति बननी चाहिए क्योंकि यह गंभीर मामला है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर दे रहा हूं इसका ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्या उत्तर आएगा ? अरे, विधायक आरोप लगा रहा है, इसका उत्तर क्या होगा ?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- बिना समान दिये, पैसे ले गया, पहले इसको सस्पेंड करना चाहिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- इसके पहले इसी सदन में फर्नीचर क्रय के मामले में जांच समिति बन चुकी है । आप ही संसदीय कार्यमंत्री थे उस समय भी । सत्ता पक्ष का विधायक आरोप लगा रहा है तो सदन की जांच समिति बनाना चाहिए ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे रहा हूं । अगर विधायक जी ने किसी बात को कहा है कि वहां फर्नीचार की सप्लाई नहीं हुई है और भुगतान हो गया है तो मैं इसकी जांच करता हूं और वहां के जिला शिक्षा अधिकारी को संयुक्त संचालक कार्यालय दुर्ग में अटैच करता हूं ।

श्री अशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय मंत्री जी, मैं उसके निलंबन की मांग करता हूं । मेरे पास पूरे प्रमाण हैं ।

श्री नारायण चंदेल :- उन्होंने तो बंगले में अटैच करता हूं कह दिया ।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई एक सप्लाई का मामला नहीं है, उसके कार्यकाल में हुई सभी सप्लाई की जांच कराएंगे ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- उपाध्यक्ष महोदय, इस जांच में सब आ जाएगा । जांच होगी तो उसमें सब आएगा ।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- नहीं, मैं निलंबन की मांग करता हूं । अगर आप चाहें तो मेरे पास जितने प्रमाण हैं मैं सारे प्रमाण पटल पर रख दूंगा ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- उपाध्यक्ष महोदय, जांच होते तक उसको संयुक्त संचालक कार्यालय दुर्ग में अटैच और उसके बाद पूरी जांच होगी, अगर जांच में और तथ्य पाए जाएंगे तो आगे भी कार्रवाई होगी ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- ऐसे अधिकारी को तो फांसी में टांग देना चाहिए ।

श्री बृजमोहन अ्रगवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जांच की जरूरत ही नहीं है। अगर माननीय विधायक यहां पर किसी बात को कह रहे हैं कि फर्नीचर नहीं पहुंचा और उसका पेमेंट हो गया तो फिर उसके बाद बचता क्या है ।

श्री अशीष कुमार छाबडा :- ये समाचार पत्रों की कतरनें है । रोज इस विभाग के अधिकारियों के बारे में खबरें आती हैं । एक खरीदी नहीं, जितनी भी खरीदी हुई सबकी जांच होनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि उसको अटैच कराकर जांच करवाएंगे और जो भी तथ्य मिलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे । अब इसमें क्या बचा है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सदन से बड़ी कोई जांच समिति नहीं होती । यह सदन सबसे बड़ा है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी खुद सक्षम हैं, वे जांच करवा लेंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सदन में अगर विधायक बोल रहे हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ।

(2) बलौदाबाजार जिले में स्थापित श्री सीमेंट प्लांट में निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा के अभाव में दो मजदूरों की मौत होना

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा), (श्री नारायण चंदेल), (श्री प्रमोद कुमार शर्मा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है कि बलौदा बाजार जिले के खपरीडीह गांव में स्थापित श्री सीमेंट प्लांट के विस्तार का काम चल रहा है। उपरोक्त निर्माण कार्य के दौरान दिनांक 27 जुलाई, 2021 को नौ बजे क्रेन और निर्माण सामग्री के गिर जाने से दो लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गये। मृतक लोगों के परिजनों को अब तक कोई मुआवजा राशि नहीं दी गयी। मारे गये और घायल मजदूर प्रदेश के बाहर के रहने वाले हैं। घायलों का ईलाज रायपुर के निजी अस्पताल में हुआ है। संयंत्र द्वारा निर्माण के दौरान सुरक्षा के नियमों का कोई पालन नहीं किया जा रहा था, संयंत्र में दुर्घटना के दौरान सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। संयंत्र निर्माण के दौरान सुरक्षा नियमों की इस अनदेखी से और मजदूरों एवं श्रमिकों की जान को ताक पर रख के काम करने और श्रम विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा मौन रहने से जनता में रोष और आक्रोश व्याप्त है।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा(छ.ग.) के अंतर्गत कारखाना मेसर्स-श्री रायपुर सीमेंट प्लांट, (ए यूनिट ऑफ श्री सीमेंट लिमिटेड) ग्राम- खपराडीह, तहसील-सिमगा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) द्वारा निर्माणाधीन सीमेंट लाईन-03 के अंतर्गत **दिनांक 26.07.2021** को समय सायं लगभग **06.30 बजे** सन्निर्माण कार्यस्थल ब्लेंडिंग साईलों में टॉवर क्रेन द्वारा भू-तल से लोहे की सरिया के बंडल को लिफ्ट कर ब्लेंडिंग साईलों के भीतर रखे जाने हेतु शिफ्टिंग के दौरान कार्यरत कुल 02 श्रमिक श्री ब्रजेश नागवंशी, जिला बलरामपुर (छ.ग.) व श्री रामचंद्र राम, जिला-गढ़वा (झारखंड) की प्राणांतक दुर्घटना घटित हुई। उक्त दुर्घटना में अन्य 04 श्रमिक श्री तपेश्वर सिंग, श्री दिनेश नागवंशी, श्री संतोष पासवान व श्री विष्णुदेव पासवान घायल हुए है, जिनका उपचार चंदादेवी हास्पिटल, बलौदाबाजार में कराया गया है।

अत: यह कहना सही नहीं है कि उपरोक्त निर्माण कार्य के दौरान दिनांक 27 जुलाई 2021 को नौ बजे क्रेन और निर्माण सामग्री गिर जाने से 10 लोग घायल हो गये एवं आहत श्रमिकों का ईलाज रायपुर के निजी अस्पताल में हुआ है।

यह कहना सही नहीं है कि मृतक श्रमिक के परिजनों को अब तक कोई मुआवजा राशि नहीं दी गई है। अपितु वस्तुस्थिति यह है कि दुर्घटना में मृतक श्रमिकगण के आश्रितों को तत्काल सहायता राशि के तौर पर पृथक-पृथक कुल 01 लाख रूपये नगद राशि प्रदान की गई तथा प्रत्येक मृतक श्रमिक के

आश्रित को **राशि रूपये 16.50** लाख आर.टी.जी.एस. या चेक के माध्यम से प्रदान किये जाने की लिखित सहमति पत्र जिला प्रशासन की उपस्थिति प्रमुख नियोजक श्री रायपुर सीमेंट एवं ठेका कंपनी बिल्डमेट जिला प्रशासन की उपस्थिति प्रमुख नियोजक श्री रायपुर सीमेंट एवं ठेका कंपनी बिल्डमेट प्रा. लिमिटेड के द्वारा दी गई है। मृतक दोनों श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी) में पंजीकृत है जिनका पंजीयन क्रमांक क्रमश: **5917622499** एवं **5917604372** है। ई.एस.आई.सी के प्रावधानानुसार उक्त मृतक श्रमिकगण के आश्रितों को ई.एस.आई.सी के द्वारा नियमानुसार मासिक पेंशन प्रदान किया जावेगा।

उक्त दुर्घटना की जांच उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) द्वारा नियुक्त प्रवर्तन अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से किया गया है। जांच में यह पाया गया कि सीमेंट लाईन-03 के सन्निर्माण कार्यस्थल ब्लेंडिंग साईलों में टॉवर क्रेन (क्षमता 25 टन) द्वारा भू-ल से लोहे की सरिया (20 एम.एम.) के मटेरियल लोड/बंडल (भार लगभग 1.2 टन) को लिफ्ट कर ब्लेंडिंग साईलों के भीतर रखे जाने हेतु शिफ्टिंग का कार्य किया जा रहा था। मटेरियल शिफ्टिंग के दौरान टॉवरा क्रेन से मटेरियल लोड को बांधे गये वेब-स्लिंग (क्षमता 5 टन) के अचानक टूट जाने से उक्त मटेरियल लोड के लोहे के सरिया की उंचाई (भू-तल से लगभग 85 मीटर) से नीचे भू-तल पर तेजी से गिरने के कारण ब्लेंडिंग साईलों के भीतर निर्मित किये गये स्कैफहोल्डिंग पर भू-तल से लगभग 25 मीटर उंचाई पर कार्यरत श्रमिकों पर गिरा। सुरक्षा संबंधी प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने के कारण ब्लेडिंग साईलों में किये जा रहे परिनिर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से प्रतिषेध आदेश **दिनांक 27.07.2021** द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।

यह कहना सही नहीं है कि मजदूरों एवं श्रमिकों की जान को ताक पर रख के कार्य करवाये जाने एवं श्रम विभाग छ.ग. शासन व जिला प्रशासन द्वारा मौन रहने से जनता में रोष और आक्रोश व्याप्त है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं । उसमें दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, उस मृत्यु के लिए दोषी फैक्ट्री मैनेजर के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? श्री सीमेंट का फैक्ट्री मैनेजर कौन है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री सीमेंट के श्री पी.एस. छंगानी एवं प्रबंधक श्री राजेश कुमार विजय जी हैं । दुर्घटना के बाद स्थानीय पुलिस, सुहेला द्वारा दिनांक 29.07.21 को एफ.आई.आर. दर्ज. किया गया है ।

श्री सौरभ सिंह :- फैक्ट्री मैनेजर के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुआ है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हां ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो आदमी की मृत्यु में फैक्ट्री मैनेजर के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुआ है । 85 मीटर ऊपर से क्रेन से सरिया गिरने से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ।

अगर उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुआ है तो अच्छी बात है, पर फैक्ट्री मैनेजर के खिलाफ एफ.आई.आर. में धारा कौन सी लगी है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय श्रम कानून के अधिनियम के तहत इसमें श्रम अधिनियम है, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. का एक्ट है, अधिनियम संख्यांक 27 के तहत, उस पर 1947 के संख्यांक 14 के अधीन इसको केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देशित किया जाता है और इसका निरीक्षण भी उनके द्वारा किया जाता है । यह प्रोजेक्ट परियोजना है, निर्माण काम हो रहा है, उसकी सारी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार के ए.एल.सी. की होती है और उसके पंजीयन का भी काम उन्हीं के द्वारा किया जाता है, निरीक्षण भी उसके द्वारा किया जाता है और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसके द्वारा की जाती है । इसमें आई.पी.सी. की धारा 304 (ए) के तहत अपराध दर्ज किया गया है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्य सदस्यों का भी प्रश्न है ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा नाम भी है, मेरे विधान सभा के क्षेत्र का मामला है ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर विषय है और माननीय मंत्री जी जिस प्रकार से उत्तर दे रहे हैं कि केन्द्र सरकार और केन्द्रीय अधिनियम । मंत्री जी, इस राज्य में वह उद्योग स्थापित है, आपकी अनुमति से वह उद्योग स्थापित है । मजदूरों एवं श्रमिकों की मौत हो गई और उसको इतने हलके ढंग से लेना ठीक नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि श्रम सुरक्षा विभाग द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया और सुरक्षा के क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए ? दूसरा, माननीय मंत्री जी ने बताया कि उनके खिलाफ में एफ.आई.आर. दर्ज है । यह आपराधिक मामला है, हत्या का मामला है । यह मामला किस थाने में दर्ज है, क्या उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निर्माण श्रमिकों के पंजीयन का काम, जहां निर्माण हो रहा है, उनके पंजीयन का काम केन्द्र सरकार का है और केन्द्र सरकार के ए.एल.सी. ने उनका पंजीयन किया है । जब कारखाना चालू हो जाता है, तब हमारा फैक्ट्री एक्ट लागू होता है, तब हम उसके तहत कार्यवाही करते हैं । जो फैक्ट्री चालू है, निश्चित रूप से उसका निरीक्षण किया गया है, उसका नियमित निरीक्षण होता है । बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 2018-19 में 14 बार, 2019-20 में 12 बार, 2020-21 में 6 बार और 2021-22 में 4 बार निरीक्षण किया गया है ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय मंत्री जी, आप श्रम मंत्री हैं, वहां कारखाना चालू है । आप कहते हैं कि अभी उसका काम चल रहा है । कारखाना चालू हालत में है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको पूरी जानकारी नहीं है । कारखाना चालू है, उसकी दो लाईन बनी हुई है, उसमें काम चल रहा है । यह तीसरी सीमेंट फैक्ट्री का नया निर्माण

हो रहा है । नये निर्माण का अधिनियम केन्द्रीय कारखाना अधिनियम के अंतर्गत आता है इसलिए केन्द्रीय श्रम विभाग के अंतर्गत ही इसमें कार्यवाही होती है और उसके लिए केन्द्र सरकार के ए.एल.सी. अधिकृत हैं ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो, आपके विभाग ने इसके लिए कोई ठोस नीति बनाई है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह की घटना होती है तो जाकर उसका निरीक्षण करते हैं और दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है। हमारे श्रम अधिकारी, जिला कलेक्ट्रेट के अधिकारी तथा केन्द्रीय श्रम कानून के तहत जो विहित अधिकारी होते हैं, जो सेन्ट्रल के ए.एल.सी. है, उनके द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया है, और जो काम चल रहा था, उसको बंद करा दिया गया है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में 6 बड़ी-बड़ी सीमेन्ट प्लांट हैं। मेरा यह कहना है कि जब इनका शासन के साथ एम.ओ.यू. होता है तो उसमें यह कहा जाता है कि हम क्षेत्र के 75 प्रतिशत युवा बेरोजगार को रोजगार देंगे। मैं माननीय मंत्री जी बताना चाहूंगा कि बलौदाबाजार क्षेत्र के आसपास के पूरे बेरोजगार लोग खाली घूम रहे हैं। दुर्घटना में एक झारखण्ड का व्यक्ति है। क्या हमारे छत्तीसगढ़ के लोग शटडाऊन में काम नहीं कर सकते हैं ? शट डाउन में काम कराने के लिए भी बाहर से लेबर लेकर आते हैं। नये निर्माण में भी कम से कम लोकल लोगों को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। क्या हमारे पास, शासन के पास यह नियम नहीं है ? जमीन हमारा, क्षेत्र हमारा, गांव हमारा है, हम लोग प्रदूषण झेल रहे हैं तो बाहर बिहारी, बंगाली लोगों यहां आकर क्यों काम करेंगे ? क्या हमारे लोकल छत्तीसगढ़ के भाईयों का काम करने का हक नहीं बनता है ? मैं यह निवेदन करूंगा कि आप एक प्रस्ताव पारित करें और एक ऐसा नियम निकालें चाहे शट डाउन में काम हो या निर्माण कार्य में काम हो, हमारे लोकल लोगों को काम मिलें, मैं आपसे श्रम अधिनियम के तहत काम करता हूं, आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न पूछिये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वही तो मेरा प्रश्न है कि लोकल लोगों को नौकरी में रखें।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बैठिये, बैठिये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जब हम छत्तीसगढ़ के लोग बिहार, बंगाल काम के लिए बाहर जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, वहां छत्तीसगढ़ियां लोगों को काम नहीं करने दिया जाता है। वहां से भगा देते हैं। लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ का एरिया बहुत सीधा है, यहां बाहरी लोग, बिहारी, बंगाली, गुजराती, मराठी सब लोग काम करते हैं,

लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। मंत्री जी से निवेदन है कि श्रम अधिनियम में भी लिखा हुआ है, आप ऐसा कानून पारित करें हमारे क्षेत्रीय लोगों को प्राथमिकता मिले, माननीय मंत्री जी, आप दिशा-निर्देश देवें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आलरेडी नियमों में प्रावधान है, 90 प्रतिशत छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही नौकरी में लगाने का प्रावधान है। यह हमारी इण्डस्ट्रियल पॉलिसी में भी है और हमने हमारे लेबर कानून में भी प्रावधान किया है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय मंत्री महोदय, एक निवेदन है कि आप वहां जांच करा लेते।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जवाब तो सुन लें। जब फैक्ट्री चालू हो जाही तो ओमा हमर स्थानीय मन ला 90 प्रतिशत तक रखने के प्रावधान हे।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय मंत्री महोदय, चालू हो गय हे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जवाब सुन ना भाई। कहीं कोई दिक्कत हे, कहीं 90 प्रतिशत कम रखे गय हे, तो हमन ओला लायसेंस ही जारी नइ करन।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अभी जितना फैक्ट्री चालू हे ओमा 90 प्रतिशत स्थानीय मन नौकरी मा नइ हे। एखर जांच कराय जाय कि वहां केतका लोकल अउ केतका बाहरी लोग हे, का एखर आप जांच करा सकत हन का ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हां, अगर इस तरह से कहना है तो निश्चित रूप से दिखवा लेंगे,

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुःखद घटना हुई है। दुर्घटना में 2 श्रमिक मर गये हैं और 10 लोग घायल हैं। माननीय मंत्री जी ने मुआवजे का उल्लेख किया है कि साढ़े सोलह लाख रूपये देंगे और आश्रितों को नियमानुसार मासिक पेंशन देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इसमें दो विषय रखना चाहता हूं। 5 साल पहले अंबुजा सीमेन्ट में एक दुर्घटना हुई थी। उसमें मैं और बलौदा बाजार के तात्कालीन विधायक जनकराम वर्मा जी दोनों स्पाट पर गये थे। उसमें जिला प्रशासन के कलेक्टर और एस.पी. सबकी उपस्थिति में यह तय हुआ था कि 20 लाख रूपया मुआवजा, मृतक के परिवार के माता-पिता को जब तक दोनों से कोई भी जीवित रहे, तब तक पेंशन, मृतक के बच्चें को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए बच्चों के नाम से 1 लाख रूपया डिपाजिट तथा पत्नि को उसकी योग्यता के अनुसार प्लांट में रोजगार देने, ये चार बातें हमारे जिले में तय हुई थी। वहां जिलाधीश और एस.पी. भी हाजिर थे। इसमें कुल साढे सत्रह लाख रूपये का मुआवजा दिया गया है और पेंशन देने की बात कही गई है। मेरा आपसे निवेदन है कि मंत्री जी, इसमें भी संवेदना का परिचय दें। पूर्व में अंबुजा सीमेन्ट में जो बातें तय हुई, उसको यहां लागू करा दें। दूसरा, घायलों के लिए किसी प्रकार की घोषणा नहीं हुई है। घायलों के उपचार की व्यवस्था, यदि वे आजीवन

असक्त हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, इसकी भी घोषणा कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियमों में जो प्रावधान है, उसके तहत उनको मुआवजा दिया जाता है, अभी तात्कालिक रूप से...।

श्री शिवरतन शर्मा :- सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, आप बोलिये ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- अभी तात्कालिक रूप से 1 लाख रूपये दी गई है । उनके खाते में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से बाकी 16 लाख 50 हजार की राशि उनको उपलब्ध करा दी जायेगी । हमने कहा कि तुरन्त उपलब्ध ....।

श्री शिवरतन शर्मा :- बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ । खड़े-खड़े सुन रहा हूँ, उसमें क्या है ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- एक मिनट सुनिये तो भई । सुन भी तो नहीं रहे हो । फिर बैठ जाओ ना । मैं दूसरा जवाब दूंगा ना, आप जवाब की चिन्ता क्यों कर रहे हो ।

श्री सौरभ सिंह :- बढ़िया जवाब देथे, काबर नाराज होवत हस । दो ना अब जवाब ।

श्री शिवरतन शर्मा :- दे, जवाब दे ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- उचक के फिर खड़ा हो जाथे । जबरदस्ती देखना । पूछबे तो अउ बताहुं, चिन्ता मत करना ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, बोलिये-बोलिये । मंत्री जी, उत्तर दीजिए ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- माननीय जी, हम तो तुरन्त देने के लिए बोले थे, उनके पास कोई खाता नहीं है । ए.आई.सी. के तहत यह पंजीकृत है । दोनो श्रमिक, जिनकी मृत्यु हुई है । उनका वेतन है, उसका 90 प्रतिशत राशि का पेंशन, उसके परिवार वालों को आजीवन मिलेगा । जब तक रिटायर का समय है, 90 प्रतिशत पेंशन राशि दी जायेगी । इसका भी हमने निर्देश दिया है । उसके भी आदेश जारी हो रहे हैं । मुआवजे की राशि उनके आर.टी.जी.एस. के खाते में जमा कर दी जायेगी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से इस तरह की घटनायें होती है । वह चिन्ता का विषय है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अगला ध्यानाकर्षण पढ़िये ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- इसमें निरन्तर रूप से निरीक्षण किये जाते हैं । जो फैक्टरी चालू है, उसमें निरीक्षण का प्रावधान स्टेट गवर्नमेंट फैक्टरी एक्ट के तहत करती है । लेकिन जो निर्माणाधीन है, जिनका निर्माण का काम हो रहा है, उसका नियंत्रण करने का पूरा अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के ए.एल.सी. को है । जब इस तरह की कोई जानकारी आती है तो हमारे सरकार के द्वारा कार्यवाही की जाती है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने नियमों की जानकारी दे दी । शासन प्रशासन को इतना अधिकार है, दबाव बनाकर सब कुछ कराया जा सकता है । मैंने मानवीय संवेदना से यह कार्य कराने के लिए कहा है । उसके रिटायरमेंट तक आप 90 परशेंट पेंशन दिलवा देंगे ।

बाद में उसके माता-पिता का क्या होगा । उसके बच्चों की शिक्षा-दीक्षा का क्या होगा । नियम नहीं था, तब भी जिलाधीश के माध्यम से दबाव बनाया और यह सारी व्यवस्था हो गयी । जो व्यवस्था अंबूजा में की गयी, आप जिलाधीश को बोलिये, यह सारी व्यवस्था इन परिवार के लिए करवा दें तो परिवार का भला हो जायेगा । 10 लोग घायल हुये हैं, अशक्त हो गये हैं, उनका क्या होगा, उसकी व्यवस्था करा दीजिए । कुछ मानवीय संवेदना भी होती है । सब कुछ नियमों की बात होती है । घायल लोगों का क्या हुआ । उत्तर आ जाये ।

श्री रविन्द्र चौबे :- उत्तर दे दिये हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- संसदीय कार्यमंत्री जी, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, 10 लोग घायल है...।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- प्रश्न ही नहीं पूछ रहे हैं तो उत्तर क्या दूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय । वह तो भाषण दे रहे हैं । यह बोल रहे हैं कि पुराने समय में कार्यवाही हुई थी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम नियमों के तहत चलते हैं । नियम के तहत जो भी प्रावधान है, उसे दिया जायेगा । हमारे अधिकारियों को हमने निर्देश दिया है, जो भी सहानुभूतिपूर्वक और मदद हो सकती है, वह जरूर करेंगे ।उपाध्यक्ष महोदय :- अगला ध्यानाकर्षण शिवरतन शर्मा जी ।

(3) सिमगा शराब दुकान में देशी अवैध शराब बिना स्कैनिंग के उतारा जाना ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) (श्री प्रमोद कुमार शर्मा) :- उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषयवस्तु इस प्रकार है :-

छत्तीसगढ़ प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री शासन के नाक के नीचे प्रशासन के संसाधनों और प्रशासनिक अधिकारियों/सरकार के संरक्षण में फूल रहा है । दिनांक 16 जुलाई 2021 को सिमगा शराब दुकान में 400 पेटी देशी शराब बिना स्केनिंग के अवैध रूप से उतारी जा रही थी । जिसमें 310 पेटी बिना परमिट के वाहन क्रमांक सी.जी.10 टी-5202 में रखी थी और 90 पेटी शराब उतार चुके थे जिसकी सूचना स्थानीय थाना प्रभारी को दे दी गई थी, पुलिस अधीक्षक और एस.डी.ओ.पी.को सूचना देने और मेरे सिमगा शराब दुकान पहुंचने के बाद तक भी कोई अधिकारी/कर्मचारी कार्यवाही हेतु नहीं पहुंचा था । मेरे घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पाया कि बिना परमिट के गाड़ी में 400 पेटी देशी शराब बिना स्कैनिंग के लाई गई थी । स्कैनिंग मशीन सही होने के बाद भी शराब स्केन नहीं हो रही थी । कार्यवाही नहीं होने पर मेरे और आमजनों द्वारा चक्काजाम किया गया जो लगभग ढाई घंटते तक चला । तत्पश्चात कलेक्टर के निर्देश के बाद जिला आबकारी अधिकारी द्वारा स्कैनिंग न होना, वाहन चालक के पास परमिट न होने, स्कैनिंग मशीन का सही पाये जाने, बिना स्कैनिंग के बिना परमिट के 400 पेटी शराब का उल्लेख करते हुये हस्तलिखित पंचनामा बनाकर मुझे दिया गया तथा शराब से भरी गाड़ी को पुलिस थाने में सुपुर्द किया गया, परन्तु 5-6 घंटे बाद उस अवैध शराब को कोर्ट में प्रस्तुत करने की अपेक्षा

वापस शराब दुकान में दे दिया गया । उक्त अवैध शराब को जब्ती कर कोर्ट में प्रस्तुत करने प्रकरण दर्ज करने के बजाय वापस शराब दुकान में दे देने से आमजनों में शासन व प्रशासन के प्रति रोष व आक्रोश व्याप्त है ।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना कदापि सही नही है कि छ.ग. प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री सरकार के संरक्षण में फल-फूल रही है। यह कहना भी सही नहीं है कि सिमगा शराब दुकान में 400 पेटी शराब बिना स्कैनिंग के उतारी जा रही थी। बल्कि वास्तविकता यह है कि देशी शराब गोदाम बलौदाबजार से देशी मदिरा दुकान सिमगा के लिए परमिट क्रमांक 136 दिनांक 14.07.2021 के माध्यम से इसमें लदी शराब को अवैध शराब मानकर कतिपय लोगों की भीड़ द्वारा पुलिस को सुपूर्द किया गया था, पुलिस थाना के द्वारा उक्त ट्रक से संबंधित परमिट को सही पाये जाने पर गन्तव्य स्थान तक ले जाने की अनुमति प्रदान की गयी। यह कहना भी सही नहीं है कि शराब स्कैन नहीं हो रही थी। बल्कि वास्तविकता यह है कि उक्त परमिट से संबंधित समस्त मदिरा को दुकान में सुरक्षित रखा गया तथा दिनांक 19.07.2021 को राज्य स्तरीय उड़नदस्ता के जांच दल के द्वारा विस्तृत जांच की गई। जांच दल के द्वारा परमिट तथा उससे संबंधित समस्त पेटियों की शराब को सर्वर से मिलान किया गया तथा शराब गोदाम एवं मदिरा दुकान के अभिलेखों से मिलान किये जाने पर मदिरा सही पाया गया है।

अत: यह कहना सही नहीं हैकि आमजनों में शासन एवं प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरासर असत्य है। मेरा भी इसमें ध्यानाकर्षण लगा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय :- पहले इनको तो प्रश्न पूछने दीजिए।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- इतना असत्य भी मत बोलिये। थोड़ा सा शासन भी लज्जा करे। यह डायरेक्ट 400 पेटी अवैध शराब का मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय :- शिवरतन शर्मा जी पूछ रहे हैं, आप बैठिये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- सही, गलत नहीं मालूम, यह सरासर बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- क्या आप प्रश्न नहीं करेंगे ?

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं प्रश्न पूछ रहा हूं न। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने अपने ध्यानाकर्षण की सूचना में उक्त शराब दुकान में शराब के पंचनामा का उल्लेख किया है। पर जो मंत्री जी का वक्तव्य आया है, इस वक्तव्य में पंचनामें के संबंध में कहीं कोई चर्चा नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब शराब पुलिस को सुपुर्द की गई उस समय इसका पंचनामा हुआ था, पंचनामें में क्या लिखा गया था ? पंचनामा किस अधिकारी ने किया था ? पंचनामे के समय किस-किस स्तर के अधिकारी, कौन-कौन प्रमुख वहां उपस्थित थे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 16.07.2021 को अभिषेक दास और अभिजीत अवस्थी उपस्थित थे। यह जो पंचनामा हुआ है, आबकारी उपनिरीक्षक के द्वारा पंचनामा किया गया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने आपसे पूछा है कि पंचनामे में क्या लिखा गया था?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचनामें में यह लिखा है कि 400 पेटी देशी मदिरा का स्कैन करने पर उसका स्कैन नहीं पाया गया। उक्त गाड़ी के माल को आबकारी के कब्जे में दिया गया। इसकी मशीन ठीक नहीं थी। स्कैन मशीन का अलग से पंचनामा बनाया जायेगा। वाहन क्रमांक सी.जी. 502 में माल 400 पेटी देशी शराब लोड थी। देशी शराब के संबंध में वाहन चालक के पास परमिट नहीं था। 400 पेटी शराब थी जिससे 90 पेटी शराब शासकीय मदिरा दुकान में उतारी गई।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पंचनामा आबकारी अधिकारी ने किया। इस पंचनामे के दौरान उस क्षेत्र के एस.डी.ओ.पी., टी.आई., मैं स्वयं और सैकड़ों लोग उपस्थित थे। पंचनामा में दो-तीन बातें बहुत क्लीयर लिखी गई हैं। मदिरा का स्कैन कराया गया, उसका स्कैन नहीं होना पाया गया। दूसरी बात स्कैन मशीन ठीक थी, केवल दूसरी मशीन दूसरी शराब दुकान में शराब रखी थी, उसका स्कैन करके देखा गया। तीसरी बात स्कैन नहीं हो रही थी, चालक के पास परमिट नहीं था और उसके बाद उसकी जब्ती हुई। आप उत्तर में लिख रहे हैं कि परमिट था। आप यह बता दीजिए कि क्या यह नियम में है कि जब शराब जाती है तो वाहन चालक के पास परमिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ? दूसरा जो शराब जा रही है वह शराब स्कैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने इसके पहले पूछा कि पंचनामा हुआ या नहीं, मैंने पढ़कर सुना दिया वैसे के वैसे जैसे पंचनामा हुआ था। अब उसका दूसरा पहलू यह है कि पंचनामा क्यों हुआ, किसके दबाव में हुआ, वह भी मैं पढ़कर सुना देता हूं। दोनों बातें आनी चाहिए। श्रीमान थाना प्रभारी सिमगा थाना जिला बलौदाबाजार, भाटापारा विधायक द्वारा सिमगा देशी शराब दुकान में अकारण प्रदर्शन एवं दबावपूर्वक पंचनामा बनाये जाने की सूचना।

श्री शिवरतन शर्मा :- बस, माननीय उपाध्यक्ष जी।

श्री मोहम्मद अकबर :- सुन तो लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, बैठिये। माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- क्या आप सुनोगे नहीं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- सुन लेते हैं। आप बता दीजिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- आपका प्रश्न मैंने सुना। फिर आप और पूछेंगे तो और जवाब दूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- हां, हां बिल्कुल।

श्री मोहम्मद अकबर :- उपरोक्त विषय के संबंध में लेख है कि आज दिनांक 16.07.2021 को

श्रीमान भाटापारा विधायक एवं उनके सर्मथकों द्वारा देशी शराब दुकान सिमगा में प्रदर्शन किया गया उनके कथानुसार आमद गाड़ी CG 10 T 5202 में मदिरा परिवहन परमिट नहीं था परंतु गाड़ी के साथ वैध परमिट था। जिसे वाहन चालक द्वारा सुपरवाईजर को दिया गया था और सुपरवाईजर के द्वारा परमिट को विधायक सर्मथकों को दिखाया भी गया। परमिट नंबर CG CS 2 D 2021, 2022, 19, 89, 84, 88 सन 2021-22। उक्त गाड़ी को दुकान में खड़ी होने नहीं दिया गया मौके पर पहुंचने पर मेरे द्वारा विधायक के सर्मथकों को यह अवगत कराया गया कि कई बार नेटवर्क प्राब्लम, स्केनर की मेमोरी में रिक्त स्थान न होने के कारण स्केन न हो पाने की स्थिति उत्पन्न होती है। अत: थोड़े विलंब के पश्चात जांच उपरांत ही पंचनामा पर मेरे द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा परंतु विधायक के सर्मथकों के द्वारा मुझ पर अत्यधिक दबाव बनाया गया जिसके फलस्वरूप मेरे द्वारा किसी अनहोनी घटना से बचने के उद्देश्य से पूर्व से तैयार किये गये पंचनामा पर हस्ताक्षर किया गया। उक्त घटना की जानकारी मेरे द्वारा जिला आबकारी अधिकारी बलौदा-बाजार को भी दी गयी है। प्रतिलिपी श्रीमान पुलिस अधीक्षक, जिला बलौदा-बाजार, भाटापारा अनुभागीय अधिकारी पुलिस, भाटापारा को सूचनार्थ।

उपाध्यक्ष महोदय :- सारा उत्तर आ गया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, कोई उत्तर नहीं आया है। ये तो लिपा-पोती की जा रही है। मैं पूरा घटनाक्रम बताता हूं। आप बोलेंगे। पहली बात तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब वहां शराब पकड़ी गयी। मैं शराब पकड़े जाने के एक घण्टे बाद पहुंचा। जिन लोगों ने पकड़ा वे लगातार पुलिस को शिकायत करते रहे, पुलिस नहीं पहुंची। मुझे फोन किया फिर मैंने पुलिस को फोन किया कि वहां शराब आयी है आप जाईये। जब वे नहीं पहुंचे तब मैं वहां एक घण्टे बाद पहुंचा पहली बात। दूसरी बात, पंचनामा करने वाला लिख रहा है कि मैंने इसकी जानकारी तत्काल जिला आबकारी अधिकारी को दी। आप बोलेंगे तो मैं यह पूरी विडियो शूटिंग प्रस्तुत कर दूंगा, मेरे पास है।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न करिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं प्रश्न ही कर रहा हूं। उसमें जिला आबकारी अधिकारी पंचनामा के दौरान बैठे हुए थे। जिला आबकारी अधिकारी की उपस्थिति में पूरे पंचनामे की कार्यवाही हुई। जिला आबकारी अधिकारी की उपस्थिति में ड्राईवर से पूछा गया, उसके पास परमिट नहीं था। जिला आबकारी अधिकारी की उपस्थिति में स्केनिंग की जांच हुई, स्केन नहीं हुआ। सारे घटनाक्रम में लिपा-पोती करने के लिये ये बात आ रही है कि दबाव बनाया गया। मैं तो पूरी घटना में एक घण्टे बाद पहुंचा था। सारी चीजों की विडियो क्लीपिंग है।

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी प्रश्न कीजिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, मैंने आपसे एक प्रश्न और किया कि क्या स्केन मशीन के स्केन किये बिना शराब दुकान में शराब उतारी जा सकती है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब शराब उतारी जाती है तब स्केन किया जाता है। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी आती है कि नेटवर्क का प्राब्लम या मेमोरी फुल होने के कारण वह स्केन नहीं होता और वहीं चीज जब बाद में स्केन किया जाता है। उत्तर सुन लीजिए, उत्तर सुन लीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी, आप अगर यह मजाक करोगे, कम से कम आपसे यह उम्मीद नहीं है।

श्री मोहम्मद अकबर :- नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरा उत्तर सुनिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- और किसी विधायक को रौंग कार्नर में लाने की आप कोशिश करेंगे तो।

श्री मोहम्मद अकबर :- नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरा उत्तर सुनिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपके द्वारा इस प्रकार का जवाब आये ये ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। पूरे प्रदेश के विधायक इस बात से परेशान है कि अवैध शराब बिक रही है बल्कि आपको तो विधायक जी को बधाई देना चाहिए कि उन्होंने पकड़ा और आपके नॉलेज में लाया, आप भले लिपा-पोती कर दें। आपको विधायक जी को बधाई देना चाहिए कि उन्होंने अवैध शराब को पकड़ा और सब के संज्ञान में लाया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि इस प्रकार की लिपा-पोती हो रही है वह शर्मनाक है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये। बैठिये, बैठिये। श्री प्रमोद शर्मा जी।

श्री शिवरतन शर्मा:- मंत्री जी मैं आपके नॉलेज में ला देता हूं। आप बोल रहे हैं कभी-कभी स्केन मशीन काम नहीं करती। जब वह शराब स्केन नहीं हुई तो सारे लोगों की उपस्थिति में जो शराब दुकान में शराब की पेटियां रखी गयी थी वह हमारे सामने स्केन की गयी और आप बोलेंगे तो मेरे पास विडियो क्लीपिंग है, मैं दिखा दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री प्रमोश शर्मा जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- तो बिना स्केन के शराब उतर रही थी। यह बहुत स्पष्ट है, आप बचाने का प्रयास न करें। मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम आपसे यह उम्मीद रखते हैं। नहीं आप जो पढ़ रहे हैं वह ठीक नहीं है। पूरी घटनाक्रम के दौरान जिला आबकारी अधिकारी उपस्थित थे। अच्छा दूसरी बात, आपने अपने उत्तर में लिखा है उक्त परमिट से संबंधित समस्त मदीरा को दुकान में सुरक्षित रखा गया तथा 19.07.2021 को मदीरा आप ले गये ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण मामला है और सरकार के द्वारा लिपा-पोती की जा रही है इसका उत्तर आना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपने 3 प्रश्न कर लिया।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 19 तारीख को ले जाने की बात कर रहे हैं। मेरे पास वह लेटर है 16 तारीख जिस दिन घटना घटित हुई, उसी दिन रात को सहायक आबकारी अधिकारी शराब के पूरी गाड़ी को थाने से ले गये। यह लिखकर कि इनके पास परमिट था। एक तरफ अधिकारी लिखकर दे रहे हैं कि परमिट नहीं था, इसमें एक तरफ अधिकारी लिख रहा है कि स्क्रीनिंग नहीं हो रही थी, ड्रायवर का बयान हो रहा है कि परमिट नहीं था और उसके बाद मंत्री जी आप बचाने के लिए कह रहे हैं कि दबावपूर्वक पंचनामा लिखाया गया। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर दबावपूर्वक पंचनामा लिखाया गया तो जिनने दबावपूर्वक पंचनामा लिखाया, जिसमें मेरा नाम आ रहा है तो विभाग ने मेरे खिलाफ एफ.आई.आर. क्यों नहीं कराया ? अगर मैंने यह पंचनामा दबावपूर्वक लिखवाया था तो आपने थाने में मेरे खिलाफ एफ.आई.आर. क्यों नहीं कराया ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विभाग ने उसकी सूचना दी है और कोई जरूरी नहीं है कि हर मामले में एफ.आई.आर.लिखवायी जाए, उसकी सूचना दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री प्रमोद कुमार शर्मा। माननीय शर्मा जी बैठिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं। बिल्कुल सीधी बात है। अगर दबावपूर्वक पंचनामा लिखाया जाता तो आपको एफ.आई.आर. दर्ज कराना चाहिए। यह आपका धर्म है। एक तरफ अधिकारी पंचनामा लिखकर दे रहे हैं और माननीय उपाध्यक्ष आप अनुमति देंगे तो पूरे घटनाक्रम की विडियो क्लिपिंग सदन के पटल पर रख दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- हो गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप अनुमति दें तो मैं सारे घटनाक्रम की विडियो क्लिपिंग रख दूंगा। यदि आप अनुमति दें तो मैं सदन के पटल पर सारे पेपर भी रखने को तैयार हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रमोद कुमार शर्मा जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं। यह तो सरासर अवैध शराब को सरकार का संरक्षण मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- ऐसा नहीं है।

समय :
12:61 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा यह कहा जाना कि विधायक जी के दबाव में पंचनामा बना, यह तो सभी विधायकों का अपमान है इस प्रकार की बात करना। अगर कहीं पर उनकी गलती है उनको बचाना और यह कहें। परंतु जब विधायक जी की उपस्थिति

में पंचनामा बना तो उस मामले को विधायक जी के दबाव में बनाया गया, इस प्रकार की बात करना, अधिकारियों को बचाने के लिए औचित्यपूर्ण नहीं है और आपको भी कम से कम इस सदन में हमें मालूम है कि ऐसी घटनाएं होती हैं तो कैसे बचाया जाता है, परंतु कम से कम विधायकगणों के सम्मान के लिए उनकी सुरक्षा के लिए सदन में इस प्रकार की बातें नहीं आनी चाहिए। बाद में सब कुछ लिपापोती के लिए किया गया और यह पूरे प्रदेश में चल रहा है केवल एक जगह नहीं है तो इसलिए कम से कम ऐसी स्थिति सदन में नहीं आये हम तो अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे कि कम से कम इस सदन में विधायकों के ऊपर आरोप नहीं लगाये जाएं।

अध्यक्ष महोदय :- ध्यानाकर्षण का विषय खत्म। एक मिनट। 1.00 बजे राज्यपाल महोदया आ रही हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका कोई उत्तर ही नहीं आया है और न ही प्रश्नकर्त्ता ने प्रश्न नहीं किया है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय :- आप तीन प्रश्न पूछ चुके हैं। आपको जो करना है करिए, मुझे राज्यपाल जी से मतलब है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। विधायक के ऊपर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने जबरदस्ती किया है इसलिए उसमें उत्तर आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप बाद में प्रश्न पूछ लीजिएगा।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय विधायक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट बोल देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी के ऊपर आरोप लगाया गया है, उसमें जवाब आना चाहिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें माननीय मंत्री जी का जवाब आना चाहिए।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं क्या प्रश्न करूं। यह क्लियर है कि 400 पेटी अवैध दारू का प्रकरण है (व्यवधान) जिला आबकारी के हाथ कितने लंबे हैं, यह समझ में आ गया। यह लिप्त हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी का माननीय शिवरतन शर्मा जी का पूरा सम्मान है। मैंने उन पर कोई आरोप नहीं लगाया है जो लिखित सूचना दी गई थी, मैंने केवल पढ़कर सुनाया है। श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- आप जिला आबकारी को बचा रहे हैं1

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं बचा कुछ नहीं रहा हूँ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- उसके हाथ कितने लंबे हैं, अब यह समझ में आ गया। वह उधर बैठकर पर्ची दे रहे हैं वह जैसा-जैसा लिखकर दे रहे हैं, वैसी-वैसी पढ़ रहे हैं । अब कोई उम्मीद नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आपको जो लिखित में सूचना दी गई है, इस पूरी सूचना की जांच करायेंगे क्या कि गलत सूचना है या सही सूचना है और कितने दिनों के अंदर जांच कराकर, सदन को अवगत करा देंगे, यह बता दीजिए ?

अध्यक्ष महोदय :- आप चलिए, घर में जाकर पूछ लीजिए। भाई, किसी बात को समझिए।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको सीधा बचा रहे हैं एक आबकारी अधिकारी, 400 पेटी अवैध दारू का पकड़ा जाता है और किसी पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, यह लज्जा की बात है। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। शासन अच्छा काम कर सकती है लेकिन..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार शराब माफियों को संरक्षण दे रही है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार शराब माफियों को संरक्षण दे रही है। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार शराब माफियों को संरक्षण दे रही है। माननीय मंत्री जी का स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा है। विधायकों के अपमान के विरोध में और सरकार द्वारा शराब माफियाओं को संरक्षण के विरोध में हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

समय :
12:54 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में</u>

(माननीय सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में (भारतीय जनता पार्टी) के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

अध्यक्ष महोदय :- कार्यसूची के पद 3 के उप पद (4) से (27) तक सूचना देने वाले सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे। सदस्यों का नाम कार्यवाही में मुद्रित किया जाएगा।

4. श्री नारायण चंदेल, सदस्य
5. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य
6. डॉ. रमन सिंह, श्री डमरूधर पुजारी सदस्य
7. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य

8. श्री नारायण चंदेल, सदस्य
9. सर्वश्री धरमलाल कौशिक, सौरभ सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य
10. श्री नारायण चंदेल, सदस्य
11. श्री धरमलाल कौशिक, डॉ. रमन सिंह, श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
12. श्री शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल सदस्य
13. श्री शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल सदस्य
14. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
15. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
16. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य
17. श्री देवव्रत सिंह, सदस्य
18. श्री कुलदीप जुनेजा, सदस्य
19. सर्वश्री धर्मजीत सिंह, धरमलाल कौशिक, सौरभ सिंह, सदस्य
20. सर्वश्री सौरभ सिंह, धरमलाल कौशिक, सदस्य
21. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, सदस्य
22. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
23. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
24. श्री बृजमोहन अग्रवाल सदस्य,
25. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य
26. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य
27. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य

समय :

12:54 बजे

<u>नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल सूचनाएं</u>

अध्यक्ष महोदय :- नियम 267"क" (2) को शिथिल कर आज दिनांक 30 जुलाई, 2021 को मैंने सदन में 21 सूचनाएं लिए जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। उक्त सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा तथा सूचना देने वाले सदस्यों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जाएंगे।

1. श्री लालजीत सिंह राठिया
2. श्री नारायण चंदेल

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

3. श्री गुलाब कमरो
4. श्रीमती डॉ. रेणु जोगी
5. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
6. श्री अजय चन्द्राकर
7. श्री सौरभ सिंह
8. श्री धरमलाल कौशिक
9. श्री रजनीश कुमार सिंह
10. श्री शिवरतन शर्मा
11. श्री लखेश्वर बघेल
12. श्री धर्मजीत सिंह
13. श्री चंदन कश्यप
14. श्री दलेश्वर साहू
15. श्री पुन्नूलाल मोहले
16. श्री केशव प्रसाद चंद्रा
17. श्री आशीष कुमार छाबड़ा
18. श्रीमती डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
19. श्री अरूण वोरा
20. श्री संतराम नेताम
21. श्री प्रमोद कुमार शर्मा

समय :

12:55 बजे

<u>याचिकाओं की प्रस्तुति</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्री धरम लाल कौशिक
2. श्रीमती छन्नी चंदू साहू
3. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
4. श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा
5. श्रीमती ममता चन्द्राकर
6. श्री पुरूषोत्तम कंवर

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मंत्री का वक्तव्य

दिनांक 24 मार्च, 2021 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या-12 (क्रमांक-2769) के उत्तर के संबंध में

अध्यक्ष महोदय :- श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री, दिनांक 24 मार्च, 2021 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या-12 (क्र-2769) के उत्तर के संबंध में वक्तव्य देंगे। चलिए, जल्दी करिए जल्दी।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 24 मार्च, 2021 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित माननीय सदस्य श्री रजनीश कुमार सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र-2769) का पृथकत: वितरित उत्तर पढ़ा जाए।

सदन को सूचना

उत्कृष्टता अलंकरण समारोह का आयोजन

अध्यक्ष महोदय :- मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्ष 2019 एवं 2020 के लिए चयनित उत्कृष्ट विधायक, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार, उत्कृष्ट इलेक्ट्रानिक मीडिया रिपोर्टर को पुरस्कार करने हेतु उत्कृष्टता अलंकरण समारोह माननीय राज्यपाल महोदया, सुश्री अनुसुईया उइके जी के मुख्य अतिथि में विधानसभा परिसर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रेक्षागृह में शुक्रवार दिनांक 30.07.2021 को दोपहर 1:30 बजे से आयोजित किया गया है।

उत्कृष्टता अलंकरण समारोह के पश्चात् सेंट्रल हाल में माननीय श्री कवासी लखमा जी की ओर से दोपहर भोज की व्यवस्था है। दोपहर भोज के समस्त माननीय सदस्यगण, पत्रकारगण आमंत्रित हैं। बारिश होने की स्थिति में सदन से प्रेक्षागृह एवं कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात् प्रेक्षागृह से सेंट्रल हाल जाने हेतु पोर्च में बस की व्यवस्था है।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही 03:30 बजे तक के लिए स्थगित।

(12:57 से 3:40 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

3:40 बजे

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए)

अशासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021 (क्रमांक 5 सन् 2021)

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर दक्षिण) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021 (क्रमांक 5 सन 2021) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021 (क्रमांक 5 सन 2021) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन । माननीय सभापति महोदय, सामान्यत: देश भर में लोकसभा में और विधानसभा में भी यह परंपरा रही है कि जो अशासकीय कार्य होता है उसे कभी रोका नहीं जाता है । जिस समय पारण का समय आता है इस पर विचार किया जायेगा उस समय उसको रोका जाये क्योंकि शायद यह संदेश अच्छा नहीं जायेगा कि शासन बहुमत के आधार पर किसी अशासकीय काम को सदन में रोके । इस सदन की उच्च परंपराएं रही हैं और उच्च परंपराओं में कभी भी अशासकीय बिजनेस को हमने माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करके कि ढ़ाई साल में अशासकीय काम नहीं हुआ और आज अशासकीय काम होना चाहिए । माननीय अध्यक्ष जी ने इसको स्वीकार किया । मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा कि आज वे अशासकीय दिवस का संचालन कर रहे हैं । माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे इस बात का आग्रह करूंगा कि पूरे देश में हमने अभी कल-परसों ही जो धर्मांतरण हो रहा है उसके कारण राष्ट्रांथन हो रहा है । डराकर, धमकाकर, लालच देकर...।

सभापति महोदय :- इस पर चर्चा तो नहीं होगी न ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, चर्चा होती है । अगर आप पुराना रिकॉर्ड देख लें तो जब पुर:स्थापन होता है ।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होती ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- पुर:स्थापन के समय आप देख लें न । आप रिकॉर्ड देख लें। मेरे पास पुराने...।

श्री शिवरतन शर्मा :- पूर्व में इस विषय पर 2-2 घंटे चर्चा हो चुकी है ।

सभापति महोदय :- नहीं, चूंकि डिवीजन की मांग किये हैं और हम इसमें आगे बढ़ चुके हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरे पास पुराना रिकॉर्ड भी है ।

सभापति महोदय :- चलिये, जो माननीय सदस्य इस विधेयक के पुर:स्थापन के पक्ष में हों । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आपको बात तो सुननी पड़ेगी। आप डिवीजन के पहले पूरी बात तो सुन लीजिए । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैंने डिवीजन भी मांगा है । आप मेरी बात भी सुन लें ।

सभापति महोदय :- जब डिवीजन मांगा है तो बात आगे बढ़ गई न ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, बात आगे नहीं बढ़ी है । (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- बात आगे नहीं बढ़ी है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- चलिये, जो माननीय सदस्य इस विधेयक के पुर:स्थापन के पक्ष में हों । वे कृपया हां कहें । जो माननीय सदस्य इस विधेयक के पुर:स्थापन किये जाने के विपक्ष में हों । वे कृपया न कहें । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, आप यह गलत कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आप पहले पूरा विषय तो रख लीजिये ।

श्री नारायण चंदेल :- डिवीजन ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- डिवीजन ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आप डिवीजन के पहले पूरा विषय तो सुन लीजिये । आप पहले विषय सुन लें फिर उसके बाद करा लें । (व्यवधान)

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- आप आगे बढ़ गए हैं ।

श्री नारायण चंदेल :- कहां आगे बढ़ गए ? अभी रूका हुआ है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, प्राईवेट बिल वैसे ही कम आता है, विरले आता है । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- बहुत ही गंभीर विषय है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, 28 फरवरी, 2003 को...।

सभापति महोदय :- क्या आप अभी पहले मत मांग रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, मैं मत पर नहीं । आप मत पर करवा लीजियेगा । मुझे कोई दिक्कत नहीं है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- नहीं, इस पर चर्चा नहीं होगी । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- संसदीय परंपरा में, आप मेरी बात सुन लें न । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मैं एक-बार पुन: पूछ लेता हूं । (व्यवधान)

अप्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप पहले मेरी बात सुन लीजिए । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मैं एक-बार पुन: मांग लेता हूं । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मुझे धरने पर बैठना पड़ेगा । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- आप बात सुन लीजिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपको बात तो सुननी पड़ेगी ।

सभापति महोदय :- बृजमोहन जी, इस पर जब डिवीजन की बात हो गई है तो मैं इसमें मत विभाजन करा लेता हूं । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- आप सुन तो लीजिये, विषय तो आ जाये । (व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, सुनने में क्या है ? सुन लीजिए । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप पहले सुन लीजिए । दिनांक 28 फरवरी 2003 में इसी सदन में इस प्रकार के अशासकीय विधेयक को मेरे द्वारा लाया गया था । एक अशासकीय विधेयक इस सदन में माननीय मोहम्मद अकबर जी के द्वारा लाया गया । दोनों के ऊपर पुर:स्थापन के समय चर्चा हुई है और चर्चा होने के बाद उसको बहुमत के आधार पर अस्वीकार किया गया। छत्तीसगढ़ के सदन में यह अभी तक दो बार आया है और इसके ऊपर पुर:स्थापन के समय पर..।

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी, अशासकीय विधेयक में आप ही का संदर्भ इसमें है कि किसी ने जब आपत्ति की थी, तब उसमें चर्चा हुई भी, पर चूंकि इसमें आपत्ति नहीं हुई है और आपत्ति नहीं होने के बाद में पुर:स्थापन के बाद सीधा मत विभाजन मांगा गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं और सीधा मत विभाजन करते हैं। इसमें चर्चा संभव नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, आप गलत निर्णय ले रहे हैं। यह गलत निर्णय, गलत परंपरा हो रही है। इसके ऊपर आप मुझे दो मिनट सुन लें। सुनने के बाद बहुमत के आधार पर जो निर्णय होगा, वह हमें स्वीकार होगा, परंतु आपको इसमें दो मिनट सुनना चाहिए।

सभापति महोदय :- चलिए, आप दो मिनट में अपनी बात कहें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, इस विधेयक को लाने की आवश्यकता इसलिए है कि पूरे देश में जो हमारी नौजवान बच्चियां हैं, उन बच्चियों को बहला-फुसलाकर उनके साथ शादी की जाती है और शादी करने के बाद में उन्हें धर्म परिवर्तन कराया जाता है और धर्म परिवर्तन कराने के बाद उन्हें तलाक दे दिया जाता है और उसके कारण उनके बच्चे और पूरे परिवार उससे प्रताड़ित होते हैं और उसके कारण पूरा परिवार बर्बाद होता है। जैसे पूरी डेमोग्राफी बदलती है और एक समाज से दूसरे समाज में झगड़े पैदा होते हैं, इसके कारण कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि

यह जो विधेयक है, अभी परसों चर्चा करते हुए माननीय अजय चन्द्राकर जी ने कहा था कि नियोगी आयोग बना था, अविभाजित मध्यप्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी ने कहा था कि इस प्रकार का कानून बनना चाहिए कि बलात् किसी को लालच देकर, लोक लालच देकर, शादी का लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जाये, उसकी शादी करने के बाद उसे तलाक दे दिया जाये, उसके भविष्य को बर्बाद किया जाये तो इस प्रकार की चीजों को कानून बनाकर रोका जाना चाहिए और मेरे द्वारा यह जो विधेयक लाया गया है, इस विधयेक का उद्देश्य यही है। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह चाहूंगा। छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है, जिस प्रदेश में कभी भी सांप्रदायिक दंगे नहीं होते हैं। हम छत्तीसगढ़ को अगर उस आग से बचाना चाहते हैं तो इस प्रकार का विधेयक जब पारित हो जायेगा तो भविष्य में हमारी बच्चियों का भविष्य सुरक्षित कर पायेंगे। उनके जीवन को सुरक्षित कर पायेंगे।

सभापति महोदय :- चलिए, अब समाप्त कीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उनके परिवार को सुरक्षित कर पायेंगे। उनके माता-पिता के भविष्य को सुरक्षित कर पायेंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इसे पुर:स्थापित किया जाये। शासन से भी आग्रह है कि आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर पूरी बहस हो। आपका बहुमत है।

सभापति महोदय :- चलिए, बृजमोहन जी, आपकी सारी बातें आ गई हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- अध्यक्ष महोदय, अभी चर्चा चल रही है। सारी बात तो आयी ही नहीं है न। आने दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बहुमत के कारण आप इसे फेल कर सकते हैं। पास नहीं होगा। आप इसे फेल कर सकते हैं। इसे पास करने से रोक सकते हैं। ये आपके पास में अधिकार है, परंतु संसदीय कार्य मंत्री जी आपके नेतृत्व में, आप बहुत विद्वान हैं। अशासकीय बिजनेस को रोकना, ये लगभग संसदीय परंपराओं का अपमान है और इसलिए मैं चाहूंगा कि इसके पुर:स्थापन में शासन को भी सहयोग करना चाहिए और इसके पुर:स्थापन में चेयर को भी सहयोग करना चाहिए और इसका पुर:स्थापन हो जाये। चर्चा के बाद इसमें जो निर्णय होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु लोगों के जो विचार हैं, सत्ता पक्ष के जो विचार हैं, वह भी जनता के सामने जाये। विपक्ष के विचार हैं, वे भी जनता के सामने जाये तो ज्यादा औचित्यपूर्ण होगा और इसके लिए आपको पुर:स्थापन की अनुमति देनी चाहिए।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय सभापति महोदय, स्वयं माननीय सदस्य ने कहा कि मत विभाजन करा दिया जाये। आपने आग्रह किया, स्वयं आपके कहने पर..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय राजा साहब, पुर:स्थापन पर नहीं, विचारण पर मत विभाजन होना चाहिए। मेरा यह आग्रह है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, 1 मिनट ले रहा हूं। इस विधान सभा में शासकीय बिजनेस तो हमेशा आते हैं, लेकिन जो प्रायवेट बिजनेस है, कभी-कभार देखने को मिलता है। इसलिए इसके माध्यम से बाकी विधायकों को भी यह देखने का, जानने का, सीखने का अवसर प्राप्त होगा। बाकी तो बहुमत के आधार पर बाद में निर्णय होंगे, लेकिन यदि इसमें चर्चा हो जाती है तो मुझे लगता है कि उसके अनुभव का लाभ सभी को मिलेगा। इसलिए इसे यहीं पर नहीं रोकना चाहिए और बिजनेस को आने देना चाहिए। मैं इस सरकार से भी और पक्ष से भी और संसदीय कार्य मंत्री से भी यह आग्रह करना चाहूंगा कि इसमें थोड़ा बड़ा दिल दिखायें और चर्चा होने दीजिए। बाद में आप उसका निर्णय कर लेंगे।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि

जो माननीय सदस्य इस विधेयक के पुर:स्थापन किये जाने के पक्ष में हो वे कृपया हां कहें ।

जो माननीय सदस्य इस विधेयक के पुर:स्थापन किये जाने के विपक्ष में हो वे

कृपया ना कहें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- डिवीजन, डिवीजन ।

सभापति महोदय :- मुझे लगता है कि इसे ध्वनि मत से ..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- डिवीजन, डिवीजन ।

सभापति महोदय :- मैं एक बार पुन: पूछ लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि

जो माननीय सदस्य इस विधेयक के पुर:स्थापन किये जाने के पक्ष में हो वे कृपया हां कहें ।

जो माननीय सदस्य इस विधेयक के पुर:स्थापन किये जाने के विपक्ष में हो वे

कृपया ना कहें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- डिवीजन, डिवीजन ।

सभापति महोदय :- मत विभाजन के लिए घंटी बजाई जाए और लॉबी को खाली कराया जाय ।

(मत विभाजन के लिए घंटी बजाई गई)

समय :

3:52 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि

जो माननीय सदस्य इस विधेयक के पुर:स्थापन किये जाने के पक्ष में हो वे कृपया हां कहें ।

जो माननीय सदस्य इस विधेयक के पुर:स्थापन किये जाने के विपक्ष में हो वे कृपया ना कहें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- डिवीजन, डिवीजन ।

अध्यक्ष महोदय :- अब मत विभाजन होगा । मत देने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि जो सदस्य इस विधेयक के पुर:स्थापन किये जाने के पक्ष में मत देना चाहें, वे मेरी दांयी ओर, और जो माननीय सदस्य इस विधेयक के पुर:स्थापन किये जाने के विपक्ष में हों वे मेरी दायीं ओर प्रस्थान कर हस्ताक्षर करें ।

<u>ना पक्ष</u>

1. श्री गुलाब कमरो
2. डॉ. विनय जायसवाल
3. श्रीमती अम्बिका सिंहदेव
4. डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम
5. बृहस्पत सिंह
6. श्री चिन्तामणि महाराज
7. डॉ. प्रीतम राम
8. श्री टी. एस. सिंहदेव
9. श्री अमरजीत भगत
10. श्री यू.डी.मिंज
11. श्री रामपुकार सिंह ठाकुर
12. श्री चक्रधर सिंह सिदार
13 श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
14. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
15 श्री लालजीत सिंह राठिया
16 श्री पुरूषोत्तम कंवर
17. श्री मोहित राम
18. डॉ. के.के. ध्रुव
19. डॉ. रश्मि आशिष सिंह
20. श्री शैलेष पांडे
21. श्री रामकुमार यादव
22. श्री किस्मत लाल नन्द
23 सुश्री शकुंतला साहू

<u>हां पक्ष</u>

1. डॉ. रेणु अजीत जोगी
2. . श्री धर्मजीत सिंह
3 श्री पुन्नूलाल मोहले
4. श्री धरम लाल कौशिक
5. श्री रजनीश कुमार सिंह
6. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
7. . श्री सौरभ सिंह
8. श्री नारायण चंदेल
9. श्री शिवरतन शर्मा
10. श्री बृजमोहन अग्रवाल
11. श्री डमरूधर पुजारी
12 डॉ. रमन सिंह
13. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

सभागृह/प्रकाशन के लिये नहीं

24. श्री प्रमोद कुमार शर्मा
25. श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा
26. श्री सत्यनारायण शर्मा
27. श्री विकास उपाध्याय
28 श्री कुलदीप जुनेजा
29. डॉ. शिवकुमार डहरिया
30. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
31. श्रीमती संगीता सिन्हा
32. श्रीमती अनिला भेंडिया
33. श्री कुंवर सिंह निषाद
34. श्री भूपेश बघेल
35. श्री ताम्रध्वज साहू
36. श्री अरूण वोरा
37. श्री देवेन्द्र यादव
38. श्री गुरू रूद्र कुमार
39. श्री रविन्द्र् चौबे
40. श्री गुरूदयाल सिंह बंजारे
41. श्रीमती ममता चन्द्राकर
42. श्री मोहम्मद अकबर
43. श्री देवव्रत सिंह
44. श्री भुनेश्वर शोभाराम बंजारे
45. श्रीमती छन्नी चन्दू साहू
46. श्री इन्द्रशाह मंडावी
47. श्री अनूप नाग
48. श्री संतराम नेताम
49. श्री बघेल लखेश्वर
50. श्री रेखचंद जैन
51. श्री राजमन बेंजाम
52. श्रीमती देवती कर्मा
53. श्री विक्रम मंडावी

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

54. श्री कवासी लखमा

अध्यक्ष महोदय :- पक्ष में 13 मत तथा विपक्ष में 54 मत प्राप्त हुए ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अनुमति प्रदान नहीं की गई ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी लोक सभा राज्य सभा में रहे हैं । कभी भी अशासकीय बिजनेस को रोका नहीं जाता है । उस पर चर्चा होती है और चर्चा के बाद में अस्वीकृत होता है । कभी भी प्रदेश की जनता इनको माफ नहीं करेगी कि ये लोग इस प्रकार के विधेयक को चर्चा से ही रोकते हैं ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगले सत्र में होनी थी । अगर यह चर्चा होती तो शायद हमारे सदस्यों को बहुत कुछ सीखने मिलता । परंतु सत्ता पक्ष इस पर चर्चा ही नहीं चाहता । चर्चा नहीं होने के कारण हमारे नये सदस्यों को अशासकीय विधेयक क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी और इसलिए मेरा आग्रह था कि आप इसको पुर:स्थापित होने देते । जब चर्चा होती तो बहुमत के आधार पर इसको अस्वीकार करते तो बात समझ में आती । धर्म का मतलब क्या है । जो किसी भी धर्म में अच्छी बात है उसको स्वीकार करना धर्म है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपके लिए धर्म का मतलब एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाओ । धर्म की राजनीति करो और राज करो । फूट डालो और राज करो, यह भाजपा की नीति है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- तोला धर्म के मतलब मालूम हे का ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- धर्म के नाम पर राजनीति करते हो ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अरे, वह धर्म का अर्थ ही नहीं जानते उससे कहां बोल रहे हो आप ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- धर्म का होथे । ईसाई धर्म भी होथ, हिंदु धर्म भी हे।

श्री अरूण वोरा :- शिवरतन जी, हम लोग धर्म निर्पेक्ष पार्टी से हैं । कांग्रेस पार्टी धर्म निर्पेक्ष है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- इसमें जो लिखा है ना । कोई हिंदू धर्म, सिख धर्म, इसाई धर्म नहीं लिखा है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हम कहते हैं हिदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम कहते हैं सब भाई भाई और तैं कहिथस सब अलग अलग हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- बाहर का मौसम अच्छा है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जो गलत करही ओखर विरूद्ध कार्रवाई होना चाहिए।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- यहां बहुत से धर्मों के लोग हैं और सभी को अपना अपना धर्म मानने की आजादी है ।

अध्यक्ष महोदय :- शराबबंदी पर संकल्प रख रहे हैं उनको सुन लीजिए । बाहर का मौसम अच्छा है ।

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- अध्यक्ष जी, माननीय शिवरतन जी शराबबंदी पर संकल्प ला रहे हैं और अजय चन्द्राकर जी शराब दुकान बंद करने के लिए नहीं कह रहे हैं सिर्फ प्लास्टिक पाउच बंद करने के लिए कह रहे हैं । दोनों अशासकीय संकल्प है आज ।

श्री शिवरतन शर्मा :- दोनों विषयों पर बोलूंगा मैं ही ।

अध्यक्ष महोदय :- विरोधाभासी रहेंगे, दोनों विषय में ।

समय :
4:05 बजे

<u>अशासकीय संकल्प</u>

<u>(1) छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 1 जनवरी, 2022 से पूर्ण शराब बंदी की जाये</u>

श्री शिवरतन शर्मा (भाठापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शराब का अर्थ शराब वास्तव में अरबी भाषा का शब्द है और शराब का मतलब होता है बुरा पानी।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, हमारे सरगुजा में उसको दवाई, दारू बोलते हैं और आपका अर्थ पानी।

श्री शिवरतन शर्मा :- बुरा पानी ये शराब का अर्थ होता है। माननीय अध्यक्ष जी, 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने 36 बिंदुओं में अपना जन घोषणा पत्र जारी किया और जन घोषणा पत्र जारी करते हुए गंगाजल की शपथ ले करके जन घोषणा पत्र के सारे बिंदुओं को पूर्ण करने की बात कही गई।

श्री बृहस्पत सिंह :- गंगाजल की शपथ लेते समय आप थे क्या। गंगाजल की शपथ आप दिला रहे थे क्या?

श्री शिवरतन शर्मा :- ये जन घोषणा पत्र की कापी जो आपने जारी की उसका एक पन्ना है और जनघोषणा पत्र समिति के संयोजक आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी भी यहां हाजिर हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- भई, असत्य की भी एक सीमा हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- और जिस समय जन घोषणा पत्र जारी हुआ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे आदरणीय मुख्यमंत्री के रूप में इस सदन में हाजिर हैं। ढाई वर्ष में जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के लिए इन्होंने क्या किया।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिवरतन शर्माजी अपनी बात असत्य कथन से शुरू कर रहे हैं अब इनको ट्रेनिंग ही यही है कि एक बात को 100 बार बोलो तो सच लगता है झूठ भी हो तो ये जो गंगाजल किसके लिए किसके लिए उठाये थे। ये लोग कुछ इनके सहयोगी साथी हैं वह लेटर पैड बनाये गिरीश देवांगन जी का और दस्तखत किया शैलेष नितिन त्रिवेदी का। फर्जी और उसके बाद इसको पूरा वितरण कराया उस समय प्रेस कांफ्रेंस में और उसमें लिखा क्या था ये 25 रूपये क्विंटल में धान हम नहीं खरीदेंगे, इस प्रकार की बातें लिखी गई थी तो उसके खण्डन के लिए कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम 25 सौ रूपये क्विंटल में धान खरीदेंगे ये शपथ लेते हैं। ये गंगाजल उठाया गया था और जिसके बारे में सदन के भी और सदन के बाहर भी लगातार असत्य कथन कर रहे हैं। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इन लोगों के पास मशीन है झूठ बोलने का। उसी में काम करते हैं

अध्यक्ष महोदय :- अरबी में क्या समझाया आपने।

श्री शिवरतन शर्मा :- अरबी में बुरा पानी।

अध्यक्ष महोदय :- बुरा यानि खराब। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- जानकारी नहीं है तो नहीं बोलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय :- आप पंडित आदमी है आप बैठ जाइये। जयसवाल जी प्लीस। मेरी बात सुनिये, मिर्जा गालिब का नाम सुना है आपने उन्होंने कहा है गालिब शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर या वह जगह बता दे जहां पर खुदा न हो। इसके बारे में क्या कहना है।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2011 में।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि ये बुरा पानी शब्द को आप वापस ले लें उसका कारण ये है कि आदिवासी समुदाय को 5 लीटर तक बनाकर पीने का छूट दिया गया है और आप बुरा पानी का बात कर रहे हैं तो इस प्रकार के उदाहरण मत दो।

श्री कवासी लखमा :- झूठ बोल रहे हैं अरबी में बुरा पानी नहीं बोलते, मंद बोलते हैं। अरबी जानने वाले हम लोग हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, आदिवासी लोगों का अपमान कर रहे हैं। बुरा पानी कोई नहीं बोलता, मंद बोलते हैं मंद। इतना झूठ।

श्री लखेश्वर बघेल :- अरबी में बुरा पानी बोलते नहीं है कहां से शब्द ले आये हैं आप। हम लोग को नोलेज नहीं है क्या? हम बस्तर में सबसे बड़ा (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- गंगाजल उठाने की बात की तो माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हो गये। मैं जन घोषणा पत्र की कापी दिखा रहा हूं। आप दोनों टी.एस. सिंहदेव जी भी थे, भूपेश बघेल जी भी थे । आप दोनों ने उठाया था या नहीं उठाया था, यह बता दीजिए (व्यवधान)

समय :

4:00 बजे

श्री कवासी लखमा :- यह आदिवासियों का अपमान है । आदिवासी लोग बुरा शब्द नहीं बोलते । शर्मा जी, असत्य बोल रहे हैं । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- गंगाजल तो रमन सिंह जी ने उठाया था।

श्री शिवरतन शर्मा :- इस जन घोषणा-पत्र में कांग्रेस की सरकार के द्वारा राज्य में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा, यह इनके शब्द थे । (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- इसको विलोपित किया जाये । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष जी, यह शब्द वापस विलोपित किया जाये, यह शब्द वापस लें ।

श्री कवासी लखमा :- इसको विलोपित किया जाये या शब्द वापस लें। आदिवासियों के लिए यह गलत बात कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- यह आदिवासियों का अपमान है । इसको विलोपित करायी जाये । (व्यवधान)

डॉ. विनय जायसवाल :- शिवरतन जी, गंगाजल उठाने की बात तो नहीं की ।

श्री कवासी लखमा :- यह आदिवासियों का अपमान है । आदिवासी लोग गलत शब्द नहीं बोलते ।

श्री शिवरतन शर्मा :- पूर्ण शराबबंदी की बात इनके जन घोषणा-पत्र में लिखी गयी है । ग्राम सभाओं को शराबंदी का अधिकार होगा (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- यह आदिवासियों का अपमान है, इसको विलोपित कराया जाये।

श्री कवासी लखमा :- यह बहुत गलत बात है । आपने जिस शब्द का उपयोग किया, हल्बी भाषा का उपयोग किया, यह बहुत गलत बात है । हलबी भाषा में उसको मंद बोलते हैं । उसको हलबी भाषा में नहीं बोलते, कोई दूसरा बोलते हैं (व्यवधान)

डॉ. विनय जायसवाल :- गंगाजल का झूठ तो पता चल गया, लेकिन 2011 में में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी ने वादा किया था कि राजस्व का नुकसान सह लेंगे, लेकिन पूर्ण शराब बंदी करेंगे । तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही थी । उस दौरान 2011 से 2018 तक क्या किये ? (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- वह अरबी भाषा है, हल्बी नहीं है । (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- हलबी में नहीं बोलते । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वे हलबी नहीं, अरबी भाषा में बोल रहे हैं (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, आप शब्द वापस ले लो और माफी मांगो। (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- आप हमारे मंत्री जी की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। आप पहले खेद प्रकट करिए । (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- हमारे बस्तर के लोग आदिवासी हैं, पूरे बस्तर के लोग हलबी भाषा में बोलते हैं । आदिवासी गोंड़ लोग भी हलबी बोलेंगे, सब कोई हलबी बोलेंगे, लेकिन उस बात को नहीं बोलेंगे । आप जो शब्द बोल रहे हो, वह आदिवासियों को बुरा लगता है।

अध्यक्ष महोदय :- मेरी बात तो सुन लो ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिवतरन जी ने अरबी भाषा में क्या है, वह बता रहे हैं । लखमा जी उसको हल्बी भाषा में समझ गए । वह आदिवासी समाज का है ही नहीं ।

श्री कवासी लखमा :- हलबी भाषा को जानते नहीं तो क्यों बोले ? वह महिला लोगों के बीच में जाकर बोलोगे तो इनको दौड़ाएंगे । (व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- 12 बजे रात को अरूण वोरा जी उत्तेजना में आ जाते हैं और अभी शराब का नाम सुनकर ये खुद उत्तेजना में आ रहे हैं । उत्तेजना में आने की आवश्यकता नहीं है । (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के नेता को बताना चाहता हूं कि अभी हमारी सरकार का ढ़ाई साल का समय बचा हुआ है। आपने आदिवासियों को जर्सी गाय देने का वायदा किया हुआ था, उसका क्या हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- आप बताओ कि हल्बी में क्या बोलते हैं ?

श्री कवासी लखमा :- हल्बी बोलने से (मंत्री जी द्वारा हल्बी में शब्द बोला गया) शराब को हल्बी में मंद बोलते हैं । इन्होंने जो कहा है, वह गलत बात है। महिलाओं के बीच में जाएंगे तो वे लोग इनको पीटेंगे । (हंसी) और जेल में भेजेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आप वहां जाकर हल्बी भाषा में मत बोलिएगा । बड़ी मुश्किल से 5:30 बजे तक का समय निर्धारित है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- शिवरतन जी, आप हल्बी भाषा का प्रयोग बिल्कुल मत करना, इस बात को ध्यान रखना ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपके सामने जो शब्द रखा, वह अरबी भाषा का रखा और जान-बूझकर विषयांतर करने के लिए ये हल्बी शब्द का उपयोग किया ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, शिवरतन जी ने फिर हल्बी शब्द का उपयोग किया । आप अरबी की बात कर रहे हो ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कांग्रेस के घोषणा-पत्र का भी जिक्र किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उल्लेख करने के लिए खड़े हो गए।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप लोगों ने 15 साल में भी आदिवासियों को जर्सी गाय नहीं दी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, आपने गंगाजल की शपथ भी उठायी। आप यह बता दीजिए कि आपकी घोषणा-पत्र में यह लिखा गया था या नहीं लिखा गया था ? आप दोनों हाजिर हैं ।

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुझे यह बता दें कि घोषणा-पत्र में कहां लिखा है कि गंगा जल लेकर शराबबंदी करेंगे । (हंसी) कहीं लिखा है तो बता दें । दो बात आ रही है । घोषणा-पत्र में क्या लिखा है, वह कागज में है । गंगाजल का उल्लेख है तो बता दें, वरना ना बोलें ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष जी, गंगा जल लेकर रमन सिंह जी ने कसम खाई थी कि हम आदिवासियों को जर्सी गाय देंगे, 500 रूपए बेरोजगारी भत्ता देंगे । आदिवासियों को नौकरी देंगे । उन्होंने वर्ष 2003, 2008, 2013 में यह गंगाजल की शपथ खाई थी, उसको इन लोगों ने पूरा नहीं किया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, बिल्कुल, जो लिखा है, उसे पढ़कर बता देता हूं । शराब बंदी के लिए जन घोषणा-पत्र में लिखा है कि कांग्रेस सरकार के द्वारा राज्य में शराब बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा । बस्तर और सरगुजा जैसे अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को शराबबंदी का अधिकार होगा । यह इनके जन घोषणा पत्र का शब्द है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप अपनी बात करिए न ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उचित नहीं है। मंत्रीगण, किसी सदस्य के भाषण के बीच में इस प्रकार व्यवधान करें।

अध्यक्ष महोदय :- इसलिए आप लोग भी बैठ जाईये न, आप लोग टोका-टाकी ना करें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह विषय ऐसा है ही नहीं, जिस विषय को माननीय कवासी जी ने समझा। वे अरबी बोल रहे हैं, वे हल्बी समझ रहे हैं। माननीय डहरिया जी, उनको तो पूरा दूध-भांत है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं तो पहले ही बोल रहा था कि मौसम खराब है, आप लोग मत चर्चा करिये। आप लोग माने नहीं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ में सब प्रकार के अपराध होने लगे हैं। छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू कहा जाता था, वह छत्तीसगढ़ अपराध के गढ़ के रूप में परिवर्तित हो गया। अपराध के गढ़ के रूप में परिवर्तित होने के पीछे सबसे बड़ा कोई कारण है तो वह बड़ा कारण नशा है। यदि सबसे ज्यादा किसी नशे का उपयोग होता है, वह शराब का होता है। जब कांग्रेस के

घोषणा-पत्र में पूर्ण शराबबंदी का आश्वासन आया तो स्वाभाविक रूप से पूरे प्रदेश की जनता, विशेषकर महिलाओं को यह लगने लगा कि शराबबंदी होगी, घर की कलह समाप्त होगी, पूरे प्रदेश में शांति कायम होगी, लोगों की जो आर्थिक स्थति खराब हो रही है, उससे मुक्ति मिलेगी। उसके चलते छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को तीन चौथाई बहुमत प्रदान किया। जिस सरकार को उसके जन घोषणा-पत्र से तीन-चौथाई बहुमत प्राप्त हो, जनघोषणा-पत्र के प्रमुख बिन्दु पर ढाई साल बाद भी कोई कार्रवाई न हो, तो ऐसे विषय पर चर्चा नहीं होगी तो किस विषय पर चर्चा होगी।

माननीय अध्यक्ष जी, इसके पहले हरियाणा में बंशीलाल जी चुनाव लड़ रहे थे, आन्ध्रप्रदेश मे एन.टी.रामाराव चुनाव लड़ रहे थे, बिहार में आदरणीय नीतिश कुमार चुनाव लड़ रहे थे और तीनों ने समय-समय पर अपनी पार्टी के जन घोषणा-पत्र में इस बात का उल्लेख किया कि अगर उनकी सरकार बनेगी, तो वे अपने प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी करेंगे। उनको जनता का समर्थन मिला, जनता का समर्थन मिलने के बाद उन्होंने सबसे पहले कोई काम किया तो प्रदेश में शराबबंदी का काम किया। परन्तु दुर्भाग्य है कि ढाई साल बाद छत्तीसगढ़ की सरकार के सामने शराबबंदी की बात की जाती है तब अरबी भाषा के शब्द का उपयोग किया जाता है। सदन के वरिष्ठ मंत्री खड़े होकर बोलते हैं कि हमारा अपमान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री और माननीय टी.एस.सिंहदेव साहब खड़े होकर बोलते हैं कि हमने गंगाजल लेकर शपथ कब खाई थी। [XX][4] आनी चाहिए कि जन घोषणा-पत्र पूरे प्रदेश की मीडिया के सामने जारी हुआ और मुझसे पूछ रहे हैं कि हमने कब कहा।

श्री कवासी लखमा :- ये [XX] है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत आपत्तिजनक है, हमको [XX] आने की बात बोल रहे हैं, ये असत्य कथन कर रहे हैं। ये गंगा जल की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि [XX] आनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये किस प्रकार की बातें हैं ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको विलोपित किया जाये।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, [XX] वाले शब्द को विलोपित कराया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- इसको विलोपित कर दीजिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में ढाई साल के अंदर 4 हजार बलात्कार की घटनाएं घटित हुई, छत्तीसगढ़ में 8,632 चोरी की घटनाएं घटित हुई है, छत्तीसगढ़ में 898 हत्या के प्रयास के अपराध कायम हुए हैं और 10,275 से ज्यादा आत्महत्या हुई हैं। बलवा की 1,197 की घटनाएं हुई हैं। यदि आप इन घटनाओं के जड़ में जायेंगे तो उसका सिर्फ मात्र एक कारण मिलेगा-नशा। नशा के चलते, नशे की लत को पूरा करने के लिए लोग ये अपराध घटित कर रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं समाचार-पत्रों में पढ़ने को मिलती है कि नशे की हालत में पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर

[4] [XX] अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार विलोपित।

दी, पुत्र ने अपने दादी की हत्या कर दी, नाती ने अपने दादी की हत्या कर दी, हम ऐसी कई घटनाएं लगातार पढ़ रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में शराब पकड़ने का काम सरकार करती है। पर जब शराब पकड़ी जाती है तो शराब सप्लाई करने वाला कौन है, यह कभी नहीं पूछा जाता है। यदि कोई 2 पौवा, 5 पौवा कोई छठ्ठी-बरही के लिए लेकर जा रहा है, तो पुलिस पकड़कर उसका केस बना देती है। पर पूरे प्रदेश में सरकारी सरंक्षण में शराब बिक्री का काम चल रहा है, जिसका एक ध्यानाकर्षण आपने स्वीकार किया। 4 सौ पेटी शराब सिमगा के लोगों ने पकड़ा, पंचनामा हुआ, पंचनामा में यह लिखा गया कि शराब स्केन नहीं हो रही है, पंचनामा में यह लिखा गया कि ड्रायवर के पास लायसेंस नहीं था, पंचनामा में लिखा गया कि स्केन मशीन ठीक थी, दूसरे शराब में स्केन हो रही थी। आज उसमें सरकार का क्या जवाब आया ? दबावपूर्वक यह पंचनामा किया गया। अगर दबावपूर्वक पंचनामा किया गया है तो आपने दबाव डालने के खिलाफ क्या कार्रवाई की ? दबाव डालने वालों के खिलाफ आपने अपराध कायम क्यों नहीं करवाया ? प्रदेश में स्थिति क्या बन गई है, सईयां भये कोतवाल तो डर काहे का । माननीय अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी की सरकार इस कहावत को चरितार्थ कर रही है । माननीय डॉ.विनय जायसवाल जी वर्ष 2011 के उदाहरण दे रहे हैं कि डॉ.रमन सिंह ने क्या कहा था, मैं चुनौतीपूर्वक बोलता हूँ, डॉ.रमन सिंह की सरकार ने कभी पूर्ण शराबबंदी की बात नहीं की । डॉ.रमन सिंह ने हमेंशा यह कहा कि हम शराब के व्यवसाय को नियंत्रित करेंगे, शराब के अवैध कारोबार को समाप्त करेंगे । उसी को करने के लिए शराब के विक्रय नीति में परिवर्तन हुआ । ठेकेदारों के माध्यम से जो अवैध शराब बिकती थी, उसको रोकने के लिए शासकीय दुकान खोली गई, कोचियाप्रथा बंद हुई, इस सरकार ने क्या किया ? जो कोचियाप्रथा छत्तीसगढ़ में दो-तीन साल से बंद हो गयी थी, लॉक डाउन लगा, एक अच्छा समय था, पूरे प्रदेश में शराबबंदी लागू की जा सकती थी, आपने एक नया निर्णय लिया कि शराब की होम डिलिवरी करेंगे । 16 क्वार्टर तक व्यक्ति अपने घर पर शराब बना सकता था । कोई व्यक्ति 16 क्वार्टर शराब बनायेगा, 16 क्वार्टर पीयेगा नहीं, पाव-दो पाव पीयेगा, बाकी को बेचेगा । आपने होम डिलिवरी के माध्यम से घर-घर शराब बेचने की व्यवस्था कर दी । गांव-गांव में, वार्ड-वार्ड में कोचिया पैदा कर दिये और पैदा करने का काम भूपेश बघेल जी की सरकार की .....।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष जी, कोचिया की बात करते हैं । पिछली सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरकार वाले ही कोचिया का काम कर रहे थे । पिछली सरकार में कोचिया का काम कौन कर रहा था ? दारू बेचने का काम कर रहे थे, खुद कोचिया का काम कर रहे थे । [XX][5]

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, विलोपित नहीं करेंगे ? हम लोग दारू बेचने का काम करते थे ?

---

[5] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अध्यक्ष महोदय :- आप कहिये ना, शिकायत तो करिये ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप इसको विलोपित करिये ।

एक माननीय सदस्य :- आपत्तिजनक है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप आपत्ति करोगे कि नहीं करोगे ?

श्री अमरजीत भगत :-अध्यक्ष महोदय, डॉ. शिव डहरिया जी ने जो बात कही कि एम्बुलेंस में शराब पकड़ी गई, राजनांदगांव जिले की बात है, [XX][6] आप ही की सरकार थी ।

अध्यक्ष महोदय :- विलोपित की बात कहोगे कि नहीं कहोगे आप ? आप कह दीजिए, विलोपित कर दीजिए । विलोपित कर दूंगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कम से कम सदन के सदस्यों पर कोई मंत्री इस प्रकार के आरोप नहीं लगाये । यह ज्यादा औचित्यपूर्ण होगा । आप सदन चलाना चाहते हैं, हम शांति से चलाना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, ख्याल रखें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि...।

अध्यक्ष महोदय :- और कितने मिनट का निवेदन है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- 5-7 मिनट । माननीय अध्यक्ष जी, मैं विशेष निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि कुछ ऐसे विषय होते हैं, जिसे आपको स्वस्फूर्त निर्णय करके विलोपित करना चाहिये, जो बार-बार इस प्रकार का शब्द उपयोग करते हैं, उनको दण्डित भी करने की व्यवस्था हो ।

माननीय अध्यक्ष जी, ये शराबबंदी की बात कर रहे हैं, जो शराबबंदी की बात करने वाली सरकार है, उसने शराब से विक्रय का लक्ष्य बढ़ाया है । डॉ.रमन सिंह के समय में शराब से साल में इंकम 3000 करोड़ की थी, आज साल में इनका 5200 करोड़ रूपया शराब से आय प्राप्त करने का लक्ष्य है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो सीधा-सीधा आरोप लगाता हूँ । सरकार में बैठे लोगों का, वैध और अवैध कमाई का सबसे बढ़िया कोई जरिया है तो शराब है । इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, बिना स्कैन की शराब दुकानों में पहुंचना और उस पर कार्यवाही नहीं होना । माननीय अध्यक्ष जी, बाहरी राज्यों से जो छत्तीसगढ़ में शराब आई है, 12 प्रान्तों की शराब को पकड़ने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है । उसमें तेलंगाना है, मध्यप्रदेश है, उड़ीसा है, पंजाब है, चण्डीगढ़ है, गोवा है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, हिमांचल प्रदेश है और झारखण्ड की सरकार को छत्तीसगढ़ में पकड़ा गया है । यह 12 प्रान्तों की शराब पकड़ने की बात जो कर रहे हैं ना, अपवादस्वरूप एक दो प्रान्तों से बाहर की शराब आई होगी, नहीं तो छत्तीसगढ़ की शराब, छत्तीसगढ़ में ही बनाई जाती है, लेबल अलग-अलग प्रान्तों का लगाया जाता है और लेबल अलग-अलग लगाकर सरकार के संरक्षण में उसे बेचने का काम पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है ।

---

[6] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री अमरजीत भगत :- शिवरतन जी, इस प्रकार की जो आप भ्रमित करने वाली जो बात आप बोल रहे हैं तो हरियाणा की गाड़ी यहां कैसे पकड़ा जाता है ? उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश की गाड़ी यहां कैसे पकड़ाता है ।

श्री अरूण वोरा :- आपको कैसे मालूम कि लेबल लगाया जा रहा है । 15 साल तक ऐसा होता था क्या । लेबल लगाया जाता था ?

श्री धर्मजीत सिंह :- आप यह बात शिवरतन शर्मा जी से क्यों पूछ रहे हैं? क्या हरियाणा की गाड़ी कोई हवा में उड़कर आ गई? आपका ट्रांसपोर्ट बेरियर क्या कर रहा है? आप लोग वहां पर क्या करते हो? डॉलर लेकर छोड़ देते हो।

श्री अमरजीत भगत :- वही तो हम बोल रहे हैं कि जब यहां पर लेबल लगाते हैं तो वहां गाड़ी क्या कर रही थी? गाड़ी में क्या भरकर आये थे? वहां से गाड़ी कैसे आ गई?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मंत्री जी, वह 400 पेटी शराब के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं?

श्री धर्मजीत सिंह :- बैरियर में डालोगे या छोड़ दोगे, यहां पेपर में छपवाओगे।

श्री अमरजीत भगत :- वहां से गाड़ी कैसे आ गई ? .. (व्यवधान) ..

श्री सौरभ सिंह :- गाड़ी की नंबर प्लेटों का खेल है। शराब दुकानों से एक ही नंबर प्लेट की गाड़ियां निकल रही हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- जहां की परिवहन चौकी से आता है तो वहां पर क्या होता है ?

श्री अमरजीत भगत :- वह तो बाई रोड ही आई होगी। .. (व्यवधान) ..

श्री धर्मजीत सिंह :- आखिर हरियाणा की गाड़ी छत्तीसगढ़ में कैसे आ गई, यह सरकार बतायेगी न।

श्री अमरजीत भगत :- अगर छत्तीसगढ़ सरकार ने पकड़ा है तो अच्छा काम किया है न।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी समय बहुत कम है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, अभी जब मैं शराबबंदी पर बोल रहा हूं तो माननीय अमरजीत भगत जी खड़े हो करके सरकार की ओर से सफाई प्रस्तुत कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मत करिये न, आप तो अपनी बात कहिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, जब यह प्रभारी मंत्री के रूप में जिले के पहले दौरे में जाते हैं और डोगरगढ़ जैसे पवित्र स्थान में पत्रकार इनसे शराबबंदी के ऊपर प्रश्न करते हैं तो इनको पत्रकारों की आवाज सुनाई नहीं देती और इनका जवाब रहता है कि मैंने कुछ सुना नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय :- कभी-कभी ऊंचाई से नीचे आने पर या नीचे से ऊपर जाने पर कान में सुनवाई नहीं देता। यह तो आम बात है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- मंदिर में सुनाई नहीं देता।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो यह कामना करते हैं कि भगवान इनको सुनने की क्षमता दे। शराब को लेकर के इस सदन में अलग-अलग प्रकार से चर्चा हुई।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बहुत महान हैं, आपने हमको नई जानकारी दिया है।

श्री नारायण चंदेल :- हमें नई जानकारी दिये हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, दो दिन पहले शराब को ले करके माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का प्रश्न था और प्रश्न में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने पूछा था कि किस-किस प्रकार की समिति शराबबंदी के लिए बनाई गई है ? तीन प्रकार की समिति बनाने का उल्लेख आबकारी मंत्री के प्रतिनिधि रूप में माननीय मोहम्मद अकबर जी ने दिया। अब ढाई साल में यह स्थिति बन गई है कि समिति की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, समिति की कोई बैठक नहीं हुई है। जो सामाजिक संगठनों की समिति बननी थी, उस समिति में किस समाज का कौन व्यक्ति सम्मिलित किया जायेगा, ढाई साल में यह सरकार उन व्यक्तियों का चयन करने में भी असफल रही। जब व्यक्तियों का चयन नहीं हुआ, समिति के सदस्यों का नाम तय नहीं हुआ तो समिति की बैठक कैसी होगी। अब हमारे सबसे सीनियर सदस्य आदरणीय सत्तू भैया को नींद आ रही है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब आप कृपया समाप्त करिये, आपने समय ज्यादा ले लिया।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में समाप्त करता हूं। सत्तू भैया के नेतृत्व में जो राजनीतिक समिति बनाई गई, आज तक उस समिति की बैठक नहीं हुई। उस समिति ने कोई निर्णय नहीं किया। ढाई साल का पीरियड निकल गया।

श्री नारायण चंदेल :- वह जिस समिति के सदस्य हैं, उसका असर है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ढाई साल में समिति का कोई निर्णय नहीं हुआ और समिति कैसा काम कर रही है, उसका उदाहरण अभी आपके सामने है।

श्री बृहस्पत सिंह :- इधर सत्य शर्मा हैं, उधर असत्य शर्मा हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ की पुलिस निरपराध लोगों को जो पाव, दो पाव अपने पीने के लिए खरीद रहा है, उसको पकड़ती है। उनके खिलाफ केस बनाती है। 10 हजार, 20 हजार रुपये की मांग होती है। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे ज्यादा प्रकरण कहां बने हैं, आपकी जानकारी में ला देता हूं। आपका जिला इसमें भी नंबर वन है। जांजगीर-चापा जिले में 1392 प्रकरण अवैध शराब के दर्ज किये गये।

अध्यक्ष महोदय :- जांजगीर-चांपा जिला बहुत बड़ा जिला है। वहां से 6 विधायक आते हैं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में हम सब चीज में अव्वल हैं।

अध्यक्ष महोदय :- वहां से 6 विधायक आते हैं, वह बहुत बड़ा जिला है। सिंचाई में भी आगे है, धान के उत्पादन में भी आगे है, सब जगह आगे ही है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर नगर 7 विधानसभा का जिला है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये न, सब छोड़िये न।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बता रहा हूं कि आपका जिला नंबर वन में चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- यहां बडे लोग हैं वहां छोटे लोग हैं। अब आप समाप्त करिये न।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, यह शराबबंदी करने की बात कर रहे थे। शराबबंदी की बात करने वाले लोग अब 12 प्रीमियम काउण्टर खोल चुके हैं। मंहगी शराब शहर के अंदर दुकानों से बिकेगी। नई दुकान खोलने की बात इस सरकार ने की है। आपने 2018 में 3700 करोड़ रुपये के लाभ का लक्ष्य था और 2020-21 में 5200 करोड़ रुपये के लाभ का लक्ष्य शराब के लिए रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ को शांति के मार्ग पर चलाना है, छत्तीसगढ़ को अपराध मुक्त करना है तो छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी आवश्यक है। नहीं तो जिस प्रकार उड़ता पंजाब कहा जाता था, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ को भी उड़ता छत्तीसगढ़ कहा जाने लगेगा। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से निवेदन करता हूं क्या आप अपने घोषणा पत्र को पूरा नहीं कर पा रहे हो। 1 जनवरी 2022 से ये सदन संकल्प ले कि छत्तीसगढ़ में हम पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे। इसके निवेदन के साथ समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए मतलब पूर्ण उत्तर।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, घोषणा पत्र को दिखाते हुए माननीय शिवरतन शर्मा जी ने अपनी बात यहां कही है। अपने घोषणा पत्र के बारे में भी आपको याद रखना चाहिए। अब आप ये बता दें कि हर आदिवासी परिवार को एक गाय देने की बात हुई थी कि नहीं हुई थी। आप तो ये बोल रहे हैं कि गंगा जल उठाकर हमने कसम खाई कि शराबबंदी करेंगे, जबकि ऐसी कोई बात थी नहीं। हर आदिवासी परिवार को एक गाय, इसके आगे हर आदिवासी परिवार के एक सदस्य को नौकरी।

श्री शिवरतन शर्मा -: माननीय अध्यक्ष महोदय, हम नहीं कर पाये इसलिये तो जनता ने हमको यहां बैठा दिया।

श्री राम कुमार यादव :- शर्मा जी, कई झन मन गरूवा ला बांध के राखे हे कि गाय दीही करके।

श्री मोहम्मद अकबर -: हर आदिवासी परिवार के एक सदस्य को नौकरी, 5 हार्स पावर का बिजली का पम्प फ्री, 270 रूपया बोनस, सभी बेरोजगारों को भत्ता। अपने घोषणा पत्र को भी जरा याद करके बात करें। दूसरा ये कि जब दिल्ली की सरकार बनी तो क्या कहां गया कि विदेशों से काला धन लायेंगे और जिस दिन विदेशों से काला धन आ गया आप सब के खातों में 15-15 लाख रूपये सीधे

पहुंचेगा। सीधे इनडायरेक्ट आज तक नहीं पहुंचा। घुमाफिराकर भी पहुंचा देते, कुछ भी पहुंचा देते लेकिन नहीं पहुंचा पाये। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हुई वह भी नहीं हुआ। तो घोषणा पत्र के बारे में तो बात मत करें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल -: घोषणा पत्र के शराब के बारे में बात कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद अकबर -:ठीक है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल -: अगर शराब के बारे में हमने कुछ कहा हो, अगर कहा हो तो आप बता दीजिए। विषयांतर्गत बाते हो रही हैं। आज शराब के बारे में चर्चा हो रही है, अगर शराब के बारे में घोषणा पत्र में हमने कुछ कहा हो और हमने नहीं किया हो तो आप वह बता दें।

श्री मोहम्मद अकबर -: अच्छा ठीक है आप शराब के बारे में सुन लीजिये। शराब की शुरूआत अरबी से शुरू हुई। आपने उसको बुरा पानी कह दिया। इस सदन में सबसे ज्यादा संख्या विधायक, आदिवासी विधायकों की है और आदिवासी समाज के धार्मिक उत्सव, महोत्सव में मदीरा का उपयोग किया जाता है, यह भी आपकी जानकारी में है और इसीलिये आदिवासी क्षेत्र में 5 लीटर शराब और धारण के लिये अनुमति राजयपाल के प्रदत्त अधिकारों के तहत दिया गया है। अब आप उसको बुरा पानी बोल रहे हैं। आपको तो माफी मांगनी चाहिए यदि आपने कोई मामला उठाया है शराबबंदी को लेकर तो आप उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते कि अरबी में बुरा पानी कहा जाता है, कहा जाता होगा। यहां बोलने की जरूरत नहीं है, यहां उसका एक दूसरा मामला आता है। यदि शराबबंदी के बारे में आप इस प्रकार की बात बोलते हैं, इनको बुरा लगता है आदिवासी समाज को, आपको तो माफी मांगनी चाहिये इस बारे में।

श्री शिवरतन शर्मा -: अध्यक्ष जी, मैंने जो बुरा पानी कहा तो उस शराब का अरबी अनुवाद मैंने किया एक बात और दूसरी बात आदिवासी समाज पूजा में जो शराब का उपयोग करते हैं। आपको मैं बता दूं कि मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ा आदिवासी समाज रहता है। महुआ के फूल का उपयोग किया जाता है और महुआ के फूल का उपयोग इसलिये किया जाता है कि महुआ का फूल कभी मुरझाता नहीं। एक साल बाद भी अगर महुआ रखा है और उसको पानी में डालेंगे तो वह फिर फूल जाता है तो पूजा में महुआ के फूल का उपयोग होता है।

श्री बृहस्पत सिंह :- महुआ से जो बनता है उसको क्या बोलते है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल -: मंत्री जी को कम से कम इस सदन में वर्ग विभेद की बातें नहीं करनी चाहिए। इस सदन में सभी लोग विधायक है चाहे वह अनुसूचित जाति के लोग हो, चाहे अनुसूचित जनजाति के लोग हों । सब को बराबर का अधिकार है और इसलिये वर्ग विभेद की बात सदन में करना, ये सदन का अपमान है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे धर्म में उसका उल्लेख सोमरस के रूप में हुआ है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय शर्मा जी, आप महुंआ का उल्लेख कर रहे थे। आप सुन लीजिए। हम आदिवासी लोग महुंआ को चुनकर रखते हैं और खुद बनाते हैं, उसको दारू बोलते हैं और दवा भी बोलते हैं। जब हम लोग पूजा करते हैं, उसको तपावन के रूप में चढ़ाते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महुंआ का फूल चढ़ाते हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महुंआ का फूल ही नहीं, महुंआ का बनाया हुआ, उसको दारू बोलते हैं, दवाई बोलते हैं। हम शराब नहीं बोलते हैं।

डॉ.लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम दोनों चढ़ाते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम थोडी शराब बोल रहे हैं। वह तो माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं। हमने इस बात को बोला ही नहीं।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय बृजमोहन जी, आज रिकॉर्ड को निकलवाकर देख लें, उन्होंने शराब का अर्थ बुरा पानी कहा है उन्होंने शराब शब्द का उपयोग किया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम शराब अभी भी बोल रहे हैं। अरबी में शराब का मतलब क्या होता है, मैंने यह कहा है।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप अरबी को छोड़िए।

डॉ.लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां अरबी नहीं बोलते हैं। यहां हल्बी, गोड़ी बोलते हैं उसमें बोलिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- यह आपके विवेक के रूप है कि दारू, दवाई, तपावन, उन सब को छोड़िए, यह आापके विवेक के ऊपर है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। आप जाने दीजिए।

डॉ.लक्ष्मी ध्रुव :- भारत में अरबी नहीं बोलते हैं या तो आप हल्बी बोलिए या गोड़ी भाषा बोलिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए, वह विषय समाप्त करिये। दूसरा मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 1 जनवरी, 2019 में लिये गए निर्णय अनुसार 3 समितियां बनायी गईं थीं। आर्थिक, सामाजिक एवं व्यावहारिक और इसको अध्ययन करने हेतु राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार समिति का गठन करता है,जिसमें सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर, विषय विशेषज्ञ पद्मश्री शमशाद बेगम, पद्म श्री फूलबासन बाई, राजनांदगांव, सुश्री मनीषा शर्मा, श्री अजय कुमार, श्री अमितेष कुमार सिंह, नशा मुक्ति अभियान, जे.पी. मिश्रा पूर्व संचालक एच.आर.सी. और श्री सोना राम सोरी, सेवानिवृत्त वाणिज्यिक कर अधिकारी। इनकी समिति बनायी गई और इस समिति की बैठक 9 अक्टूबर 2019 को हुई। आपने कहा कि कोई बैठक नहीं हुई। इस समिति की बैठक हुई। एक माननीय विधायकों

की भी समिति बनायी गई। भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक के नाम के लिए माननीय नेता प्रतिपक्ष को और आपके भारतीय जनता पार्टी के जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको दो बार, तीन बार पत्र लिखा गया कि आप अपना नाम मनोनीत कर दें। दो विधायकों के नाम की मांग की गई, लेकिन आप लोगों ने अभी तक नाम नहीं दिया। जनता कांग्रेस की तरफ से नामों की मांग की गई, लेकिन उन्होंने भी नहीं दिया। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से केवल एक नाम प्राप्त हुआ। मेरा यह कहना है कि यदि आप वह नाम देते और आपके सदस्य आकर अपने विचार रखते तो ज्यादा उचित होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रतिनिधियों, अलग-अलग सामाजिक प्रतिनिधि की बात हो रही है, इसमें साहू समाज के अध्यक्ष या प्रतिनिधि, कुरमी समाज के अध्यक्ष या प्रतिनिधि, सर्व कुरमी समाज के अध्यक्ष या प्रतिनिधि, यादव समाज के अध्यक्ष या प्रतिनिधि, ब्राम्हण समाज के अध्यक्ष या प्रतिनिधि, सतनामी समाज के अध्यक्ष या प्रतिनिधि, आदिवासी समाज के अध्यक्ष या प्रतिनिधि, सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष या प्रतिनिधि, मरार समाज के अध्यक्ष या प्रतिनिधि, कलार समाज के अध्यक्ष या प्रतिनिधि, सिक्ख समाज के अध्यक्ष या प्रतिनिधि, सिंधी समाज के अध्यक्ष या प्रतिनिधि, गुजराती समाज के अध्यक्ष या प्रतिनिधि, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष या प्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज के अध्यक्ष या प्रतिनिधि, उत्कल समाज के अध्यक्ष या प्रतिनिधि, पनिका समाज के अध्यक्ष या प्रतिनिधि, राजपूत ठाकुर समाज के अध्यक्ष या प्रतिनिधि, 18 और इसके अलावा क्रिश्चियन समाज के अध्यक्ष या प्रतिनिधि, मुस्लिम समाज के अध्यक्ष या प्रतिनिधि, केवट समाज के अध्यक्ष या प्रतिनिधि, 21। इसके अलावा यदि और कोई छूट गया हो, आप संज्ञान में लायेंगे तो उसको भी जोड़ लेंगे। सारे लोगों का प्रतिनिधि, सारे लोगों का विचार आमंत्रित है और आमंत्रित किया गया है इसी के लिए यह समिति यहां पर बनायी गई है। अब यह समिति क्यों बनायी गई है? समिति के अध्ययन हेतु निर्धारित बिंदु ..।

समय :
4:38 बजे

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए)

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने 21 समाज का उल्लेख कर दिया। आपने समाज से इसके नाम मंगाये क्या? एक समाज में कई फिरके हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, जो नामों के बारे में इसके पहले प्रश्नकाल में विधान सभा में यह बात आ चुकी है कि सारे पदेन अध्यक्ष, पदेन सदस्य के रूप में रखे गए हैं और समय-समय पर अलग-अलग समुदाय, अलग- अलग समाज के चुनाव भी होते रहते हैं तो उसके हिसाब से इनको आमंत्रित करने के लिए यह बात रखी गई है। अब बात आती है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने अपने जनघोषणापत्र में पूर्ण शराब बंदी लागू करने की बात की है तो इस समिति का औचित्य ही क्या है? यह आपको अपने जन घोषणापत्र में पूर्ण शराब बंदी लागू करने के पहले समिति बनाकर विचार कर लेना था । जब आपने जन घोषणा पत्र में रख दिया कि हम पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे, जनता ने उसमें आपको मेंडेड दिया, आपको बहुमत प्राप्त हुआ तब समिति के विचार का कोई औचित्य ही नहीं है। किसी राष्ट्रीय पार्टी ने एक बार घोषणा करने के बाद समिति नहीं बनाई, आपने घोषणा की है, आपको मेंडेड मिला है, अब समिति की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा-सीधा बंद करने की आवश्यकता है।

श्री मोहम्मद अकबर :- उसमें आगे आ रहा हूं। जो समिति अध्ययन हेतु बनाई गयी है, उनको क्या-क्या कार्य सौंपे गये। विभिन्न राज्यों में पूर्ण शराबबंदी लागू किये जाने के फलस्वरूप राज्यों के वित्तीय ढांचे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव ...।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी इधर-उधर दाएं बाएं चल रहे हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- दाएं बाएं नहीं चल रहा हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- उस समिति को क्या करना है, नहीं करना है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपने 21 समाज की समिति बनाई, उस समिति की ढाई साल में एक बार बैठक हुई, देख करके बता दीजिए। उस समिति की एक बार बैठक हुई हो, जो सामाजिक समिति है। क्योंकि आपने किसी का नाम नहीं अंकित किया या उसके प्रतिनिधि का नाम अंकित नहीं किया। आखिर उसको चस्पा करेंगे क्या और चस्पा करके उसको बुलवायेंगे ? दूसरी बात, आपने जो कहा कि क्या-क्या करना है, दो समिति की बैठक हुई है वह ढाई साल में केवल एक बार हुई है। ढाई साल में बैठक होने के बाद में आज तक समिति के अध्यक्ष सो रहे हैं, अनुशंसा नहीं हुई है। ऐसे ही सरकार सो रही है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आधे घंटे से ना।

श्री धरमलाल कौशिक :- उसके बाद भी नहीं उठ पा रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जो बता रहे हैं कि ये करना है, वो करना है, न तो उनकी बैठक हो रही है, न वे किसी प्रदेश में जा रहे हैं, न उसमें कुछ कार्यवाही हो रही है, उसका बताने का औचित्य क्या है, इसलिए उसका कोई औचित्य नहीं है और कृपया समिति के नाम पर प्रदेश की जनता को आप धोखा देना बंद करें। जिस समिति की बैठक न हो, जिस समिति के सदस्य का नाम न हो, उस समिति का औचित्य नहीं है, आप केवल प्रदेश के लोगों को इस समिति के नाम पर धोखा दे रहे हैं कि हम दारूबंदी करेंगे लेकिन ढाई साल में आपकी बैठक नहीं हो पा रही है।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय सभापति महोदय, आपकी पूरी बात आ गयी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय एक मिनट, माननीय मंत्री जी, पांच राज्यों ने शराबबंदी का निर्णय किया।

श्री अमितेश शुक्ल :- शर्मा जी, हमारे अर्धकुंभ के महामंडलेश्वर जी बैठे हुए हैं, राजिम में कितना महत्व है, वे जानते हैं, 15 दिन की जो शराबबंदी की है उसमें क्या भावना है बता दो।

श्री शिवरतन शर्मा :- हम तो पूरे दिन के लिए बात कर रहे हैं।

श्री अमितेश शुक्ल :- राजिम में शराबबंदी की गयी।

सभापति महोदय :- चलिए आप जल्दी बोलिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, पांच प्रांतों में शराबबंदी का निर्णय हुआ। पांच प्रांतों में चार प्रांत ऐसे हैं, जहां क्षेत्रीय पार्टी ने इस निर्णय को किया। एन.टी.रामा राव जी की क्षेत्रीय पार्टी थी, हरियाणा में बंशीलाल जी की क्षेत्रीय पार्टी थी, बिहार में नीतीश कुमार जी थे, भले वह राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्ज है, कुल मिलाकर उसका बिहार के बाहर अस्तित्व नहीं के बराबर है, मिजोरम में भी एक बार निर्णय हुआ, मिजोरम में भी जो निर्णय हुआ, वहां की क्षेत्रीय पार्टी ने किया। खाली गुजरात ऐसा राज्य रहा जहां महात्मा गांधी जी के नाम पर सर्व सम्मति से शराबबंदी का निर्णय हुआ। सब जगह क्षेत्रीय पार्टी ने किया, राष्ट्रीय पार्टी ने अगर शराबबंदी को अपने जन घोषणा पत्र में लिया है तो खाली छत्तीसगढ़ है और कांग्रेस पार्टी की अन्य सरकारों ने निर्णय नहीं किया। हम जो शराबबंदी की बार-बार बात कर रहे हैं, आपके जन घोषणा पत्र को आधार मानकर कर रहे हैं। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए।

सभापति महोदय :- चलिए, माननीय मंत्री जी।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, समिति के अध्ययन हेतु जो बिंदु निर्धारित हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। विभिन्न राज्यों में पूर्ण शराबबंदी लागू किये जाने के फलस्वरूप राज्यों के वित्तीय ढांचे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। शराबबंदी का सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव, शराबबंदी को लागू करने में आई कठिनाईयां, शराबबंदी के फलस्वरूप राज्यों के कानून व्यवस्था की स्थिति में परिवर्तन बदलाव, अवैध मदिरा के विक्रय परिवहन धारण को रोके जाने संबंधी समानांतर कार्यवाही का अध्ययन, अनुसूचित क्षेत्रों में अनसूचित जनजाति के समुदायों को नीयत सीमा तक शराब के निर्माण एवं धारण की छूट पर शराबबंदी के प्रभाव औचित्व सफलता, अनुसूचित क्षेत्रों में शराबबंदी के फलस्वरूप उत्पन्न विधिक परिस्थितियां एवं प्रभाव, शराबबंदी के फलस्वरूप जन स्वास्थ्य पर प्रभाव, शराबबंदी के फलस्वरूप पूर्व में नियोजित कर्मचारियों का परिस्थापन, पुनर्नियोजन, पूर्ण शराबबंदी के पूर्व राज्य सरकार द्वारा चलाये गये जन चेतना अभियान एवं उसका प्रभाव तथा सामाजिक अंकेक्षण, राज्य सरकार द्वारा पूर्व में संचालित नशामुक्ति केंद्रों की कार्यप्रणाली एवं उनकी भूमिका। अब बात आती है कि इसमें मीटिंग हुई कि नहीं हुई। मैं आपकी जानकारी में दे दूं कि 19 अगस्त, 2019 को एक बैठक हुई। उसके पहले आपकी जानकारी में एक बात और भी बता देना चाहता हूं, 22 मार्च, 2014 को आपके पूर्व मंत्री श्री अमर अग्रवाल ने यहां कहा कि हमारा प्रयास है कि शराब की खपत में कमी करना लेकिन पूरे

देश में शराबबंदी सफल नहीं हुई है यह आपके श्री अमर अग्रवाल जी का विचार है । अब इसके बाद जो मीटिंग की कार्यवाही हुई, मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देना चाहता हूं । इस मीटिंग में जो सदस्य उपस्थित थे ।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में कहीं पर यह बोला ही नहीं कि शराबबंदी होगी । कभी नहीं बोला और मैं यह बोलना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी को छोड़कर संभवत: कांग्रेस पार्टी की किसी इकाई में, किसी चुनाव में इस बात को नहीं बोला है । साथ में समांतर मध्यप्रदेश में चुनाव हुए, अन्य जगह चुनाव हुए । किसी ने कहीं पर नहीं बोला है कि हम शराबबंदी करेंगे । यह अकेला उदाहरण है कि राष्ट्रीय पार्टी की एक इकाई ने इस बात को बोला हो कि हम शराबबंदी करेंगे ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, जितनी बड़ी जनसंख्या के गांव थे । धीरे-धीरे वहां पर शराब की दुकानें बंद की गईं ।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी जितना बोल रहे हैं कि समिति बनाये । मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने यह घोषणा की थी कि शराबबंदी करेंगे तो शराबबंदी है कि लंदी-फंदी है ? आपको सीधे यह उत्तर देना है कि आप शराबबंदी बंद करेंगे या नहीं करेंगे यह उत्तर देना है । यह घुमावदार कथा मत पढ़िए । हम लोग कथा-भागवत सुनने के लिये नहीं आये हैं। आप सत्यनारायण की कथा मत पढ़िए ।

श्री मोहम्मद अकबर :- जब आपने प्रस्तुतिकरण में बहुत विस्तारपूर्वक बातें कही तो हम लोगों ने तो आपत्ति नहीं की तो थोड़ा सुन लीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- पूरा सुनेंगे ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, राजनीतिक समिति की बैठक दिनांक 19.08.2019 को हुई और प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 09.10.2019 को हुई । अब जो राजनीतिक समिति की बैठक दिनांक 19.08.2019 को माननीय श्री सत्यनारायण जी की अध्यक्षता में हुई । उसमें उपस्थित सदस्य में श्री द्वारिकाधीश यादव, इसमें जो सदस्य हैं श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री कुंवरसिंह निषाद, श्री दलेश्वर साहू, श्री शिशुपाल सोरी, श्रीमती रश्मि आशीष सिंह, श्री पुरूषोत्तम कंवर, श्री केशव प्रसाद चंद्रा । अधिकारियों में श्री निरंजन दास, भारतीय प्रशासनिक सेवा, श्री मायनुस तिग्गा, श्री राकेश मण्डावी, श्री संजय पारिक, श्री आर.एस. ठागी ऐसे अनेक लोग हैं जो इस मीटिंग में उपस्थित थे। अब बैठक में यह जानकारी दी गई कि भारतीय जनता पार्टी के और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जे.) इसमें इस समिति के लिये नामों को मांगा गया था लेकिन उनकी तरफ से नहीं दिया गया । इस बैठक में जो चर्चा हुई, मैं उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि वर्तमान में देश के गुजरात, बिहार, मिजोरम, नागालैण्ड राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप में

पूर्ण शराबबंदी लागू है । देश के अन्य राज्यों के द्वारा भी समय-समय पर पूर्ण शराबबंदी लागू की गई । जिसमें विभिन्न कारणों से समाप्त किया गया है । आंध्रप्रदेश राज्य में वर्ष 1994 में शराबबंदी लागू हुई जो वर्ष 1997 में समाप्त किया गया । हरियाणा राज्य में भी वर्ष 1996 में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई । दिनांक 1 अप्रेल, 1998 को समाप्त किया गया । वर्ष 2014 में केरल राज्य में होटलों एवं बारों के लाईसेंसियों को नवीनीकृत न किये जाने का प्रावधान किया गया । साथ ही राज्य की 10 प्रतिशत मदिरा दुकानों को प्रतिवर्ष बंद किये जाने का प्रावधान भी किया गया था जो वर्ष 2017 में समाप्त कर दिया गया । 01 अप्रेल 1991 से मणिपुर राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की गयी थी । जो वर्ष 2002 से आंशिक मद्ध निषेध के रूप में परिवर्तित कर दी गई । तमिलनाडू राज्य में वर्ष 1974 में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी जिसे वर्ष 1981 में समाप्त किया गया । यह सब बताने का मतलब यह है कि सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से शराबबंदी का परिणाम क्या होने जा रहा है ?

माननीय सभापति महोदय, कोरोना काल के समय, आपने लॉकडाउन के समय देखा कि छत्तीसगढ़ में दो बड़ी घटनाएं हुईं । सैनिटाईजर पीकर कुछ लोगों की मृत्यु हुई और कुछ लोगों की मृत्यु स्पिरिट पीकर हो गई तो इन सब परिस्थितियों को देखना भी जरूरी है । अब यह बात आती है कि आपने समितियां क्यों बनायीं ? समिति इसलिए बनायी कि पूरे देश का जो परिवेश है, शराबबंदी को लेकर कहां-कहां, क्या-क्या हुआ ? इस सबका अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी है । सामाजिक स्थिति भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है इसलिए माननीय सदस्य ने यहां पर जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है तो उसके बारे में शासन की तरफ से जो कहना है तो राज्य शासन पूर्ण शराबबंदी के उद्देश्य से 3 समितियां राजनीतिक समिति, प्रशासकीय समिति, सामाजिक संगठनों की समिति का गठन किया है जिनके सुझावों के आधार पर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी को लागू करने के संबंध में यथेष्ट निर्णय लिया जायेगा, मेरा केवल इतना कहना है ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- सदन का यह मत है कि छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 1 जनवरी, 2022 से पूर्ण शराबबंदी की जाये।

जो माननीय सदस्य संकल्प के पक्ष में हो, वे कृपया हां कहें।

जो माननीय सदस्य संकल्प के विपक्ष में हो, वे कृपया ना कहें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- डिवीजन। डिवीजन। डिवीजन। डिवीजन।

सभापति महोदय :- ना की जीत हुई।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- डिवीजन। डिवीजन।

सभापति महोदय :- मैं दोबारा पढ़ लेता हूं।

जो माननीय सदस्य संकल्प के पक्ष हो, वे कृपया हां कहें।

जो माननीय सदस्य संकल्प के विपक्ष में हो, वे कृपया ना कहें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- डिवीजन। डिवीजन। डिवीजन। डिवीजन।

सभापति महोदय :- ना की जीत हुई। ना की जीत हुई।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- डिवीजन। डिवीजन।

सभापति महोदय :- संकल्प अस्वीकृत हुआ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- डिवीजन। डिवीजन।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, हमने इस पर डिवीजन मांगा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमने डिवीजन मांगा है।

सभापति महोदय :- संकल्प अस्वीकृत हुआ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमने उसी समय डिवीजन मांगा है।

सभापति महोदय :- मैं एक बार पुन: पूछ लेता हूं।

जो माननीय सदस्य इस अशासकीय संकल्प को स्वीकृत किये जाने के पक्ष में हों, वे कृपया हां कहें।

जो माननीय सदस्य इस अशासकीय संकल्प को अस्वीकृत किये जाने के विपक्ष में हों, वे कृपया ना कहें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- डिवीजन। डिवीजन। डिवीजन।

सभापति महोदय :- मत विभाजन के लिए घंटी बजायी जाये और लॉबी को खाली कराया जाये।

(मत विभाजन के लिए घंटी बजायी गयी)

समय :

4:52 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

अध्यक्ष महोदय :-जो माननीय सदस्य इस अशासकीय संकल्प को स्वीकृत किये जाने के पक्ष में हो, वे कृपया हां कहें।

जो माननीय सदस्य इस अशासकीय संकल्प को अस्वीकृत किये जाने के विपक्ष में हो, वे कृपया ना कहें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- डिवीजन। डिवीजन। डिवीजन। डिवीजन।

अध्यक्ष महोदय :- अब मत विभाजन होगा। मत देने के इच्छुक से अनुरोध है कि मेरी दांयी तरफ की लॉबी में जाकर हस्ताक्षर करें और अशासकीय संकल्प पारित किये जाने के विपक्ष में जो मत देना चाहें, वे बांयी तरफ जाकर हस्ताक्षर करें।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

<u>ना पक्ष</u>

1. श्री गुलाब कमरो
2. डॉ. विनय जायसवाल
3. श्रीमती अम्बिका सिंहदेव
4. श्री पारसनाथ राजवाड़े
5. डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम
6. बृहस्पत सिंह
7. श्री चिन्तामणि महाराज
8. डॉ. प्रीतम राम
9. श्री टी.एस. सिंहदेव
10. श्री अमरजीत भगत
11. श्री यू.डी.मिंज
12. श्री रामपुकार सिंह ठाकुर
13. श्री चक्रधर सिंह सिदार
14. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
15. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
16. श्री उमेश पटेल
17. श्री लालजीत सिंह राठिया
18. श्री जयसिंह अग्रवाल
19 श्री पुरूषोत्तम कंवर
20. श्री मोहित राम
21. डॉ. के.के. ध्रुव
22. डॉ. रश्मि आशिष सिंह
23. श्री शैलेष पांडे
24. श्री रामकुमार यादव
25. श्री किस्मत लाल नन्द
26. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
27. श्री द्वारिकाधीश यादव
28. सुश्री शकुंतला साहू

<u>हां पक्ष</u>

1. डॉ. रेणु अजीत जोगी
2. श्री धर्मजीत सिंह
3. श्री पुन्नूलाल मोहले
4. श्री धरमलाल कौशिक
5. श्री रजनीश कुमार सिंह
6. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
7. श्री सौरभ सिंह
8. श्री नारायण चंदेल
9. श्री शिवरतन शर्मा
10. श्री बृजमोहन अग्रवाल
11. श्री डमरूधर पुजारी
12. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
13. डॉ. रमन सिंह

अभिलेख/प्रकाशन के लिए नहीं

29. श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा
30. श्री सत्यनारायण शर्मा
31. श्री विकास उपाध्याय
32 श्री कुलदीप जुनेजा
33. डॉ. शिवकुमार डहरिया
34. श्री अमितेश शुक्ल
35. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
36. श्रीमती संगीता सिन्हा
37. श्रीमती अनिला भेंडिया
38. श्री कुंवर सिंह निषाद
39. श्री भूपेश बघेल
40. श्री ताम्रध्वज साहू
41. श्री अरूण वोरा
42. श्री देवेन्द्र यादव
43. श्री गुरू रूद्र कुमार
44. श्री रविन्द्र चौबे
45. श्री गुरूदयाल सिंह बंजारे
46. श्री मोहम्मद अकबर
47. श्री देवव्रत सिंह
48. श्री भुनेश्वर शोभाराम बंजारे
49. श्रीमती छन्नी चन्दू साहू
50. श्री इन्द्रशाह मंडावी
51. श्री अनूप नाग
52. श्री संतराम नेताम
53. श्री बघेल लखेश्वर
54. श्री रेखचंद जैन
55. श्री राजमन बेंजाम
56. श्रीमती देवती कर्मा
57. श्री विक्रम मंडावी
58. श्री कवासी लखमा

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- अशासकीय संकल्प के पक्ष में 13 मत तथा अशासकीय संकल्प के विपक्ष में 58 मत प्राप्त हुए।

अशासकीय संकल्प अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रमोद कुमार शर्मा, जल्दी खत्म करिए।

(2) संत रविदास की जयंती पर शासकीय अवकाश घोषित किया जाय ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलोदा बाजार) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन का यह मत है कि संत रविदास जी की जयंती पर शासकीय अवकाश घोषित किया जाय। भारत के महान् संत श्री रविदास जी का जन्म माघ पूर्णिमा जो फरवरी महीने में होता है, 15वीं शताब्दी में हुआ था । मन चंगा तो कठौती में गंगा शब्द के माध्यम से सादगीपूर्ण जीवन जीने का संदेश देने वाले महान् संत रविदास, संत कबीरदास जी के गुरू भाई थे । जिनका जन्म भले ही काशी में हुआ हो परंतु वे पूरे भारतवर्ष में समान रूप से सम्मानित संतों के रूप में विख्यात हैं । इनकी जातिवाद एवं आध्यात्मिकता से क्षेत्र में किये गये कार्यों के कारण सम्पूर्ण देश में ख्याति है । इनके अनुयायी मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा आदि प्रांतों में लाखों की संख्या में हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- मेरे कहने से सुधार लो । उसको ऑब्लिक लगाकर रैदास भी कर लो । क्योंकि कई लोग उनको रैदास के नाम से भी जानते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- संत रविदास को रैदास पंथ के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है । इस सम्प्रदाय के मानने वाले लोगों की संख्या छत्तीसगढ़ में लाखों में है । इनके अनुयायियों की मंशा है कि संत रविदास के जन्म दिवस पर शासकीय अवकाश घोषित किया जाए । संत रविदास जयंती पर जनभावना को दृष्टिगत् रखते हुए छत्तीसगढ़ में संत रविदास की जयंती शासकीय अवकाश के रूप में घोषित किया जाए । मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इसमें अपना सहयोग करके सर्वसम्मति से पारित करें एवं एक समुदाय का मान रखें ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भाई प्रमोद कुमार शर्मा ने बहुत ही महत्वपूर्ण अशासकीय संकल्प लाया है । जिसमें रविदास जिसे संत रैदास जी के नाम से हम सब जानते हैं । न केवल उत्तर भारत बल्कि पूरे देश में उनके मानने वाले लोग हैं । संत रैदास ऐसे वर्ग से जिसे हम दलित कहते हैं, उस वर्ग से आते हैं लेकिन भारत में यह परम्परा रही है । कार्यों से, जाति से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता बल्कि अपने कार्यों और विचारों से उसकी पहचान होती है । जिसमें हम संत

रविदास जी की गणना करते हैं । रविदास जी भक्तिमार्ग के थे । भक्ति में कोई वाद-विवाद नहीं चाहते थे । वे ऊंच नीच के खिलाफ थे । जाति भेद के खिलाफ थे । समाज सुधारक के रूप में हम जानते हैं । जैसा कि प्रमोद भाई ने कहा कि वे कबीर दास जी के समकालीन थे, साथ ही मीरा बाई के गुरू के रूप में भी उनका परिचय है । ऐसे महान् संत की जयंती में हम लोग भी जाते हैं । हम सब उसमें सम्मिलित होते हैं और सदगुरू रैदास जी के जयंती पर शासन की ओर से ऐच्छिक अवकाश पहले से घोषित हुआ है राष्ट्रीय अवकाश भी है प्रदेश के स्तर पर भी अवकाश है और अवकाश की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है तो कार्य दिवस लगातार उसमें घटती जाती है और इस कारण से जिन समुदाय के लोग हैं उसके लिए ऐच्छिक अवकाश का प्रावधान है और संत रैदास जी की जयंती पर भी ऐच्छिक अवकाश है चूंकि बहुत ही संक्षिप्त में भाई प्रमोद ने रखा इसलिए मैं भी संक्षित में अपनी बात कहते हुए ये कहना चाहूंगा कि उनके ऐच्छिक अवकाश है और समाज में मैं समझता हूं कि सब लोग इसका लाभ उठाते हैं हम लोग सम्मिलित होते हैं इसे मैं समझता हूं कि जब राज्य शासन की ओर से जब ऐच्छिक अवकाश है भाई प्रमोद इस संकल्प को वापस ले लें।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के जवाब से मैं संतुष्ट हूं और अपना संकल्प वापस लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये धन्यवाद। चूंकि माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस ले रहे हैं उन्हें आप सबकी अनुमति से सदन इन्हें अनुमति प्रदान करता है संकल्प वापस लेने का इनको अनुमति प्रदान की जाती है ।

संकल्प वापस हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- तीसरा संकल्प अजय चंद्राकर जी का था, वो आज उपस्थित नहीं है और एक प्रखर वक्ता है। ये बातें उन्हीं के आने के बाद किया जाएगा। इसको अगले सत्र के लिए ट्रांसफर किया जाता है अगले सत्र में ले लिया जाएगा। अरूण वोरा जी।

समय :
05:07

<u>प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करने का प्रस्ताव</u>

<u>विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए</u>

श्री अरूण वोरा, सदस्य, विशेषाधिकार समिति :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम - 228 के उपनियम (1) के परंतुक की अपेक्षानुसार माननीय श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़

स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के विरूद्ध समिति को संदर्भित विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 28.11.2019 एवं

माननीय श्री धनेद्र साहू, सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा श्री कुंभन दास आड़िया एवं श्री अंबरीश आड़िया के विरूद्ध समिति को संदर्भित विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 10.11.2020 पर जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जावे।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि -

माननीय श्री धर्मजीत सिंह सदस्य, छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉपोरेशन लिमिटेड, रायपुर के विरूद्ध समिति को संदर्भित विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 28.11.2019 एवं

श्री धनेंद्र साहू जी सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा कुंभन दास आड़िया एवं श्री अंबरीश आड़िया के विरूद्ध प्रसतुत विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 10.11.2020 को, विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये।

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

समय :
5:10 बजे

<u>नियम-239 के अंतर्गत विचाराधीन सूचनाएं</u>

अध्यक्ष महोदय :-

(1) माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा माननीय श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन एवं माननीय श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 19/2020 दिनांक 19.08.2020

(2) माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा माननीय श्री ताम्रध्वज साहू, लोक निर्माण मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 23/2020 दिनांक 23.10.2020

मेरे समक्ष विचाराधीन है ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

5:11 बजे

<u>नियम-167 (1) के अंतर्गत अग्राह्यता की सूचनाएं</u>

अध्यक्ष महोदय :-

(1) माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह द्वारा प्राचार्य, पी.जी. डागा कन्या महाविद्यालय, रायपुर के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 28/2021 दिनांक 15.03.2021

(2) माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा, श्री अजय चन्द्राकर एवं श्री नारायण चंदेल द्वारा माननीय सदस्य श्री बृहस्पत सिंह, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी श्री पी.एल. पुनिया व प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री श्री रवि घोष के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 29/2021 दिनांक 29.07.2021

को विचारोपरांत मैंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है ।

समय :

5:12 बजे

<u>सत्र का समापन</u>

अध्यक्ष महोदय :- पंचम विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का आज अंतिम कार्यदिवस है । यह पावस सत्र दिनांक 26 जुलाई से 30 जुलाई के मध्य आहूत था। इस सत्र के समापन अवसर पर मैं सर्वप्रथम सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं समस्त माननीय सदस्यों के प्रति इस सत्र के सुव्यवस्थित संचालन में सहभागिता और सहयोग के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं ।

छत्तीसगढ़ राज्य, देश और विश्व कोविड-19 के संक्रमण के प्रभाव से प्रभावित है । इन विपरीत परिस्थितियों में भी आपने अपने संसदीय दायित्वों की पूर्ति के लिए जो सजगता और समर्पण प्रदर्शित किया है, उसकी मैं मुक्तकंड से सराहना करता हूं।

मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि हमारा देश और राज्य विपरीत परिस्थितियों में भी अपने हौसले को कायम किये हुए है, इसका प्रमाण है कि टोकियो में चल रही ओलम्पिक प्रतियोगिता में भारत की बेटी मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है, वहीं छत्तीसगढ़ बस्तर की बेटी नैना ने एवरेस्ट की चोटी पर फतह हासिल कर तिरंगा लहराया है, छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है । मैं इन दोनों बहादुर बेटियों को अपनी ओर से और सदन की ओर से बधाई देता हूं ।

आज का दिवस हम सबके लिए उपलब्धियों का दिवस है, अब से थोड़ी देर पहले उत्कृष्टता अलंकरण समारोह में माननीय राज्यपाल महोदया जी ने छत्तीसगढ़ विधान सभा के कार्यकरण के संदर्भ में जो विशेषताएं चिह्नांकित कीं, इन उपलब्धियों का पूरा श्रेय माननीय सदस्यगणों के संसदीय आचरण को, आपकी जागरूकता को, आपके समर्पण को जाता है । मैं आप सभी को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं।

मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में लोकतांत्रिक संसदीय मूल्यों के प्रति आस्था की जड़े बहुत गहरी और मजबूत हैं, इस सत्र में उत्पन्न परिस्थितियों और उसका पटाक्षेप इसका जीवंत प्रमाण है । इसी तारतम्य में मेरा यह आग्रह है कि आप अपनी वाणी में संयम रखने का प्रयास करें । वाणी के संदर्भ में पूज्य संत कबीरदास जी ने लिखा है कि -

ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए ।

औरन को शीतल करे, आपहूं शीतल होए ।।

माननीय नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री धरम लाल कौशिक जी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ दल के नेता माननीय श्री धर्मजीत सिंह जी, ब.स.पा. दल के नेता माननीय श्री केशव चन्द्रा जी एवं प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यगणों को सदन संचालन में आपके सहयोग के लिए हृदय से साधुवाद देता हूं ।

सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं इस बात के लिए विशेष रूप से प्रशंसा करना चाहूंगा कि सदन में गतिरोध को समाप्त करने के लिए वे उदार मन से तत्पर रहें । निश्चित ही उनकी यह भावना लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रबल आस्था का प्रमाण है ।

अब मैं आपको इस पावस सत्र में सम्पादित हुए संसदीय कार्यों के संक्षेप में सांख्यिकीय आंकड़ों से अवगत कराना चाहूंगा । इस सत्र की कुल 5 बैठकें हुई, जिसमें लगभग 27 घंटे चर्चा हुई। 30 प्रश्नों पर सभा में अनुपूरक प्रश्न पूछे गये जिनके उत्तर शासन द्वारा दिए गए। इस प्रकार प्रतिदिन प्रश्नों का औसत लगभग 6 प्रश्नों का रहा। इस सत्र में तारांकित प्रश्नों की 375 एवं अतारांकित प्रश्नों की 342 सूचनाएं प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल 717 प्रश्नों की सूचनांए प्राप्त हुई। इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 244 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 65 सूचनाएं ग्राह्य हुई। इस सत्र में स्थगन की कुल 94 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें एक विषय से सबंधित 14 सूचनाओं को सदन में पढ़ने एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात चर्चा हेतु ग्राह्य किया गया। शून्यकाल की 79 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 40 सूचनाएं ग्राह्य और 39 सूचनाएं अग्राह्य रहीं तथा वर्तमान सत्र में 101 यायिकाएं माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई, जिनमें 38 ग्राह्य व 63 अग्राह्य रही। 4 अशासकीय संकल्प माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए। इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई और 4 विधेयकों पर चर्चा हुई तथा 4 पारित हुए।

वित्तीय कार्यों के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक अनुमान पर 5 घंटे 3 मिनट चर्चा हुई।

मैं इस अवसर पर सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे सहयोग दिया। मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों एवं प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया।

इस पावस सत्र समापन के अवसर पर राज्य शासन के मुख्य सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूं। सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था इस पावस सत्र के दौरान कायम रखी। मैं विधानसभा के प्रमुख सचिव सहित सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया। सत्र समापन अवसर पर आगामी सत्र की तिथियों की घोषणा की परम्परा रही है। तत्सम्बन्ध में यह अनुमान है कि पंचम विधानसभा का बारहवां सत्र दिसम्बर माह के तृतीय सप्ताह में आहुत होने की संभावना है।

आईयें हम सब मिलकर अपने छत्तीसगढ़ राज्य को समग्र उन्नति के शीर्ष पर पहुंचाने का पुनीत संकल्प लें। धन्यवाद, जय छत्तीसगढ़।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पावस सत्र की समाप्ति, आपकी अध्यक्षता में पांचों दिन बैठकें हुईं और सभी माननीय सदस्यों की उपस्थिति रहीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां विधानसभा के सदस्य प्रश्नकाल के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, स्थगन के माध्यम से, शून्यकाल और याचिकाओं के माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया, प्रदेश की समस्याओं के बारे में चर्चा की। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्र छोटा जरूर रहा है, लेकिन हमारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उन सबका उपयोग पहली बार हुआ है। प्रश्न तो लगता ही है, ध्यानाकर्षण भी लगता है, आपने स्थगन भी लिया, स्थगन में चर्चा भी हुई, किसानों के मामलें में बहुत विस्तार चर्चा की। जितने सवाल हमारे विपक्ष के साथियों ने किया, उतने ही जोरदार ढंग से हमारे कृषि मंत्री जी और संसदीय कार्यमंत्री जी ने जवाब भी दिया।

अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में नियम 139 की चर्चा भी इस पांचवी विधानसभा के गठन के बाद शायद पहली बार हुआ है और दो चर्चाएं हुई, अशासकीय संकल्प पर भी पहली बार चर्चा हुई, यह रिकार्ड इस सत्र का रहा है, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में हमने अनेक अवसर देखें हैं, जिसमें गतिरोध उत्पन्न हुये, गतिरोध जब भी उत्पन्न होते रहे हैं, चाहे मध्यप्रदेश में हम लोग थे, तब की बात, मैं आज की तारीख की बात नहीं कहता । लेकिन परम्परायें उस समय भी हमारे छत्तीसगढ़ के विधायकों ने वहां बनाये थे, वही परम्परायें हमारे छत्तीसगढ़ में, पहले विधान सभा में, दूसरी विधान सभा में, हर विधान सभा में ये उँचाई पर पहुंचा । उस परम्परा को कायम

रखते हुये, चाहे वह सत्ता पक्ष के हो, विपक्ष के हो, सभी साथियों ने, जो भी गतिरोध सामने आया, उससे आपके नेतृत्व में बैठकर, चर्चा करके उसे समाधान किया गया । पूरे प्रदेश और देश के लोग देख रहे थे, क्या होगा, लेकिन जिस सूझबूझ के साथ आपने और जिस सूझबूझ के साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष और हमारे सत्ता पक्ष के साथियों ने जो सूझबूझ दिखाई, उसकी जितनी प्रशंसा की जाये अध्यक्ष महोदय, वह कम है । मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि हमारे साथियों ने बड़ी सजगता के साथ अपनी बात कही, माननीय बृजमोहन जी, माननीय अजय जी, माननीय धर्मजीत जी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह जी, हर अवसर पर उन्होंने भाग लिया और अपनी बात रखी । निश्चित रूप से सत्ता पक्ष की ओर से आदरणीय रविन्द्र चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी, माननीय टी.एस.सिंहदेव जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, नये साथियों में डॉ.शिव डहरिया जी, हमारे हरफनमौला कवासी लखमा जी, सब साथियों ने बहुत ही सजगता के साथ, अमरजीत सिंह जी के तो एक्सपर्ट कमेंट बराबर आते रहे हैं । तबियत खराब होने के वजह से वह अनुपस्थित रहे, इससे हम लोग निश्चित रूप से एक्सपर्ट कमेंट से वंचित रहे । जब आये तो एक्सपर्ट कमेंट देते रहे । उसके बगल वाले अमितेश भईया का अतिरिक्त एक्सपर्ट कमेंट जबरदस्त रहा है । मैं इस अवसर पर नये सदस्यों को बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने बहुत कम समय में हमारे वरिष्ठ साथियों के साथ इस सदन में बैठकर और साथ ही अध्ययन के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधान सभा में अपनी बातें रखी । मैं उन सदस्यों को बधाई देता हूँ कि दो साल से उत्कृष्ट विधायकों के आज राज्यपाल महोदया के माध्यम से पुरस्कृत करवाया, जिसमें भाई नारायण चंदेल जी, सौरभ सिंह जी, हमारे असरदार सरदार जुनेजा जी, हमारे अरूण भाई, आपने उसे सम्मानित करवाया, अध्यक्ष महोदय बहुत अच्छा लगा कि राज्यपाल की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है । निश्चित रूप से इससे हम सब का गौरव बढ़ा है । अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी ने संतराम नेताम जी को पहले विकेट में उतारा, दो बार उनको अवसर दिया, जो बिना रूके उन्होंने धुंआधार भाषण दिया । आपने भी कहा कि बिना सॉस लिये कैसे बोले जा रहा है, अध्यक्ष महोदय, उनकी तैयारी देखकर निश्चित रूप से मन प्रसन्न हुआ । मैं संत भाई को बधाई देता हूँ, बहुत बढ़िया तैयारी, उसी प्रकार से देवेन्द्र यादव जी का, डॉ. साहब भी चिरमिरी और मनेन्द्रगढ़ की आवाज को, आपसे विशेषाधिकार लेकर, बराबर अपनी बात कहते रहे । मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ । अध्यक्ष महोदय, सभी साथियों ने जो बातें कहीं, मैं गतिरोध की बात कह रहा था, निश्चित रूप से गतिरोध दूर करने में महाराज टी.एस.सिंहदेव का बहुत योगदान रहा । आदरणीय ताम्रध्वज साहू और वृहस्पति भाई का भी मैं प्रशंसा करता हूँ, उन्होंने बड़े हृदय से खेद व्यक्त करके इस सदन का मान बढ़ाया । अध्यक्ष महोदय, इस सदन को संचालित करने में जहां हमारे चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन जी के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम ने, चाहे प्रश्न हो, चाहे ध्यानाकर्षण हो, स्थगन हो, याचिका हो, सारे विषय पर जो शासन से जानकारी देना है, उपलब्ध करायें, उन्हें भी मैं धन्यवाद दूंगा । मैं आदरणीय चन्द्रशेखर गंगराड़े जी को धन्यवाद दूंगा

कि उनके नेतृत्व में विधानसभा सचिवालय ने जिस प्रकार से काम किया, जितना हम लोगों की मदद करते हैं, उससे ज्यादा मदद विपक्ष की करते हैं और उनका काम है कि वह विपक्ष की ज्यादा से ज्यादा मदद करें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- आरोप है या तारीफ है?

श्री भूपेश बघेल :- तारीफ है। हम लोग भी जब विपक्ष में थे तो हमारी मदद करते थे। हम लोग भी जाते थे। कैसे ध्यानाकर्षण लगाना है, कैसे स्थगन लगाना है, शब्द ज्यादा हो रहे हैं, इसको कम करिये, यह विषय थोड़ा विषयांतर हो रहा है। नये सदस्यों को सीखने को मिलता है। यह सचिवालय सत्तापक्ष और विपक्ष सबका होता है और समान रूप से मदद करते हैं लेकिन विपक्ष के लोग ज्यादा ही जाते हैं तो मदद भी ज्यादा होती है। यह कोई आरोप नहीं है, मैं प्रशंसा कर रहा हूं। आदरणीय चन्द्रशेखर गंगराड़े जी के नेतृत्व में हमारे सचिवालय ने बहुत अच्छा काम किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जो मार्शल हैं, उनकी भी प्रशंसा करता हूं कि वह लोगों की भी लगातार इस सदन की कार्यवाही के संचालन में भागीदारी रही है। यह हमारा सौभाग्य है कि मार्शल का उपयोग करने का मौका कभी नहीं आया। जबकि दूसरी विधानसभाओं में जिस प्रकार से मार्शल का उपयोग होता है, अभी हम लोगों ने बिहार में देखा कि पिछले सत्र में किस प्रकार से मार्शल का उपयोग किया। भगवान न करे वह दिन कभी आये। यह परंपरा जो हमारी बनी है वह बरकरार रहेगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी हमारे पत्रकार साथियों को धन्यवाद दूंगा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों या प्रिन्ट मीडिया के हों। सभी साथियों ने सदन में जो जनहित के मुद्दे आये, उन सबको प्रमुखता के आधार पर उन विषयों को दिखाया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे किसानों का मुद्दा हो, मजदूर का मुद्दा हो, इस सत्र में विशेष रूप से हमने बजट में जो प्रावधान किया, जिसमें पहली बार हिन्दुस्तान में हमने मजदूरों के लिए बजट में प्रावधान किया। भूमिहीन कृषि मजदूर के लिए जो बजट प्रावधान किया गया है, यह मील का पत्थर साबित होगा और देश के सामने एक नजीर साबित होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो तीन विधेयक पारित किये हैं, आदरणीय टी.एस.सिंहदेव जी ने कल जिस प्रकार से अपनी बातें रखीं, निश्चित रूप से वह प्रशंसा के काबिल है। मैं कह सकता हूं कि यह एक्ट आया, उसका दोबारा उपयोग नहीं होगा, यह बात भी उन्होंने कही। यह बात भी सही है कि प्रदेश के हित में, जनता के हित में, छात्रों के हित में जो कदम उठाये गये हैं, वह काम कल आपकी अध्यक्षता में हुआ है। मैं इसके लिए पूरे सदन को बहुत-बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि अब छुट्टी का समय भी हो रहा है, अगले सत्र का इंतजार भी रहेगा। जिस प्रकार से सवालों की झड़ी हुई, जिस प्रकार से ध्यानाकर्षण के माध्यम से तीर चले,

अग्निबाण चलें, चाहे बृजमोहन जी, अजय चन्द्राकर जी, नारायण चंदेल जी, धर्मजीत भैया के द्वारा हो, चाहे हमारे नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा हो। वह बहुत सौम्य हैं। वह गुस्से में भी बोलते हैं तो भी बड़ा मीठा लगता है। लेकिन जितना भी आक्रमण हुआ है, हमारी संसदीय कार्य मंत्री के वहां आते-आते वह जो गर्माहट है, वह ठंडी हो जाती थी। अध्यक्ष महोदय, सारे तीर बुझ जाते थे। ऐसे हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी की जितनी भी प्रशंसा करूं, वह कम है। क्योंकि सदन के संचालन में संसदीय कार्य मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। कितना भी गतिरोध आये, कैसे भी आये, हमारे पक्ष या विपक्ष के साथी हों, कितने भी उत्तेजित हो जायें, उसे ठंडा करने में और सभा के संचालन में आगे बढ़ाने में उन्होंने आपका जो सहयोग किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाये, वह कम है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुन: आपके नेतृत्व में यह विधानसभा ने एक नई ऊंचाई को छुआ है, इसके लिए मैं आपको और पूरे सदन को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं निश्चित रूप से माननीय राज्यपाल महोदया जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत कृपापूर्वक समय निकाला। हालांकि वह बजट सत्र में एक बार आती हैं, राज्यपाल का अभिभाषण होता है, उसमें कृतज्ञता ज्ञापन में भाषण होते हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी विधानसभा परिसर में आकर हमारे उत्कृष्ट विधायकों को सम्मानित करके जो हम लोगों को गौरव प्रदान किया है, उसके लिए मैं माननीय राज्यपाल महोदया जी का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़ के पहले बारिश जमकर हो रही है, उसके लिए भी आपको खूब बधाई। खूब फसल लहलहायेगी और खूब अच्छी फसल होगी, इसके लिए किसानों को भी बधाई। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- सदन का औपचारिक कार्य पूर्ण होने तक समय में वृद्धि की जाती है। मैं समझता हूं कि सदन सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विधानसभा निरंतर नयी गरीमा के साथ में, नये प्रतिमानों के साथ में स्थापित करते रहे और आपके अनुभव का लाभ हम सब को प्राप्त हो रहा है। 26 से ले करके 30 तारीख 5 दिन के इस सत्र में मैं समझता हूं कि एक दिन यदि छोड़ दिया जाए तो एक-एक मिनट का हम लोगों ने उपयोग किया है और जो 5 बजे का समय है उस समय से ज्यादा समय बैठ करके चाहे वह शासकीय बिजनेस में हो या हमारे सदस्य के द्वारा लाये गये जो विभिन्न चर्चा है, उसमें हम सब लोगों ने बैठ करके उस चर्चा में भाग

लिया और जो कार्यावधि के दिवस है। निश्चित रूप से 5 दिन में जो कार्यावधि है, मैं यह कह सकता हूं कि अच्छी कार्यावधि है। इसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जी का भी।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष जी, मैं केशव चंद्रा जी का भी धन्यवाद करना भूल गया था, मैं उनको भी बधाई देता हूं और देवव्रत भाई को भी बधाई देता हूं, धन्यवाद। उसके साथ श्री प्रमोद को भी बधाई देता हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- इसमें मुख्य रूप से सदन के जो नेता है, मुख्यमंत्री जी की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि सदन के संचालन में और सहयोग में जब तक सभी पक्ष मिल करके काम नहीं करेंगे यह संभव नहीं होगा। मैं इसलिये मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इस 5 दिन के सत्र में कार्यावधि के दृष्टिकोण से हम लोग विचार करें तो निश्चित रूप से प्रश्नकाल उसके बाद में ध्यानाकर्षण, स्थगन वह भी गायिता के साथ में उसमें चर्चा हुई, शून्यकाल है, याचिका है और उसके साथ में 139 की चर्चा और आज अशासकीय संकल्प इस पंचम विधानसभा सत्र में जो हम लोगों की दृष्टिकोण से जो अपूर्ण था। आज उसको पूर्ण करने के लिये आपका पूरा प्रयास हुआ और आपने जो समय निर्धारित किये, सारी चर्चा हुई है। मैं ये कह सकता हूं कि केवल यदि एक चर्चा रूक गयी तो श्री बृजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा जो लाया गया था। क्योंकि लोकसभा में और राज्यसभा में भी प्राईवेट बिल लाते हैं। उसकी स्वीकारोक्ति, अस्वीकारोक्ति यह तो बहुमत के आधार पर तय हो जाती है लेकिन लाभ यह मिलता है कि जो नये सदस्य है कि प्राईवेट बिल कैसे आता है, उस पर चर्चा कैसे होती है। इसका एक नये सदस्यों को लाभ मिलता है उससे हम और यह सदन वंचित रह गयी। बाकी विषयों पर आपके अनुपूरक भी पास हुये, 4 विधेयक लाये, वे भी पारित हुये और उसके साथ में जो महत्वपूर्ण बिजनेस है उन सभी पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही साथ में माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गतिरोध आया। गतिरोध केवल छत्तीसगढ़ तक नहीं था बल्कि ऑल इंडिया बना क्योंकि राष्ट्रीय समाचार और राष्ट्रीय प्रसारण में कहीं न कहीं ये बात आई कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा और उसकी जो गरीमा की बात है निश्चित रूप से उस दिशा में आपकी सार्थक पहल हुई और पहल होने के साथ में गतिरोध समाप्त हुआ और आगे सदन की कार्यवाही, जैसा हम सब लोग चाहते थे, उस प्रकार से सदन की कार्यवाही चली और सभी सदस्यों ने भाग लिया। मैं उसके लिये राजा साहब को भी कहूंगा कि बड़े दिल से उन्होंने यहां आने के बाद में सभी लोगों का आभार व्यकत किया और श्री बृहस्पत सिंह जी ने बड़ा दिल बना करके कि जब जज्बात की स्वीकारता होनी चाहिये, स्वीकार करनी चाहिये, उन्होंने स्वीकार किया और गतिरोध को समाप्त करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके लिये पक्ष और प्रतिपक्ष और जो भी बैठे हुये हैं श्री धर्मजीत सिंह जी है और बाकी लोग हैं वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधानसभा के संचालन में जो सहयोग प्रदान करने में जो मुख्य भूमिका होती है वह है विधानसभा सचिवालय की। गंगराड़े जी हमारे अनुभवी है, प्रमुख सचिव है। उनकी भूमिका और उसके साथ में सचिवालय की भूमिका। की यदि किसी

बात की आवश्यकता हुई तो जा करके मागदर्शन लेते हैं, उनसे पूछते हैं और उनसे पूछकर सदन की कार्यवाही में भाग लेते हैं और उनकी सक्रीयता बनाये रखने के लिए निरंतर हम सब को प्राप्त हुआ है और आगे भी हम सब को प्राप्त होते रहेगा। इसी प्रकार से आज जो उत्कृष्ट विधायकों का अलंकरण समारोह आयोजित किया गया था, उसमें हमारे विधायक माननीय श्री अरूण वोरा, सौरभ सिंह जी, नारायण चंदेल जी, माननीय कुलदीप जुनेजा जी हैं मैं इनको भी आज के अवसर पर बधाई देना चाहूंगा। इस अलंकरण समारोह को गरिमा प्रदान करने के लिए माननीय राज्यपाल महोदया जी ने अपना समय दिया, मैं उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ में चीफ सेक्रेटरी जी, डी.जी.पी., सभी अधिकारी हैं जो प्रश्नकाल से लेकर बाकी संचालन में जो उनकी भूमिका सहयोग प्रदान करने में रही है। इसके साथ में हमारे मार्शल और सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो लगे हुए हैं मैं उन सब का भी आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी आसंदी में, आपके बाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी को सहयोग करने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इस सभा के संचालन में हमारी सभापति तालिका में बैठे हुए सभी सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इन 5 दिनों के सत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर, कुशलतापूर्वक संचालन किया। हमारे पत्रकार बंधु जो हम सब की बातों को जनता के बीच पहुंचाने में और महत्वपूर्ण विषयों को जो ले जाते हैं चाहे वह हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, इन सब लोगों ने अपने दायित्वों का सकारात्मक रूप से कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है। जब तक पत्रकार बंधु हमारी बातों को जनता तक नहीं पहुंचायेंगे तो शायद यही तक यह सीमित हो जाएगा। इसके लिए मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ कि यहां पर वह सुबह, हमारे आने के पहले और हमारे जाने के बाद तक डंटे रहते हैं और यहां डंटकर सारी चीजों का प्रसारण करने, लोगों के बीच में ले जाने का काम किया है मैं हमारे पत्रकार बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ में हमारे जो ओलम्पिक में मीरा चानू जी सिल्वर मेडल लेकर आई हैं मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। मैं नैना जी को बधाई देना चाहता हूँ। माननीय शिवरतन शर्मा जी, यहां संसदीय कार्यमंत्री के बारे में बोलते रहते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं बोलूंगा। वास्तव में सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में यदि कोई सेतु का काम करता है तो वह माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी हैं। कहीं पर कोई बातें आ गईं तो उस बात का भी सरलतापूर्वक हल कैसे निकालकर, उस समस्या को दूर करें, उसमें हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी की महत्वपूर्ण भूमिका है मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से हमारे सभी मंत्री, चाहे हमारे राजा साहब हों, अब सभी मंत्रियों का बोल दूं और एक का नाम नहीं लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं आप लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न लगाये और जो जानकारी ली, आपने उसके अनुसार जवाब दिया। मैं संसदीय कार्यमंत्री जी के दो लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद् देना चाहता हूँ दाएं, बाएं, एक नंबर, दो नंबर। उसके साथ में हमारे माननीय सदस्य संतराम जी से लेकर, बाकी हमारे

पाण्डे जी भी बैठे हुए हैं देवेन्द्र जी भी बैठे हुए हैं, वह हमारे युवा विधायक हैं। ऐसे बहुत सारे साथी हैं महिला सदस्यों में डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जी ने सारे विषयों पर चर्चा की, चाहे वह जो भी विषय हों, विधेयक लाये गये हों, अन्य विषय लाये गये हों। यदि आपके पास में वक्ता नहीं है तो आप किसी विषय में बोलने के लिए डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जी को खड़ा कर दीजिए और आप निश्चिंत हो जाईये। मैं उनको भी धन्यवाद् देना चाहता हूँ। इसके साथ ही हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी, श्री नारायण चंदेल जी, श्री अजय चन्द्राकर जी, श्री शिवरतन शर्मा जी, माननीय श्री सौरभ सिंह जी, श्री पुन्नूलाल मोहले जी, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी, हमारे सभी सदस्य धन्यवाद् के पात्र हैं। नये सदस्य हमारे श्री रजनीश कुमार सिंह जी, श्रीमती रंजना डिपेन्द्र साहू जी हैं और उसके साथ में हमारे शर्मा जी बैठे हुए हैं मैं इनको भी धन्यवाद् देना चाहता हूँ कि हाऊस के अंदर प्रतिपक्ष की भूमिका में जो विषय लाना चाहिए, उन विषयों को जिस प्रकार से सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारे विभिन्न विषयों को लेकर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी, जो लगातार हम सब लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और उनके संरक्षण में काम करते हुए हम सब लोग यहां पर काम कर रहे हैं। मैं डॉ. साहब को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे साथी धर्मजीत सिंह जी, भाभी, देवव्रत जी को मैं उनको भी इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूंगा। सदन की कार्यवाही में और संचालन में जिस प्रकार से उनकी भूमिका है। हमारे चंद्रा जी बसपा से हैं, वे सारे विषयों पर चिंतित रहते हैं और वे समय आने पर बता देते हैं कि आप सत्ता में रहे, आप सत्ता में रहे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, यह जनता की आवश्यकता है, यह किसान की आवश्यकता है, आप आरोप-प्रत्यारोप लगा करके बच नहीं सकते, हमको तो किसान के लिए चाहिए। वास्तविक में हमारे किसान नेता चंद्रा जी हैं, जिनको सरकार और सरकार से परे हट करके दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बात करते हैं, मैं चंद्रा जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। वैसे हमारे सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जो हाउस है वह सब सदस्यों से मिल करके है। आजकल हमारे संसदीय सचिव जिन लोगों को अवसर नहीं मिलता है, पहले हमारे बहुत सारे लोग अच्छा वक्ता रहे हैं लेकिन संसदीय सचिव बनने के बाद उनकी जो स्थिति निर्मित हो गयी, न वे जवाब दे पा रहे है, न प्रश्न पूछ पा रहे हैं। वास्तविक में विचित्र स्थिति बन गयी है और इसके लिए मुझे लगता है कि आगे रास्ता निकालना पड़ेगा। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के इस अवसर पर विशेष रूप से आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपके कुशल मार्गदर्शन में और आपका अनुभव इस विधानसभा की गरिमा को निरंतर आगे बढ़ाने में हम सब मिल करके सफल होंगे। मैं एक बार पुन: सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह मानसून सत्र बहुत ही शानदार रहा और आशंकाओं के बीच यह सत्र शुरू हुआ कि पिछले सत्रों के अनुसार ही यह सत्र समय से पहले तो खत्म नहीं हो जाएगा। लेकिन आपके कुशल नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष और सबसे

ज्यादा संसदीय कार्य मंत्री के व्यवस्था से यह सत्र तो कम से कम पूरा दिन चला। इस सत्र में बहुत अच्छे-अच्छे काम भी हुए, खुल करके चर्चाएं भी हुई, एक दो घटनाएं भी हुई और कुल मिला करके सब चीज का सुखद पटाक्षेप आज होने जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न पूछने का अवसर दिया, सप्लीमेंट्री पूछने का अवसर दिया, आपने लंबे टाईम तक प्रश्नों को पूछने का समय दिया। आपने ध्यानाकर्षण भी दिया, आपने स्थगन भी लगवाया, आपने 139 की भी चर्चा करवाई, अशासकीय संकल्प भी करवाया। यह कह सकते हैं कि इस सत्र में जो संसदीय कार्यों का दायित्वों का निर्वहन होना चाहिए, वह 100 प्रतिशत हुआ है। इसलिए यह सर्वाधिक सफलतम सत्र के रूप में इसको हम याद कर सकते हैं। एक घटना हुई, बाबा साहब, आप जब यहां से गये तो ऐसा नहीं था कि आपके लोग ही दुखी थे, हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगा था कि आप इस परिस्थिति में यहां से जाएं। बाबा साहब, यह होता है। आपको अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आपका व्यवहार, आपका संस्कार, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से सब परिचित हैं लेकिन किन्हीं कारणों से जो भी हुआ वह तो मुझे मालूम नहीं लेकिन उसका सुखद पटाक्षेप हुआ, यह अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि आप ऐसा छोड़कर मत जाईयेगा, आपकी जरूरत है, आपका मार्गदर्शन लेना है, आपके अनुभव का लाभ लेना है, इस सदन को आप अपनी सेवाएं देते रहिए। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको भी बहुत ध्यान से देख रहा था। आज जब बजट का जवाब दे रहे थे, मुस्कुरा-मुस्कुरा कर जवाब दे रहे थे, अच्छा लगा। यही होना चाहिए जो आपने किया। नेता प्रतिपक्ष भी धारदार आवाज में अपनी बात उठाते रहे। डॉ. रमन सिंह साहब की तो मैं तारीफ करूंगा, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, एक विपक्ष के सदस्य के रूप में यहां पर प्रतिदिन सदन में आए। अध्यक्ष महोदय, न केवल आए बल्कि जैसे हम विधायक लोग जाकर वहां पर हस्ताक्षर करते थे, वे वहां पर हस्ताक्षर करने भी जाते थे। यह आपकी गरिमा और आपका बड़प्पन है और आपका मार्गदर्शन सदन में विपक्ष के नेता के रूप में पूरे सदन को, पूरे प्रदेश को मिला। संसदीय कार्य मंत्री जी की तो मैं तारीफ करता हूं, आपने बिल्कुल ठीक कहा । चाहे जितने भी तीर चलाओ, जब भीष्म पितामह की ओर कोई तीर चलाता है तो वह काम नहीं करता, वैसे ही यह तो इस सदन के भीष्म पितामह के रूप में हैं, बेहद अनुभवी हैं और समझदार हैं लेकिन इनकी एक-दो चीजों को हम लोग भी जानते हैं । अगर श्री रविन्द्र चौबे जी यह चाह लिये कि ऐसा होना हो या गतिरोध को कैसे खत्म कराना है तो यह मानिये कि उनके स्टाईल से हम लोग समझ जाते हैं कि यह चाहते हैं कि खत्म हो । लेकिन कई बार जब कुछ बोलते हैं, हम चाहते हैं, जानते हैं कि ये नहीं चाह रहे हैं तो भी समझ जाते हैं कि ये नहीं चाह रहे हैं । (हंसी) पिछला सत्र थोड़ा आपके कम चाहने के कारण नहीं चला । अगर आप थोड़ा सा चाह लेते तो जरूर चलता इसलिए आप हम लोगों को चाहा करिये । अपना प्यार देते रहिएगा, विपक्ष के पास सिवाय यहां बोलने के कुछ और है नहीं और हम जो बोलते हैं । मुझे खुशी हुई कि उसको व्यक्तिगत रूप से आप लोग बुरा नहीं मानते हैं लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि आपके कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने जो संस्कार, जो

आदर्श, जो परम्पराएं, जो व्यवस्थाएं और जो शालीनता की परिभाषा हमने यहां रची है । हिंदुस्तान की किसी भी विधानसभा में इस प्रकार की परंपरा न है और हमने तो कई जगह उद्दंडता और गुण्डा-गर्दी, मारपीट और अभद्रता का भी नजारा देखा है तो उसकी तुलना में हम छत्तीसगढ़ विधानसभा के लोग पूरे हिंदुस्तान में विधानसभाओं में सिरमौर के रूप में आपके नेतृत्व में और इस सदन के रूप में हम वहां उपस्थित हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे 4 साथियों को उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार मिला । हम सब उसके साक्षी बने । मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि आपने अपना प्रदर्शन बेस्ट किया, आपको मिला । आपसे प्रेरणा लेकर के बाकी और विधायक जो हैं पक्ष और विपक्ष उन्हें आगे मिलेगा । उसके लिये वे सीखेंगे तो आप सभी चारों साथियों को मैं बधाई देता हूं । माननीय बृजमोहन जी अगर किसी कारण से देरी से आते हैं या नहीं आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, श्री अजय चंद्राकर जी अगर नहीं आये तो देखिये आज इधर वालों को, हम लोगों को कितना नीरस लग रहा था । मेरे ख्याल से आप लोगों को भी नीरस लगा होगा । उत्कृष्ट विधायक महोदय हैं, शर्मा जी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता मोहले जी हैं । सौरभ पढ़-लिखकर के बहुत बढ़िया बोलते हैं । परसों भाषण हो रहा था तो मैंने सुना, मुझे बेहद खुशी हुई कि देवेन्द्र यादव ने पूरे सत्तापक्ष में मेडिकल बिल के ऊपर एक बेहतरीन स्पीच इस सत्र में दिया और मैं यह समझ सकता हूं कि इस बिल में चूंकि देवेन्द्र को बोलते मैंने कई बार देखा है लेकिन इस बार की उनकी स्पीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि वे ओजस्वी वक्ता के रूप में इस सदन में उभरकर आयेंगे और ये इसलिए बोल पाये कि उनके दिल के अंदर दुर्ग जिले के स्वास्थ्य सेवाओं का दर्द था इसलिए आपकी बात जुबां तक आयी है । हमारे पांडे जी भी अच्छी कोशिश कर रहे हैं । हमारे संतराम नेताम जी ने इस सदन में कितना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया । 3 आदिवासी बच्चे जो परीक्षा में पास हुए हैं, वेटिंग में हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही थी । उनके साथ भेदभाव हो रहा था, उनकी आवाज उठाकर उन्हें सदन में नौकरी दिलाने का आपने आश्वासन दिलाया, आपने बहुत बड़ी सेवा की है । इसी तरह से सेवा करना है। श्रीमती संगीता सिन्हा, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, इन लोगों ने महिलाओं के पक्ष से अपनी बात रखी । बहुत से और साथियों ने रखी है । मैं मरकाम जी के बारे में, श्री बृहस्पत सिंह जी के बारे में या वोरा जी के बारे में इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये वरिष्ठ हो चुके हैं, श्री संतराम जी भी हो गये हैं लेकिन बाकी लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन आप उनको देखकर सीखेंगे । हम उनको देखकर सीखे हैं । आप इधर से भी सीखेंगे क्योंकि यहां भी सिखाने वाले बहुत से लोग हैं । जब आप ऐसा करेंगे तभी एक विधायक को अपने इस प्रजातंत्र के सर्वोच्च मंदिर में जो आवाज मुखर करनी चाहिए, गरीबों की बात करनी चाहिए उसके लिये आपको प्रेरणा मिलेगी । आप सभी ने बेहतर प्रदर्शन किया इसके लिये हम आपका बहुत सम्मान करते हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति तालिका के सभी आदरणीय, सम्मानित पदाधिकारियों का स्वागत है । विधानसभा सचिवालय तो इस पूरे सत्र की रीढ़ की हड्डी है और मुख्यमंत्री जी आपने बिल्कुल ठीक कहा । हम लोग पूछते हैं, उधर से भी पूछते होंगे लेकिन श्री गंगराड़े जी हैं, नियम-कानून के बहुत पक्के । मेरा एक अशासकीय संकल्प 3 दिन बाद आया तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया । ससम्मान वापिस कर दिया । श्री गंगराड़े जी मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं कि आप नियमों के दायरे में रहकर विधान सभा चलाते हैं। आपका पूरा सचिवालय बहुत काम करता है। विधान सभा सचिवालय को तो सर आंखों पर सम्मान है। हमारे उपाध्यक्ष महोदय जी, बीच-बीच में अपना योगदान दिये, इसके लिए उनका भी आभार। प्रेस की बात कर लेते हैं। प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस है। इसी सदन में एक बात आयी, जब टी.एस. बाबा और बृहस्पत सिंह जी वाले मामले में तो यह कहा गया कि अखबार की कतरनों के माध्यम से चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन अध्यक्ष महोदय, पूरी दुनिया में अखबार के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से उठाये गये समस्याओं पर ही लंबी चर्चा हुई है। कई सरकारों के इस्तीफे हुए हैं। बड़ी-बड़ी जांच की घोषणाएं हुई हैं। तो हमारे प्रजातंत्र के उस चौथे स्तंभ का हम सम्मान करते हैं, जिन लोगों ने बाहर की बातों को, गरीबों की बातों को कोई होने वाली घटनाओं को उन्होंने संज्ञान में लाया और आपने कृपापूर्वक चर्चा करायी। अध्यक्ष महोदय, मुझे शासन के सभी मंत्रियों को भी धन्यवाद देना है कि आप सभी ने बहुत अच्छा performance दिया। अमरजीत जी दो दिन नहीं थे तो उनकी कमी खली, क्योंकि टोका-टाकी कम होने लगी, लेकिन इस सत्र में मैंने एक अनुभव और किया कि मंत्रियों की तरफ से जो ज्यादा टोका-टाकी होती थी, वह इस समय कम हुई। अच्छा लगा और आपने जवाब भी अच्छे से देने का प्रयास किया। हमारे केशव चन्द्रा साहब किसानों के नेता हैं। हमारी आदरणीय भाभी जी अभी बीमार होकर वापस स्वस्थ होकर लौटी हैं, फिर भी उन्होंने समय दिया। राजा और प्रमोद हमारे ही हैं, लेकिन ठीक है। बहुत अच्छा है। उन्होंने भी भागादारी की। हमारे राजा सभापति तालिका में भी योगदान देते हैं। इंदू जी हैं। रंजना जी हैं। हमारे रजनीश जी हैं। बांधी साहब हैं और मोहले जी तो जब खड़े होते हैं तब अपने अनुभव का पीटारा खोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह सदन सामंजस्य, सद्भाव और संस्कारों से चलने वाला सदन है। आपने उसे नेतृत्व दिया। आपका संरक्षण विपक्ष को चाहिए, वह आप देते हैं और मैं इन सभी साथियों के सुखद भविष्य की कामना करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि अगली बार ये जो कांच की दीवार है, हमारे बीच से हटा दी जाये। भगवान करे कोरोना खत्म हो, क्योंकि इसमें गिरफ्तार-गिरफ्तार टाइप लगता है। ऐसा लगता है कि कहीं बंधे हैं। आपस में कहीं बात नहीं कर सकते। कहां से यह कोरोना आ गया है। तीसरी लहर में बाबा साहब आपसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। आपने मेरे जवाब में बोला था कि तीसरी लहर की कोई संभावना नहीं है। आपकी बात कम से कम सही हो जाये। मत ही आये तो अच्छा है। हमारी बात गलत हो जाये।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- आयेगी। वो तो तय है कि आयेगी, लेकिन तीव्रता कम होगी। (हंसी)

श्री नारायण चंदेल :- धर्मजीत जी, ये जो दो दिन का गतिरोध आया था न, वह कांच के कारण आया था।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, कांच के कारण। इस कांच को हटाना ही पड़ेगा। दिल के बीच में जो दीवार खड़ी हुई है न, इसको तोड़ना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय :- जो कांच लगा है, हम उस कांच के बीच में छेद करवाने की व्यवस्था करेंगे। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, सर, एक माइक्रोफोन हो जाये। आपस में बात कर लें। ये छेदा छादी वाला काम ठीक नहीं है। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- कम से कम आप वहां हाथ घुसा सकें। उंगलियां घुसा सकें। इशारा कर सकें। कुछ बात करें।(हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आज भाभी जी सदन में आयी थीं, इसलिए क्या..। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं अंत में सभी सम्मानित अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, अच्छा मैं एक बात बोलना और भूल गया। इस सत्र में सबसे ज्यादा उपस्थिति सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की थी। उसका हम रिजल्ट भी लिये। 13, 14, 15 और इधर भी 50, 58। 10, 12 तो हो सकते हैं, इतना तो पार्लियामेंट में इस रेशियो में उपस्थिति नहीं रहती है। आप तो वहां के मेंबर रहे हैं। मिनिस्टर रहे हैं। तो यह उपस्थिति भी विधान सभा के लिए आपकी रूचि और विधान सभा के प्रति आपका सम्मान दोनों पक्ष के लोग दिखा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको हाथ जोड़कर बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। ऐसी कृपा दया बनाकर हम लोगों की तरफ देखिएगा, क्योंकि हम लोगों का और कोई नहीं है। आप ही हैं। इस बात को आप जब भी जाये, अगले सत्र तक इसी को मनन करिएगा और जब अगले सत्र में आये तो आपके बांये तरफ भी देखने की कोशिश करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, केशव प्रसाद चन्द्रा।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजेपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शीतकालीन सत्र के आज अंतिम दिवस हे। अउ जब प्रारंभ में आये हन तो हमन ला लगत रहिसे कि पिछले समय जैसे हो सकथे, समय के पहली ये सत्र खत्म हो जाही, लेकिन पूरा दिन चलिस। आपके नेतृत्व मा, विधान सभा में जतका अकन जो काम होथे, ओखर सबके उपयोग होइस। निश्चित रूप से आदरणीय धर्मजीत जी कहत रिहिन हे कि ए सत्र मा सबले ज्यादा उपस्थिति सदस्य मन के दिखिस । ए हर बहुत अच्छा संकेत हमर छत्तीसगढ़ बर हे, चाहे सत्ता रहय चाहे विपक्ष, इहां हमन जो चिंतन करथन, जो बात रखथन, अपन क्षेत्र के जो अनुभव ला बताथन या सरकार के कमी ला रखथन । निश्चित रूप से ओकर बाद मा

परिणाम आथे, ओमा सुधार होथे । तमाम सदस्य जागरूक होके चाहे प्रश्न लगात हें, ध्यानाकर्षण लगात हें, स्थगन या अन्य मुद्दा मा जो चर्चा मा भाग लेत हांवय तो एक बेहतर प्रशासन अउ शासन की योजना के लाभ हर तक पहुंचय । ओखर लिए मैं सब सदस्य ला हृदय से धन्यवाद् देवत हौं । ये पंचम विधान सभा के पहिली सत्र मा धन्यवाद् ज्ञापित करे बर खड़े रहेंव तो नवा विधायक मन बन एक चीज निवेदन कर रहेंव । हमू मन नवा हन, दूसरा सत्र हे लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना, अउ मैं तो कहिथौं कि सीनियर से सीनियर सदस्य मन भी विधान सभा के तमाम चीज ला अभी तक नहीं समझ पाए होंही । जे सदस्य अधिक से अधिक समय इहां रहकर नेता मन के बात ला सुनही, प्रक्रिया ला जाने के कोशिश करहीं । ए विधान सभा मा जतका कर्मचारी हें, ओखर मन करा जाकर अतका सहयोग मिलथे। जतना पूछे के प्रयास करही, आतके ज्यादा ज्ञान प्राप्त होही । मैं पुन: निवेदन करत हौं आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद् । एक गतिरोध आइस ओला भी आपके नेतृत्व मा बहुत बढ़िया ढंग से समाधान करा । दल अपन स्तर पर करतिस या नइ करतिस। मैं तो धन्यवाद् देत हौं विपक्ष ला भी, के सदन के बाहर के बात रहिस हे ओखर समाधान सदन मा होइस । ए बात के लिए धन्यवाद् मुख्यमंत्री जी ला, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ला, माननीय धर्मजीत जी ला अउ मंत्रिमंडल के सब सदस्य मन ला हृदय से धन्यवाद् । आपके मार्गदर्शन ए सदन ला चलाए मा, सदन के परम्परा ला बनाए रखे मा, नया विधायक मन ला जरूर मिलत राहय । ये विशेष रूप से निवेदन है । हमन तो बहुत कुछ जानत नइ रेहेन तो कुछ न कुछ गलती मा चूक होवत होही तो नया विधायक मन ला आप मन के मार्गदर्शन मिलत राहय । सचिवालय के माननीय गंगराडे जी ला अउ ओखर टीम ला, प्रशासन के अधिकारी ला अउ पूरा पत्रकार साथी मन ला हृदय से धन्यवाद् देत हांवव । जो संदेश ये सदन के पूरा छत्तीसगढ़ मा पहुंचाए के काम करे हे । अउ आने वाले दिन मा भी ये निवेदन के साथ कि सदन के समय के पूरा सदुपयोग होय । ए सत्र मा जइसना सदुपयोग होइस हे । बहुत सारा बात आथे, बहुत सारा नया सदस्य मन ला, हमर नया सदस्य आदरणीय प्रमोद शर्मा आज अशासकीय संकल्प लाए रहिन हे तो बहुत कुछ सीखे बर मिलथे । सदन के पूरा उपयोग आने वाला समय मा भी होवय, अइसन आपले निवेदन करते हुए आपला विशेष धन्यवाद् देवत हौं ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद् । अब राष्ट्रगान होगा । माननीय सदस्यगण राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ।

समय :
5:59 बजे

<u>राष्ट्रगान</u>

<u>जन-गण-मन</u>

(राष्ट्रगान जन-गण-मन का गायन किया गया)

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित् ।

(सायं 6.00 बजे विधान सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक : 30 जुलाई, 2021

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं